

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹ ॥



ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
Punjab & Sind Bank
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ

(ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਪਕਰਮ/A Govt. of India Undertaking)

Phone : 011-25782926, 25812922, 25817353, 25728930, Email:complianceofficer@psb.co.in

ਪ੍ਰ. ਕਾ. ਲੇਖਾ ਏਵਾਂ ਲੇਖਾ ਪਰੀਖਾ ਵਿਭਾਗ
"ਸ਼ੇਅਰ ਕਲੱਬ", ਬੈਂਕ ਹਾਊਸ, ਪ੍ਰਥਮ ਤਲ,
21, ਰਾਜੇਂਦਰਾ ਪਲੇਸ, ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ-110 008
H.O. Accounts & Audit Department
"Shares Cell", Bank House, 1st Floor,
21, Rajendra Place, New Delhi - 110008

ਸੰਦਰਭ:.....

ਦਿਨਾਂਕ /Dated:.....

PSB/HO/Shares Cell/ /2019-20

June 13, 2019

To,

Bombay Stock Exchange Limited,
Department of Corporate Services,
25th floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai – 400 001.
SCRIP ID : PSB
SCRIP CODE : 533295

National Stock Exchange of India Ltd.,
Exchange Plaza, C – 1, Block – G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai – 400 051.
SYMBOL: PSB SERIES: EQ

Dear Sir,

Reg: Clause 34 of SEBI (LODR) Regulations, 2015; Abridged Annual Report 2018-19.

Pursuant to Regulation 34 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith a copy of Abridged Annual Report 2018-19 of the Bank.

Yours faithfully,

Vinay Khandelwal
Company Secretary



वार्षिक रिपोर्ट (संक्षिप्त)
ANNUAL REPORT (Abridged)
2018-19



**BANK BEGAN ITS JOURNEY IN THE YEAR 1908 FROM HALL BAZAR AMRITSAR
(A SKETCH OF THE BUILDING)**

ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਹਿ

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)



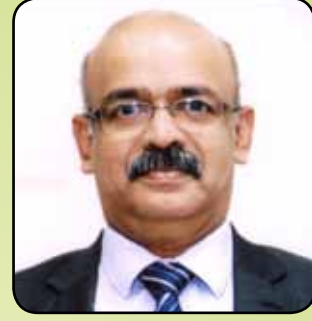
Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

निदेशक मंडल / Board of Directors



अध्यक्ष / Chairman
डॉ. चरन सिंह / Dr. Charan Singh



प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
श्री एस. हरिशंकर / Sh. S Harisankar



कार्यकारी निदेशक / Executive Director
डॉ. फरीद अहमद / Dr. Fareed Ahmed



कार्यकारी निदेशक / Executive Director
श्री गोविंद एन डोंग्रे / Sh. Govind N Dongre



श्री एस. आर. मेहर
Sh. S. R. Mehar



श्री प्रदीप्त. के. जेना
Sh. Pradipta K. Jena



श्री टी.आर. मेन्दीरत्ता
Sh. T.R. Mendiratta



श्री हर्ष बीर सिंह
Sh. Harsh Bir Singh



श्री एस.आर. घेडीया
Sh. S.R. Ghedia



श्री मधु सूदन दादू
Sh. Madhu Sudan Dadu

विषय-सूची / Contents

	पृष्ठ संख्या / Page No.
1. उल्लेखनीय तथ्य / Highlights	2
2. निदेशक मंडल / Board of Directors	3
3. नोटिस / Notice	4-13
4. निदेशक मंडल की रिपोर्ट / Directors' Report	14-43
5. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट / Secretarial Audit Report	44-47
6. कॉर्पोरेट प्रबंधन रिपोर्ट / Corporate Governance Report	48-99
7. संक्षिप्त वित्तीय विवरणियां / Abridged Financial Statements:	
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट / Independent Auditors' Report	100-109
तुलन-पत्र / Balance Sheet	110-113
लाभ-हानि खाता / Profit & Loss Account	114-117
नकदी प्रवाह विवरण-पत्र / Cash Flow Statement	118-123
8. प्रॉक्सी प्रारूप / Proxy Form	124-125
9. उपस्थिति पर्ची / Attendance Slip	126-127

उल्लेखनीय तथ्य / Highlights

रुपए लाखों में / Rupees. in lacs
दिनांक 31.03.2019 को / As on 31.03.2019

1. जमा Deposits	9855760
2. सकल अग्रिम Gross Advances	7274747
3. प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम Priority Sector Advances	2828724
4. सकल निवेश Gross Investments	2646132
5. परिचालन लाभ Operating Profit	139686
6. शुद्ध लाभ Net Profit	(-)54348
7. आस्तियों पर प्रतिफल (%) Return on Assets (%)	(-) 0.47%
8. शुद्ध एन.पी.ए. अनुपात (%) Net NPA Ratio (%)	7.22 %
9. पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बासेल-II) Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-II)	10.71%
10. पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) (बासेल-III) Capital Adequacy Ratio (%) (Basel-III)	10.93%

बोर्ड निदेशक / Board of Directors

अध्यक्ष / Chairman

डॉ. चरन सिंह / Dr. Charan Singh

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी / Managing Director & Chief Executive Officer

श्री एस. हरिशंकर / Sh. S Harisankar

कार्यकारी निदेशक / Executive Director

डॉ. फरीद अहमद / Dr. Fareed Ahmed

कार्यकारी निदेशक / Executive Director

श्री गोविंद एन डोंग्रे / Sh. Govind N Dongre

निदेशक / Directors

श्री एस. आर. मेहर

Sh. S. R. Mehar

श्री प्रदीप्त के. जैना

Sh. Pradipta K. Jena

श्री टी.आर. मेन्दीरत्ता

Sh. T.R. Mendiratta

श्री हर्ष बीर सिंह

Sh. Harsh Bir Singh

सीए, एस.आर. घेडीया

CA, S.R. Ghedia

श्री मधु सूदन दादू

Sh. Madhu Sudan Dadu

मुख्य सतर्कता अधिकारी / Chief Vigilance Officer

श्री संजय जैन

Sh. Sanjay Jain

महाप्रबंधक / General Managers

श्रीमती हरविन्द्र सचदेव

Smt. Harvinder Sachdev

श्री नेत्रानंद सेठी

Sh. Netranand Sethi

श्री जयंत कुमार नायक

Sh. Jayanta Kumar Nayak

श्री राजीव रावत

Sh. Rajiv Rawat

श्री दलजीत सिंह ग्रोवर

Sh. Daljit Singh Grover

लेखा परीक्षक / Auditors

मैसर्स एस. मान एण्ड कं.

M/s S. Maan & Co.

मैसर्स बलदेव कुमार एण्ड कं.

M/s Baldev Kumar & Co.

मैसर्स सुरेश चन्द्र एण्ड एसोसिएट्स

M/S Suresh Chandra & Associates

मैसर्स राज गुप्ता एण्ड कं.

M/S Raj Gupta & Co.



पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय: 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

ई-मेल: www.psbindia.com

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यवसायिक गतिविधियाँ परिचालित करने के लिए पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारकों की नौवीं सामान्य बैठक वृहस्पतिवार, 11 जुलाई, 2019 को प्रातः 10:00 बजे पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज, प्लॉट संख्या 3, संस्थागत क्षेत्र, , सेक्टर-3, जयपुर गोल्डन अस्पताल के पास, रोहिणी, दिल्ली-110085 में आयोजित होगी:

मद संख्या

1. वित्तीय परिणामों अर्थात् 31 मार्च, 2019 को बैंक का लेखा परीक्षित तुलन पत्र तथा लाभ हानि खातों, बैंक की लेखों में सम्मिलित अवधि में गतिविधियों एवं कार्य शैली पर निदेशक मण्डल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र एवं लेखों पर लेखाकारों की रिपोर्टों पर विचार करने, अनुमोदन करने तथा अंगीकार करने हेतु।

यह भी सूचित किया जाता है कि बैंक ने वार्षिक सामान्य बैठक में ई-मतदान/मतदान करने हेतु पात्र शेयरधारकों के नामों को सुनिश्चित करने की अंतिम तिथि 04.07.2019 निर्धारित की है। इसके अतिरिक्त नौवीं वार्षिक सामान्य बैठक के संबंध में शेयरधारकों के रजिस्ट्रार और बैंक की शेयर अंतरण बहियां दिनांक 05.07.2019 से 11.07.2019 तक (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) बंद रहेंगी।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 04 जून, 2019

(एस. हरिशंकर)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

Punjab & Sind Bank**(A Government of India Undertaking)****Head Office : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008****www.psbindia.com****NOTICE**

Notice is hereby given that the Ninth Annual General Meeting of Shareholders of Punjab & Sind Bank will be held on Thursday, the 11th July, 2019 at 10.00 a.m. at Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3, Near Jaipur Golden Hospital, Rohini, Delhi-110 085 to transact the following business:

Item No.

1. To discuss, approve and adopt the Financial Results viz. Audited Balance Sheet and Profit & Loss Accounts of the Bank for the year ended 31st March 2019, Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Notice is also given that the Bank has fixed 04.07.2019 as the 'Cut-Off date' to ascertain names of shareholders who shall be entitled to e-vote / vote at the Annual General Meeting. Further, the Register of shareholders and the share transfer books of the Bank will remain closed from 05.07.2019 to 11.07.2019 (both days inclusive) in connection with the Ninth Annual General Meeting.

By Order of the Board of Directors

Place : New Delhi
Date : 04 June, 2019

S Harisankar
MD & CEO

टिप्पणियां :

1. प्रतिनिधि की नियुक्ति:

बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए पात्र शेयर-धारक अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने एवं मत देने के लिए प्रतिनिधि की नियुक्ति करने हेतु पात्र होगा/होगी तथा प्रतिनिधि को बैंक का शेयरधारक होना अनिवार्य नहीं है।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार पंजाब एण्ड सिंध बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जा सकता है। विनियमों के विनियम 70(vi) के अनुसार प्रतिनिधि के लिखत अनुदानदाता को व्यक्तिगत रूप से बैठक में मतदान का अधिकार नहीं होगा जिससे इस प्रकार का लिखत संबंधित है।

प्रॉक्सी फार्म (अनुलग्नक-ए) तभी प्रभावी होगा जब वह पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय, लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, शेयर कक्ष, 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में वार्षिक समान्य बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् दिनांक 06.07.2019 (शनिवार) को सायं 5:00 बजे अथवा बैंक के कार्य-घंटों के समाप्त होने से पूर्व प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ मुख्तारनामा या अन्य अधिकार पत्र यदि कोई है, जो कि हस्ताक्षरित है अथवा नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित है सत्य-प्रति के रूप में प्रस्तुत की जाए बशर्ते यह मुख्तारनामा अथवा अधिकार-पत्र पूर्व में बैंक के पास जमा तथा पंजीकृत है।

2. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार पंजाब एण्ड सिंध बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी या निगमित निकाय जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत् प्रतिनिधि के रूप में बैठक में भाग लेने अथवा वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उसे एक यथाविधि अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने संबंधी संकल्प की एक प्रति उस बैठक के अध्यक्ष, जिसमें यह पारित किया गया था, द्वारा प्रमाणित किया गया हो, बैठक की तारीख से 4 दिन पूर्व अर्थात् 06.07.2019 (शनिवार) को सायं 5 बजे या इससे पहले पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय, लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग, शेयर कक्ष, 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में प्राप्त हो जाना चाहिए।

3. पंजीकरण, उपस्थिति पर्ची तथा प्रवेश पर्ची:

शेयरधारकों को बैठक में भाग लेने की सुविधा प्रदान करने हेतु दिनांक 11.07.2019 को प्रातः 9.00 बजे पंजीकरण प्रक्रिया, बैठक स्थल पर आरंभ होगी। शेयरधारकों को पंजीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण करने हेतु बैठक में समय से पहले उपस्थित होने का अनुरोध है।

शेयरधारकों की सुविधा हेतु इस नोटिस के साथ उपस्थिति पर्ची तथा उपस्थिति पास (अनुलग्नक 'ब') में संलग्न है। शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उपस्थिति पर्ची भर कर, उसमें दर्शाए गए स्थान पर अपने हस्ताक्षर कर, इसे बैठक स्थल पर सौंप दें इसके पश्चात् ही उन्हें प्रवेश पर्ची जारी की जाए। शेयरधारक के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि जैसी भी स्थिति हो प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पर्ची पर प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि जो भी स्थिति हो अंकित करेगा। शेयरधारकों /प्रॉक्सी-धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है कि बैठक में प्रवेश का अधिकार सत्यापन/जांच, जैसा भी आवश्यक समझा जाएगा, के पश्चात होगा और उनको वैध पहचान जैसे मतदाता पहचान पत्र/नियोक्ता पहचान पत्र/पैन कार्ड/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस आदि को साथ में लाने की सलाह दी जाती है। प्रवेश पास को प्रस्तुत करने पर चुनाव के लिए मतपत्र जारी किया जाएगा।

4. शेयर अंतरण एजेंटों के साथ पत्र-व्यवहार:

शेयरधारकों जिनके पास शेयर भौतिक स्थिति में हैं, से अनुरोध है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने ई-मेल पते, डाक पते, बैंक विवरण आदि में हुए परिवर्तनों (यदि कोई है) की सूचना बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को निम्न पते पर दें:

लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि.

यूनिट: पंजाब एण्ड सिंध बैंक,

नोबेल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट एनएच 2, सी-1, ब्लॉक एलएससी, सावित्री मार्केट के पास, जनकरपुरी, नई दिल्ली- 110058
फोन (011) 41410592 से 0594, फैक्स : (011) 41410591, ई मेल: delhi@linkintime.co.in

शेयरधारक जिनके पास शेयर अर्भौतिक रूप में हैं, से अनुरोध है कि समस्त संप्रेषण इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त करने के लिए अपने ई-मेल पते, डाक पते, बैंक विवरण में परिवर्तन/अद्यतन (यदि हो तो) की सूचना अपने डिपॉज़िटॉरी सहभागी को दें।

NOTES

1. **APPOINTMENT OF PROXY:**

A Shareholder entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such proxy need not be a shareholder of the Bank.

No person shall be appointed as a proxy who is an officer or employee of Punjab & Sind Bank as per provisions of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008. As per the regulation 70 (vi) of Regulations, the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The Proxy Form (Annexure -'A') in order to be effective must be received at Punjab & Sind Bank, Head Office Accounts & Audit Department, Shares Cell, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008, at least four days before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 06.07.2019 (Saturday) together with the Power of Attorney or other authority, if any, under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate unless such Power of Attorney or other authority has been previously deposited and registered with the Bank.

2. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE :**

No person shall be appointed as authorised representative who is an officer or employee of Punjab & Sind Bank as per provisions of Punjab & Sind Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2008.

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a company or any other Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the Resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been received at Punjab & Sind Bank, Head Office Accounts & Audit Department, Shares Cell, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008, at least four days before the date of the Annual General Meeting, i.e. on or before the closing hours of the Bank at 5.00 p.m. on 06.07.2019 (Saturday).

3. **REGISTRATION, ATTENDANCE SLIP AND ENTRY SLIP:**

In order to facilitate the shareholders attending the meeting, Registration process will commence from 9.00 a.m. on 11.07.2019, at the venue. Shareholders are requested to be present for the meeting well in advance, to complete the Registration formalities.

For the convenience of the shareholders, attendance slip and entry pass is annexed (Annexure-'B') to this notice. Shareholders/ Proxy Holders/Authorised Representatives are requested to fill in, affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue and thereafter entry slip shall be issued to them. Proxy/Authorised Representative of a shareholder should state on the attendance slip as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be. Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives may note that the admission to the meeting will be subject to verification / checks, as may be deemed necessary and they are advised to carry valid proof of identity viz., Voters ID Card / Employer Identity Card / Pan Card / Passport / Driving license etc. Ballot paper for poll will be issued against surrendering of entry pass.

4. **COMMUNICATION WITH THE SHARE TRANSFER AGENT:**

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes/update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to Share Transfer Agent of the Bank at the following address to receive all communication through electronic mode:

Link Intime India Pvt Ltd.

Unit: Punjab & Sind Bank

Noble Heights, 1st Floor, Plot NH 2, C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058

Phone : (011) 41410592 to 0594 Fax : (011) 41410591 E Mail : delhi@linkintime.co.in

Shareholders holding shares in dematerialised form are requested to intimate changes/ update, if any, in their email address, postal address, bank details etc. to their depository participants, to receive all communication through electronic mode.

5. लाभांश

बैंक द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

6. अप्रदत्त/दावा न किए गए लाभांश, यदि कोई हो:

जिन शेयरधारकों ने अपने विगत वर्ष के लाभांश वारंटों का नकदीकरण नहीं लिया है उनसे अनुरोध है कि बैंक के शेयर अंतरण एजेंट से उपर्युक्त पते पर या 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 में बैंक के शेयर कक्ष से संपर्क करें।

7. पृष्ठ संख्याओं (फोलियो) का समेकन:

जिन शेयरधारकों के पास एक से अधिक खातों में अपने समरूप नाम से शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. (आर.टी.ए.) को शेयर प्रमाण-पत्रों के साथ ऐसे खातों के लेजर फोलियो के साथ सूचित करें ताकि बैंक एक खाते में सभी धारित शेयरों का समेकन करने में सक्षम हो सके। पृष्ठांकन संबंधी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद, सदस्यों के शेयर प्रमाण-पत्र यथा समय लौटा दिए जाएंगे।

8. शेयर धारकों से अनुरोध:

शेयरधारकों/प्रॉक्सी धारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति साथ लेकर आए। वार्षिक सामान्य बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की कोई प्रति वितरित नहीं की जाएगी।

यह प्रशंसनीय होगा कि शेयरधारक अपने प्रश्न, यदि कोई हैं, समय से पर्याप्त पहले कंपनी सचिव, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्र.का. शेयर कक्ष, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली-110008 के पास प्रेषित करें या complianceofficer@psb.co.in पर ई-मेल करें।

9. शेयर धारकों के मताधिकार:

अधिनियम की धारा 3(2ई) में दिए गए प्रावधानों की शर्तों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा, बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने द्वारा धारक शेयर, बैंक के सभी शेयर धारकों के कुल मताधिकार का दस प्रतिशत से अधिक शेयर रखता है तो वह मताधिकार का पात्र नहीं होगा। बैंक सभी शेयरधारकों को एजेंडा मदों के लिए ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है। वा.सा.बैं. की ई-वोट, वोट की पात्रता की अंतिम दिनांक(कट ऑफ डेट) 04.07.2019 है। ई-वोटिंग की अवधि 08.07.2019 को पूर्वाह्न 10.00 बजे प्रारंभ होगी और 10.07.2019 को अपराह्न 5.00 बजे तक समाप्त होगी। इसके पश्चात ई-वोट नहीं की जा सकेगी। लॉगिन आईडी, पासवर्ड, प्रक्रिया संलग्न है।

जिन शेयरधारकों ने ई-वोट किया है वार्षिक सामान्य बैठक में भाग ले सकते हैं किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकते। यदि उन्होंने मतदान के माध्यम से मत का प्रयोग किया तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

10. शेयर कक्ष

शेयरधारकों को तीव्र एवं प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए बैंक ने प्रधान कार्यालय में शेयर कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक एवं निवेशकर्ता निम्न पते पर किसी भी प्रकार की सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं-

कंपनी सचिव,

पंजाब एण्ड सिंध बैंक,

प्रधान कार्यालय (शेयर कक्ष)

लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग,

21-राजेंद्र प्लेस, प्रथम तल, नई दिल्ली-110008

दूरभाष: 011- 25782926, 25812922 ई-मेल: complianceofficer@psb.co.in

11. अन्य जानकारी:

शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक में किसी भी प्रकार का उपहार/उपहार कूपन नहीं दिया जाएगा। कड़ी सुरक्षा के कारणों से हाल के भीतर ब्रीफ केस, खाद्य पदार्थ तथा निजी वस्तुएं ले जाना मना है। इसलिए बैठक में उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों को परामर्श दिया जाता है कि अपने सामान की सुरक्षा के लिए स्वयं व्यवस्था करें।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 04 जून, 2019

(एस.हरिशंकर)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

5. DIVIDEND

No dividend has been declared by the Bank for the year 2018-19.

6. UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their dividend warrants for the previous years are requested to approach the Banks' Share Transfer Agent at aforesaid address or at Banks' Shares Cell at Head Office, 21- Rajendra Place, New Delhi-110008.

7. CONSOLIDATION OF FOLIOS:

The shareholders, who are holding shares in identical order of names in more than one folio, are requested to intimate to Link Intime India Pvt. Ltd. (RTA), the ledger folio of such accounts together with the share certificate(s) to enable the Bank to consolidate all the holdings into one folio. The share certificate(s) will be returned to the Shareholders after making necessary endorsement in due course.

8. REQUEST TO SHAREHOLDERS:

Shareholders / Proxy holders / Authorised Representatives are requested to bring their copies of the Annual Report to the Annual General Meeting. No copy of the Annual report shall be provided at the venue of the Annual General Meeting.

It will be appreciated if shareholders submit their queries, if any, sufficiently in advance to The Company Secretary, Punjab & Sind Bank, HO Shares Cell, 21 Rajendra Place, New Delhi-110008 or email to complianceofficer@psb.co.in.

9. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS:

In terms of the provisions of Section 3 (2E) of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. The Bank is offering e-voting facility for agenda items to all shareholders. The Cut-off date for eligibility to e-vote/vote at AGM is 04.07.2019. The e-voting period shall commence on 08.07.2019 from 10.00 a.m. and end on 10.07.2019 up to 5.00 p.m. beyond which shareholders cannot e-vote. Details for log-in ID, password, procedure is annexed.

The shareholders who have e-voted can participate in the AGM but cannot participate in poll. Incase they vote through poll, the same will not be considered.

11. SHARES CELL

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, the Bank has set up a Shares cell at its Head Office, New Delhi, Shareholders may contact this Cell at the under mentioned address for any assistance :

The Company Secretary,

Punjab & Sind Bank,

Head Office, Shares Cell,

Accounts & Audit Department,

21 Rajendra Place, New Delhi-110008

Telephone: 011-25782926, 25812922

E-mail: complianceofficer@psb.co.in.

12. OTHER INFORMATION

Shareholders may kindly note that no gift/gift coupons will be distributed at the meeting.

Due to strict security reasons, brief cases, eatables and other belongings are not allowed inside the hall. Persons attending the meeting are, therefore, advised to make their own arrangements for the safe keeping of their articles.

By Order of the Board of Directors

Place : New Delhi

Date : 04 June, 2019

**S Harisankar
MD & CEO**

ई-मतदान प्रक्रिया

पंजाब एण्ड सिंध बैंक की नौवीं वार्षिक सामान्य बैठक के लिए ई-मतदान

समय-समय पर संशोधित कंपनीज (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के अनुसार बैंक नौवीं वार्षिक सामान्य बैठक में अपने शेयरधारकों को सीडीएसएल के माध्यम से ई-मतदान की सुविधा प्रदान करेगा।

सदस्यों हेतु इलेक्ट्रॉनिक विधि से मतदान हेतु निर्देश निम्नानुसार हैं :-

- मतदान अवधि दिनांक 08.07.2019 को प्रातः 10.00 बजे आरम्भ होगी और दिनांक 10.07.2019 को सायंकाल 5.00 बजे समाप्त हो जाएगी। इस अवधि के दौरान बैंक का शेयरधारक जिसके पास शेयर भौतिक रूप में अथवा अभौतिक रूप में हैं, अंतिम तिथि 04.07.2019 को अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर सकते हैं। उसके बाद सीएसडीएल द्वारा मतदान प्रक्रिया रोक दी जाएगी।
- शेयरधारकों को ई वोटिंग साइट www.evotingindia.com पर मतदान हेतु लॉग ऑन करना चाहिए।
- शेयरधारक/सदस्य (ओं) पर क्लिक करें।
- अब अपना यूजर आईडी प्रविष्ट करें :
 - सीडीएसएल हेतु - 16 अंकों की हिताधिकारी आईडी।
 - एनएसडीएल हेतु - 8 अंकों की कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की क्लाइंट आईडी।
 - भौतिक रूप में शेयर धारक अपनी पंजीकृत फोलियों संख्या प्रविष्ट करें।
- दर्शनी गई ईमेज को प्रविष्ट करें और लॉगइन पर क्लिक करें।
- यदि आपके पास शेयर अभौतिक रूप में हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉगऑन कर दिया है और पूर्व में किसी कंपनी हेतु मतदान कर दिया है तो अपना विद्यमान पासवर्ड का प्रयोग करें।
- यदि आप प्रथम बार मतदान कर रहे हैं तो निम्न चरणों का अनुसरण करें:

	भौतिक रूप तथा अभौतिक रूप (डीमेट) में शेयरधारकों हेतु
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फा-न्यूमेरिक पैन प्रविष्ट करें (यह डीमेट शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों दोनों के लिए लागू है) ऐसे सदस्य जिन्होंने अपना PAN कंपनी /डिपॉजिटरी सहभागी के पास अद्यतित नहीं कराया है , से अनुरोध है कि वे PAN फील्ड में क्रम संख्या जो पोस्टल बैलेट/उपस्थिति पर्ची पर प्रिंट है पैन फील्ड में प्रविष्ट करें।
लाभांश बैंक विवरण अथवा जन्म-तिथि (डीओबी)	लॉगइन करने हेतु अपने डीमेट खाते के रिकार्ड या कंपनी रिकॉर्ड के अनुसार कृपया लाभांश बैंक विवरण अथवा जन्मतिथि (दिन/माह/वर्ष प्रारूप में) में प्रविष्ट करें। यदि उपरोक्त दोनों विवरण डिपॉजिटरी या कंपनी के पास पंजीकृत नहीं हैं तो लाभांश बैंक विवरण फील्ड में निर्देश (iv) में उल्लिखित अनुसार सदस्य आईडी/फोलियों संख्या प्रविष्ट करें।

- इन विवरणों को प्रविष्ट करने के पश्चात, "SUBMIT" टेब पर क्लिक करें।
- सदस्य जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं, सीधे सेलेक्शन स्क्रीन पर सीधे पहुँच सकते हैं। तथापि सदस्य जिनके पास डीमेट रूप में शेयर हैं "पासवर्ड सृजन विकल्प" में पहुँचेंगे जहाँ उन्हें न्यू पासवर्ड फील्ड में अपना लॉगिन पासवर्ड प्रविष्ट करना आवश्यक है। कृपया ध्यानपूर्वक नोट करें कि यह पासवर्ड, डीमेट धारकों द्वारा, किसी भी कंपनी, जिसमें वह वोट देने के लिए समर्थ है, जबकि वह कंपनी जिसमें CDSL द्वारा ई-वोटिंग करवाती हो, प्रयोग किया जा सकता है। आपको गंभीरता से सलाह दी जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखें।
- सदस्य जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं, इस नोटिस में निहित प्रस्तावों पर केवल ई-वोटिंग के लिए उन विवरणों का उपयोग किया जा सकता है।
- पंजाब एण्ड सिंध बैंक के "EVSN" पर क्लिक करें जिसमें आप मतदान करना चाहते हैं।
- वोटिंग पृष्ठ पर आप रिजोल्यूशन विवरण के समक्ष हाँ/ नहीं का विकल्प, वोटिंग के लिए देखेंगे। हाँ अथवा नहीं जैसा आवश्यक हो, विकल्प का चुनाव करें। हाँ का विकल्प, प्रस्ताव के प्रति आपकी सहमति सूचित करता है तथा नहीं का विकल्प, प्रस्ताव के प्रति आपकी असहमति सूचित करता है।

E-Voting

E-Voting for the Ninth Annual General Meeting of Punjab & Sind Bank

In terms of Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time, Bank shall provide facility of e-Voting, through CDSL, to the shareholders for the Ninth AGM.

The instructions for shareholders voting electronically are as under:

- (i) The voting period begins on 08.07.2019 at 10.00 a.m. and ends on 10.07.2019 at 5.00 p.m. During this period shareholders' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date 04.07.2019, may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- (ii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- (iii) Click on Shareholders/ Members.
- (iv) Now Enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered.
- (v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.
- (vii) If you are a first time user follow the steps given below:

For Members holding shares in Demat Form and Physical Form	
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) Members who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number which is printed on Postal Ballot/Attendance Slip indicated in the PAN field.
Dividend Bank Details Or Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (dd/mm/yyyy) format as recorded in your demat account or in the company records in order to login. If the both details are not recorded with the depository or company please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

- (viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (xi) Click on the EVSN of Punjab & Sind Bank on which you choose to vote.
- (xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

- (xiii) यदि आप समस्त प्रस्ताव विवरण को देखना चाहते हैं तब "रिजोल्यूशन फाइल लिंक" पर क्लिक करें।
- (xiv) आपने जिस प्रस्ताव पर मतदान करने का निर्णय लिया है उसके चयन के बाद SUBMIT पर क्लिक करें। एक पुष्टि बॉक्स वहाँ दिखेगा, यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो "OK" पर क्लिक करें और यदि अपना वोट बदलना चाहते हैं तो CANCEL पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट संशोधित करें।
- (xv) यदि आप प्रस्ताव पर एक बार अपने वोट की पुष्टि कर देते हैं तब आपको उसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।
- (xvi) आप अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट भी मतदान पृष्ठ पर "प्रिंट लेने हेतु यहां क्लिक करें" पर क्लिक कर ले सकते हैं।
- (xvii) यदि डीमेट खाताधारक अपना परिवर्तित पासवर्ड भूल गया है तब यूजर आईडी और ईमेल सत्यापन कोड को प्रविष्ट करें और भूले हुए पासवर्ड पर क्लिक करें तथा प्रणाली द्वारा मांगे गए विवरण को प्रविष्ट करें।
- (xviii) शेयरधारक अपना मतदान सीडीएसएल की मोबाइल एप एम-वोटिंग का उपयोग करते हुए कर सकते हैं जोकि एन्ड्रायड आधारित मोबाइलों हेतु उपलब्ध है। एम-वोटिंग मोबाइल एप को गूगल के प्ले स्टोर से भी डाउनलोड किया जा सकता है। एप्पल और विंडो फोन का उपयोग करने वाले क्रमशः एप्पल स्टोर तथा विंडो फोन स्टोर से एप डाउनलोड कर सकते हैं। अपने मोबाइल पर मतदान करते समय मोबाइल एप द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुसरण करें।
- (xix) अवैयक्तिक शेयरधारक तथा अभिरक्षकों हेतु नोट
- अवैयक्तिक शेयरधारक (जैसे वैयक्तिक से इतर, हिंदू संयुक्त परिवार, एनआरआई आदि) और अभिरक्षकों को www.evotingindia.com लॉगिन करना होगा और कॉर्पोरेट के रूप में स्वयं को पंजीकृत कराना होगा।
 - पंजीकरण की स्कैन कॉपी जिस पर संस्था की मोहर तथा हस्ताक्षर होने चाहिए, को helpdesk.evotingindia@cdslindia.com पर ई-मेल कर देना चाहिए।
 - लॉगिन विवरण प्राप्त होने के बाद admin लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग कर अनुपालन यूजर क्रिएट करना चाहिए। अनुपालन यूजर, खाता(ओं) को लिंक करने में समर्थ होगा जिसके लिए वो मतदान करना चाहते हैं।
 - सभी खातों की सूची helpdesk.evotingindia@cdslindia.com को मेल कर देनी चाहिए और खातों की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद, वो मतदान करने में समर्थ होंगे।
 - अभिरक्षक के पक्ष में उनके द्वारा जारी पॉवर ऑफ अटॉर्नी और बोर्ड संकल्प की स्कैनड प्रति, यदि कोई है, को पीडीएफ प्रारूप में प्रणाली में अपलोड करना चाहिए ताकि छानबीन करने वाला उसको सत्यापित कर सके।
- (xx) व्यक्तियों जिन्होंने शेयर खरीदे हैं और नोटिस प्रेषित करने के बाद सदस्य बने हैं वे भी दूरस्थ ई-वोटिंग हेतु उपरोक्त प्रक्रिया अपना सकते हैं।

टिप्पणी: यदि कोई सदस्य(ओं) अपने वोट दोनों अर्थात भौतिक रूप या ई-वोटिंग से मतदान करता है तो ई-वोटिंग के माध्यम से किया गया मतदान मान्य रहेगा तथा भौतिक मतदान को अनदेखा कर दिया जाएगा। यद्यपि जिस शेयरधारक ने ने ई-मतदान के माध्यम से अपना वोट दिया है वह वार्षिक सामान्य बैठक में सहभागिता कर सकता है किंतु पोल में वोट नहीं कर सकता।

श्री दीपक गुप्ता, कार्यरत कंपनी सचिव (सीपी नं. 4629) को इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया है जो वार्षिक बैठक मतदान के लिए पक्ष या विपक्ष में डाले गए वोटों की रिपोर्ट तैयार करेंगे और बैठक समापन के 03 दिनों के भीतर वार्षिक सामान्य बैठक के अध्यक्ष को संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे;

अध्यक्ष द्वारा घोषित परिणाम के साथ संवीक्षक की रिपोर्ट को बैंक की वेबसाइट तथा सीडीएसएल की वेबसाइट पर परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद डाल दिया जाएगा;

पर्याप्त वोट की प्राप्ति पर संकल्प को वार्षिक सामान्य बैठक के दिन पारित माना जाएगा;

बैठक की सूचना www.psbindia.com तथा www.evotingindia.com पर भी प्रदर्शित है।

यदि ई-वोटिंग के संदर्भ में आपका कोई प्रश्न अथवा जिज्ञासा है तो प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न ("FAQs") पर जाएं तथा सहायता अनुभाग के अंतर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध ई-वोटिंग मेनुअल का अवलोकन करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल करें या श्री वेंकटेश्वर फुरतदो, डिप्टी प्रबंधक, CDSL, 16वां माला, पी.जे. टावर, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई-400001, दूरभाष नं. 18002005533 से संपर्क करें या श्री भारत भूषण, एसोशिएट उपाध्यक्ष, लिंक इनटाइम प्रा. इंडिया लिमिटेड, नोबेल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट एनएच 2, सी-1, ब्लॉक एलएससी, सावित्री मार्केट के पास, जनकरपुरी, नई दिल्ली- 110058 फोन (011) 41410592 से 0594, फैक्स : (011) 41410591 को फोन करें या delhi@linkintime.co.in को ई मेल करें।

- (xiii) Click on the “RESOLUTIONS FILE LINK” if you wish to view the entire Resolution details.
- (xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on “SUBMIT”. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on “OK”, else to change your vote, click on “CANCEL” and accordingly modify your vote.
- (xv) Once you “CONFIRM” your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvi) You can also take out print of the voting done by you by clicking on “Click here to print” option on the Voting page.
- (xvii) If Demat account holder has forgotten the changed password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xviii) Shareholders can also cast their vote using CDSL’s mobile app m-Voting available for android based mobiles. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Windows Phone Store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.
- (xix) Note for Non – Individual Shareholders and Custodians.
 - Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporates.
 - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
 - After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link account(s) for which they wish to vote on.
 - The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
 - A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- (xx) Person who have acquired shares and become members after despatch of notice may also use the above given procedure for remote e-voting.

Note: In case member(s) cast their vote both via Physical Ballot and e-voting, then voting done through e-voting shall prevail and voting done by Physical Ballot will be ignored. However, shareholder(s) who have casted their vote through e-voting can participate in General Meeting but cannot vote in poll.

Mr. Deepak Gupta, Practicing Company Secretary (CP No. 4629) has been appointed as the scrutinizer to the electronic voting process and for poll at the Annual General Meeting, who shall prepare and submit its report of the votes cast in favour or not in favour/ against, to the Chairman of the Annual General Meeting within 3 days of the conclusion of the meeting;

The results declared along with the scrutinizer’s report shall be placed on the website of the Bank and on the website of CDSL e-voting immediately after the result is declared by the Chairman;

Subject to receipt of the sufficient votes, the resolution(s) shall be deemed to be passed on the date of the Annual General Meeting;

Notice of the meeting is also displayed at www.psbindia.com and www.evotingindia.com.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (“FAQs”) and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call Mr. Wenceslaus Furtado, Deputy Manager, CDSL, 16th floor, P.J Tower, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001, Phone-18002005533 or Call Mr. Bharat Bhushan, Associate Vice President, Link Intime India Pvt. Ltd, Noble Heights, 1st Floor, Plot NH 2, C-1 Block LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058 Phone-41410592, 41410593 or write an email to delhi@linkintime.co.in.

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

निदेशक मण्डल को 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष हेतु बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के साथ तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि खाते को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण:

आर्थिक परिदृश्य

वैश्विक परिदृश्य:

12 अप्रैल, 2019 को वाशिंगटन डीसी में आयोजित फंड-बैंक स्प्रिंग मीटिंग्स के मौके पर, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास ने वैश्विक जोखिमों में से कुछ पर उभरते बाजार अर्थव्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से हमारे केंद्रीय बैंक के विषय में बताया। उन्होंने अपने भाषण के दौरान तीन चिंताओं पर प्रकाश डाला। एक यह कि वैश्विक विकास और व्यापार कमजोर हो रहा है। आईएमएफ ने अपनी इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट (अप्रैल 2019) में वैश्विक विकास प्रक्षेपण को 3.6% से घटाकर 3.3% कर दिया है। ईएमई के बारे में उन्होंने जो दूसरी बात कही है, वह यह है कि वे वित्तीय बाजार में उतार-चढ़ाव के प्रति अस्थिर हैं। उन्होंने देखा कि पूंजी प्रवाह के रुकने और परिवर्तन से अचानक जोखिम बढ़ गए हैं। ईएमई के लिए तीसरा जोखिम अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों की उच्च अस्थिरता है जो चालू खाता घाटा और मुद्रास्फीति के बढ़ते जोखिम को प्रस्तुत करता है। इनके कारण अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से तनाव जारी है जो वित्तीय बाजारों और व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित और आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर रहा है।

घरेलू आउटलुक:

सीएसओ द्वारा जारी आंकड़ों से पता चलता है कि 2018-19 की चौथी तिमाही में कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों में खराब विकास के कारण आर्थिक विकास दर घटकर 5.8% रह गई। 2018-19 के लिए वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद भी 6.8% का आंकड़ा जैसा कि 2017-18 के दौरान 7.2% था से कम दर्ज किया गया है। अप्रैल 2019 में आठ उद्योगों की वृद्धि (जो कुल कारखाने के उत्पादन में 40% का योगदान है) ने भी मंदी दर्ज की। हालांकि, सरकार ने राजकोषीय घाटे को अच्छी तरह से नियंत्रित करके जीडीपी के संशोधित लक्ष्य 3.4% के भीतर रखा है। उम्मीद है कि ये संकेतक वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आरबीआई के आर्थिक दृष्टिकोण को प्रभावित करेंगे, जब जून 2019 में मौद्रिक नीति की घोषणाएं की जाती हैं। कुछ कारकों में निजी उपभोग की वृद्धि, निश्चित निवेश में मामूली वृद्धि, मौन निर्यात और मंदी शामिल हैं। ऑटोमोबाइल और तेज गति से चलने वाले उपभोक्ता सामानों की बिक्री में, शहरी के साथ-साथ ग्रामीण मांग में भी वृद्धि की संभावना बढ़ सकती है, जैसा कि आरबीआई ने कहा है। आपूर्ति पक्ष में, कृषि क्षेत्र की वृद्धि में मंदी और उद्योग में वृद्धि को बनाए रखने के लिए चुनौती है।

2019-20 में हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति 4% से नीचे रिकॉर्ड करने की उम्मीद है, हालांकि कच्चे तेल और खाद्य कीमतों से कुछ अनिश्चितताओं बनी रहेगी

बैंकिंग क्षेत्र

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय पुनर्पूजीकरण की स्थिति में सुधार हुआ है। साथ में दबावग्रस्त पूंजी (इनसॉल्वेंसी एण्ड बैंकरप्सी कोड) के रिजॉल्यूशन के साथ, इससे बैंकों राहत देने की उम्मीद है। अब वे बेहतर तरीके से क्रेडिट में विस्तार करने के लिए तैयार हैं, जब अर्थव्यवस्था के अन्य कारक अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं।

बैंक के अग्रिमों में वर्ष 2018-19 के 12.2% की तुलना में वर्ष 2019-20 में 13 से 16% की सीमा में वृद्धि होने की उम्मीद है जोकि मुख्य रूप से मजबूत खुदरा ऋण की मांग, एनबीएफसी/एचएफसी से अधिक मांग और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता में वृद्धि के कारण है (वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के साथ)।

‘क्रिसिल की वित्तीय 2019 के द्वितीय अर्धवार्षिकी की रेटिंग’ की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018-19 के 12.2% की तुलना में वर्ष 2019-20 में 14% की सीमा में वृद्धि होने की उम्मीद है जोकि मुख्य रूप से मजबूत खुदरा ऋण की मांग, एनबीएफसी/एचएफसी से अधिक मांग और कार्यशील पूंजी की आवश्यकता में वृद्धि के कारण है (वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि के साथ)।

यह सामान्य सोच है कि आरबीआई वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान विकास समर्थक मौद्रिक नीति का पालन करेगा। हमारा बैंक खुदरा ऋण, कृषि, एमएसएमई और उच्च रेटेड कॉर्पोरेट सेगमेंट पर ध्यान दे रहा है। इसे पूंजी के विवेकपूर्ण प्रबंधन के साथ कैलिब्रेट किया जाएगा। देयता पक्ष पर, कासा के प्रभावी जुटाव द्वारा जमा की लागत को कम करने पर ध्यान दिया जाएगा। विशेष रूप से एमएसएमई और रिटेल सेगमेंट में क्रेडिट प्रोसेसिंग और डिलीवरी में संरचनात्मक परिवर्तन दिखाई हैं। बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म को बड़े पैमाने पर नवीनीकृत किया जा रहा है ताकि बैंक अपने व्यवसाय को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के लिए आवश्यक तकनीकी क्षमता प्राप्त कर सके।

DIRECTORS' REPORT

The Board of Directors has pleasure in presenting Annual Report of the Bank along with the Balance Sheet and Profit and Loss Account for the year ended 31st March, 2019.

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS:

Economic Outlook

Global Outlook:

On the sidelines of the Fund-Bank Spring Meetings held in Washington DC, on the 12th of April, 2019 Reserve Bank of India Governor Sri Saktikanta Das spoke about the concerns of our Central Bank from the perspective of the Emerging Market Economies on some of the Global risks. He highlighted three concerns during his speech. One is that the Global growth and trade is weakening. The IMF in its Economic Outlook Report (April 2019) has revised the global growth projection downward from 3.6% to 3.3%. The second concern he voiced about the EMEs is that they remain volatile to financial market volatility. He observed that the sudden risks of stops and reversals of capital flow has increased. The third risk to EMEs is the high volatility of international oil prices, presenting a heightened risk of current account deficit and inflation. Adding to these is the prolonged trade tensions between the US and China, which is impacting financial markets and business sentiments and disrupting supply chains.

Domestic Outlook:

The data released by the CSO shows that in the fourth quarter of 2018-19, economic growth slowed down to 5.8% due to poor growth in Agriculture and manufacturing sectors. The annual GDP for 2018-19 also registered a lower figure of 6.8% (as against 7.2% during 2017-18). Growth of the eight industries (which contribute to 40% of the overall factory output) also registered a slowdown in April 2019. However, the Government managed the fiscal deficit front well as it remained within the revised target 3.4% of the GDP. It is expected that these indicators will influence RBI's economic outlook for the FY 2019-20, when the monetary policy announcements are made in June 2019. Some of the factors including declining growth of private consumption, tepid increase in fixed investment, muted exports and slowdown in sales of automobile & fast moving consumer goods, slackening of urban as well as rural demand may outweigh the growth prospects, as seen by RBI. On the supply side, the challenge is to reverse the slowdown in growth of agriculture sector and sustain the growth in industry.

Headline CPI inflation is expected to record below 4% in 2019-20 though highly exposed to certain uncertainties, especially from crude oil and food prices.

Banking Sector:

Recapitalization has improved the financials of Public Sector Banks. Together with resolution of stressed assets (including those under the insolvency and bankruptcy code), this is expected to offer succor to the Banks. They are now poised in a better way to expand in credit once the other factors in the economy conjure up well.

Bank credit is expected to grow in the range of 13-16% in 2019-20 up from 12.2% in 2018-19 mainly driven by strong retail credit demand, higher demand from NBFCs/HFCs and increase in working capital requirement (with increase in commodity prices).

As Per 'Crisil Rating Roundup second half, fiscal 2019', report banking industry credit is expected to grow by 14% in 2019-20 up from 12.2% in 2018-19 mainly driven by strong retail credit demand, higher demand from NBFCs/HFCs and increase in working capital requirement (with increase in commodity prices).

It is the general thinking that RBI will be following a growth supportive monetary policy during the financial year 2019-20. Our bank will be focusing on Retail, Agriculture, MSME and High rated corporate segments for growing in advances. It will be calibrated with judicious management of capital. On the liability side, focus will be on reducing cost of deposits by effective mobilization of CASA. Structural changes in credit processing and delivery especially in the MSME and Retail segments are on the anvil. Information Technology platform of the Bank is being comprehensively refurbished so that the Bank attains the technological competence required to keep its business competitive.

कार्य-निष्पादन परिणाम

कुल व्यापार : दिनांक 31.03.2018 को बैंक के रु. 1,71,464.95 करोड़ की तुलना में वर्ष 31.03.2019 की समाप्ति पर बैंक का कुल व्यापार रु.1,71,305.07 करोड़ रहा।

लाभ : वित्तीय वर्ष 2017-2018 के दौरान 743.80 करोड़ की कुल हानि की तुलना में बैंक ने वर्ष 2018-2019 के दौरान रु.543.48 करोड़ की कुल हानि दर्ज की है। वर्ष 2017-18 के (-) 0.69% की तुलना में आस्तियों पर प्रतिफल 2018-19 में (-) 0.47% रहा।

लाभांश : बोर्ड ने वर्ष 2018-19 हेतु कोई लाभांश घोषित नहीं किया है।

पूंजी एवं आरक्षितियां : दिनांक 31.03.2018 को बैंक की निवल मालियत रु. 4,733.96 करोड़ की तुलना में दिनांक 31.03.2019 को रु.3652.26 करोड़ रही।

दिनांक 31.03.2019 को बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (बॉसल III) 10.93% है जोकि निर्धारित न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात 10.875% के विरुद्ध है।

जमाएं : बैंक की कुल जमा राशियों में 31 मार्च, 2019 को रु.98,557.60 करोड़ रही जोकि दिनांक 31.03.2018 को रु.1,01,726.17 करोड़ थी। दिनांक 31.03.2019 को बैंक की औसत जमा लागत 6.01% रही जोकि विगत वर्ष 5.93% थी।

अग्रिम : दिनांक 31.03.2019 को बैंक के कुल अग्रिम रु. 72,747.47 करोड़ रहे जोकि दिनांक 31.03.2018 को रु.69,738.78 करोड़ थे। दिनांक 31.03.2019 के अनुसार अग्रिमों पर औसत प्रतिफल 8.61% रहा जोकि विगत वर्ष 8.80% था।

सरकारी व्यवसाय विभाग

बैंक का भारत सरकार द्वारा शुरू की गई तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को महत्व प्रदान करने में योगदान है। दिनांक 31.03.2019 तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत 10,04,470 नामांकन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई) के तहत 1,99,498 नामांकन तथा अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत 1,47,639 नामांकन किए गए हैं।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने रु 119.28 लाख की गैर निधि आय प्राप्त की है।

बैंक की शाखाओं ने पीएफआरडीए द्वारा शुरू किए गए प्रत्येक एपीवाई अभियान में सहभागिता की और बैंक को "एपीवाई फॉर्मेशन डे (मई 2018)", "एपीवाई अनुकरणीय आठ (जनवरी 2019)" अभियान के लिए तीन पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नामित किया गया तथा "एपीवाई आर्ट ऑफ इन्क्लूजन (मार्च 2019)" के लिए सर्वश्रेष्ठ आंचलिक प्रबंधकों तथा सर्वश्रेष्ठ शाखा प्रबंधक को सात पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नामित किया गया।

विभिन्न सरकारी लघु बचत योजनाओं के तहत बैंक का प्रदर्शन अच्छा रहा और वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं (एससीएसएस) और सुकन्या समृद्धि खाता (एसएसए) के तहत कुल 9166 नए खाते खोले गए। बैंक ने इन सरकारी योजना के तहत रु 14.75 लाख की राशि गैर-निधि आय के रूप में प्राप्त की है।

वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन सामान्य रूप से समाज के सभी वर्गों और अति संवेदनशील जैसे कमजोर वर्गों तथा निम्न आय वर्गों को विशेषकर (अर्थात् छोटे एवं सीमांत कृषकों, भूमिहीन श्रमिकों, मौखिक किरायदारों, स्व-रोजगार तथा असंगठित क्षेत्रों के उद्योगों) उचित लागत पर न्यायोचित तथा पारदर्शी तरीके से वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच को सुनिश्चित करने हेतु प्रक्रिया है।

क. बैंक की दिनांक 31.03.2019 को पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत स्थिति:

क्र.सं.	मापदण्ड	स्थिति
1.	कुल पी.एम.जे.डी.वाई. खाते	13.05 लाख
2.	क्रियाशील पी.एम.जे.डी.वाई. खाते	11.18 लाख (86%)
3.	कुल जारी रुपे कार्ड	11.74 लाख (90%)
4.	पी.एम.जे.डी.वाई. शेष	₹ 685 करोड़
5.	पी.एम.जे.डी.वाई. खातों में औसत बैलेंस	₹ 5250/-
6.	पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत संस्वीकृत ओडी की संख्या	64180
7.	पी.एम.जे.डी.वाई. ओडी के अंतर्गत संस्वीकृत राशि	₹ 9.48 करोड़
8.	पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत जीरो बैलें वाले खातों की संख्या	18574 (1.4%)

WORKING RESULTS

TOTAL BUSINESS: During the year ended 31.03.2019, total Business of the Bank stood at Rs.1,71,305.07 crore as compared to Rs.1,71,464.95 crore as on 31.03.2018.

PROFIT: The Bank recorded a Net Loss of Rs.543.48 crore for the year 2018-19 as compared to Net Loss of Rs.743.80 crore during the FY 2017-18. The Return on Assets (ROA) stood at (-) 0.47% as compared to that at (-) 0.69% in the year 2017-18.

DIVIDEND: The Board has not recommended any dividend for the year 2018-19.

CAPITAL & RESERVE: The Net Worth of the Bank stood at Rs.3652.26 crore as on 31.03.2019 compared to Rs.4733.96 crore as on 31.03.2018.

The Capital Adequacy Ratio (Basel III) of the Bank is 10.93% as on 31.03.2019 against the minimum stipulated requirement of 10.875%.

DEPOSITS: The total deposits of the Bank stood at Rs.98,557.60 crore as on 31.03.2019 as compared to Rs. 1,01,726.17 crore as on 31.03.2018. The average cost of deposits of the bank stood at 6.01% as compared to 5.93% in previous year.

ADVANCES: The Bank's Advances stood at Rs.72,747.47 crore as on 31.03.2019 as compared to Rs.69,738.78 crore as on 31.03.2018. The average yield on Advances stood at 8.61% as compared to 8.80% during the last year.

ACHIVEMENTS UNDER PMSBY, PMJJBY AND APY

The Bank continues to accord importance to the three Social Security schemes launched by Govt. of India. During the FY 2018-19, enrollment of subscribers under the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) was 10,04,470 and under the Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) it was 1,99,498. The Bank could add 1,47,639 subscribers under the Atal Pension Yojana (APY) during the same period.

Bank has earned **Rs. 119.28 Lac** as a non-fund income on account of the above enrollments.

The Bank's branches had participated in every APY Campaign launched by PFRDA and the Bank secured Three Awards for the campaign "**APY Formation Day (May 2018)**", "**APY Exemplary Eight (Jan 2019)**" and "**APY Art of Inclusion (Mar 2019)**" alongwith 7 awards to Best Zonal Managers and Branch Manager.

The performance of the bank under different Small Saving Schemes of the Government continued to be good and during FY 2018-19, a total of **9166** new accounts were opened under the **Public Provident Fund (PPF)**, **Senior Citizen Saving Schemes (SCSS)** & **Sukanya Samriddhi Account (SSA)**. The Bank has earned **Rs. 14.75 Lac** as non fund income from these Schemes.

FINANCIAL INCLUSION

Our Bank has been an active participant in promoting Financial Inclusion. This is evident from the number of accounts opened, being successful in getting the account holders to keep the accounts funded, in providing Rupay Card linkage and providing all the attendant services with excellent coverage.

A. Bank's Status under PMJDY as on 31.03.2019:

Sl No.	Parameter	Status
1.	Total PMJDY A/Cs	13.05 lac
2.	Operative PMJDY Accounts	11.18 lac (86%)
3.	Total Rupay Cards Issued	11.74 lac (90%)
4.	Balance held in the PMJDY accounts	₹ 685 Cr.
5.	Average Balance in the the accounts	₹ 5250/-
6.	Number of Over Drafts Sanctioned in the accounts	64180
7.	Amount Sanctioned under the overdraft	₹ 9.48 Cr.
8.	Number of Zero balance accounts	18574 (1.4%)

ख.. ग्राम स्वराज अभियान एवं विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान:

वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार ने दूरदराज के क्षेत्रों के ग्रामीणों को बैंकिंग चैनल के अंतर्गत लाने हेतु दो एक बाद एक योजनाएं लागू की जहाँ बैंकिंग सेवाएं अभी तक मौजूद नहीं थीं। यह योजनाएं ग्राम स्वराज अभियान (दिनांक 14.04.2018 से 05.05.2018 तक) एवं विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान (दिनांक 01.06.2018 से 14.08.2018 तक) थीं। हमारे बैंक को आबंटित क्षेत्र में आबंटित गांवों में पी.एम.जे.डी.वाई. के खाते खोलने थे। हमारे बैंक की जी.एस.ए. के अंतर्गत कार्य-निष्पादन निम्न प्रकार है:

अभियान	लक्ष्य	बैंक की उपलब्धियां
जी.एस.ए.(14.04.18 - 05.05.18)	15339	11669 (76%)

विस्तारित ग्राम स्वराज अभियान (ई.जी.एस.ए.) :

भारत सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन की योजनाओं जैसे पी.एम.जे.डी.वाई., पी.एम.जे.जे.वाई. तथा पी.एम.एस.बी.वाई. में सार्वभौम कवरेज हेतु ई.जी.एस.ए. शुरू की गई है। वित्तीय सेवाएं विभाग ने भारत सरकार के उक्त प्रमुख कार्यक्रम के अंतर्गत शत-प्रतिशत कवरेज को प्राप्त करने में केंद्र एवं राज्य के प्रयासों में समन्वय करने हेतु, हमारे बैंक के कार्यकारी निदेशकों को पंजाब राज्य के दो जिलों जिनका नाम मोगा और फिरोजपुर हैं, आबंटित किया है। अन्य बैंकों की सहायता के साथ, इन दो जिलों में आबंटित किए गए सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया।

जिला/राज्य	गांव	पी.एम.जे.डी.वाई.			पी.एम.एस.बी.वाई.			पी.एम.जे.जे.वाई.		
		लक्ष्य	प्राप्ति	% प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	% प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	% प्राप्ति
फिरोजपुर (19 बैंक)	254	25814	27528	107	34201	35960	105	21523	21510	100
मोगा (17 बैंक)	207	13536	14990	111	13535	14873	110	8092	8282	102
कुल	461	39350	42518	108	47736	50833	106	29615	29792	101

हमारे बैंक का कार्य-निष्पादन निम्न प्रकार है:

पी.एम.जे.डी.वाई.			पी.एम.एस.बी.वाई.			पी.एम.जे.जे.वाई.		
लक्ष्य	प्राप्ति	% प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	% प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	% प्राप्ति
9546	11290	118.27	11161	12496	112	6810	7160	105.14

ग. पी.एम.जे.डी.वाई. अभियान (अक्टूबर '18 - मार्च '19):

वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार ने विस्तृत पीएमजेडीवाई कार्यक्रम में दिनांक 28.08.2018 के पश्चात् "प्रत्येक घर" के फोकस में परिवर्तन कर "प्रत्येक व्यस्क" का खाता खोलने की समय-सीमा में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। वित्तीय सेवाएं विभाग ने अक्टूबर, 2018 से मार्च, 2019 का अवधि के दौरान 3 करोड़ अतिरिक्त पीएमजेडीवाई खाते खोलने और इन सभी खातों में रुपये कार्डों को जारी करने के अभियान का शुभारम्भ किया। हमारे बैंक को अभियान के दौरान लक्ष्य भी आवंटित किए गए।

बैंक का अभियान के अंतर्गत निष्पादन:

क्र.सं.	मानदण्ड	लक्ष्य	बैंक की स्थिति	प्राप्ति का %
1	पीएमजेडीवाई खाते खोलना (अक्टूबर-मार्च)	3.19 लाख	2.23 लाख	70%
2	पीएमजेडीवाई रुपये कार्डों को जारी करना (अक्टूबर-मार्च)	3.19 लाख	1.75 लाख	55%

घ. व्यक्तिगत बैंक मित्र मॉडल:

बैंक ने ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ स्थायी शाखा उपलब्ध नहीं हैं, 11 राज्यों में 19 आंचलिक कार्यालयों के माध्यम से बैंककारी सेवाओं को प्रदान करने के लिए कुल 353 बैंक मित्रों की नियुक्ति की है। बैंक ने व्यक्तिगत बीसी मॉडल अंगीकार किया है। मैसर्स टीसीएस का चयन एफआईजी/सेवा उपलब्ध कराने वाले के रूप में किया गया है। व्यवसाय प्रतिनिधि मूलभूत बैंककारी सेवाएं जैसे खाता खोलना, जमा/आहरण एवं निधि अंतरण(अंतरपरिचालन), बैलेंस पूछताछ एवं मिनी विवरणी, जीसीसी/केसीसी बनवाना, सावधि जमा/आवर्ती जमा खोलना, विभिन्न माईक्रो बीमा योजनाओं (पीएमजेजेवाई, पीएमएसबीवाई) के साथ पेंशन योजनाएं (अटल पेंशन योजना) चलाना, और शाखाओं को अनर्जक खातों/तकनीकी रूप से बंद खाते में डाले गए खातों आदि की वसूली करना भी है।

B. Gram Swaraj Abhiyan & Extended Gram Swaraj Abhiyan :

Department of Financial services launched two subsequent schemes for bringing villagers from far-flung areas also under the ambit of Banking services. The first one named, 'Gram Swaraj Abhiyan (GSA)' as launched on 14.04.2018 and it lasted up to 05.05.2018. The second one named 'Extended Gram Swaraj Abhiyan (EGSA)' launched on 01.06.2018 continued up to 14.08.2018. Performance of our Bank under the GSA is mentioned below:

Campaign	Target	Bank's Achievement
GSA (14.04.18 – 05.05.18)	15339	11669 (76%)

EGSA was launched with the objective of providing universal coverage under financial inclusion. The Department of Financial Services allotted villages to Executive Directors of Public Sector Bank for supervising and coordinating the activities of various banks and support service agencies in the respective areas. Our Bank was allotted Moga & Ferozepur districts of Punjab for achieving 100% saturation under the flagship FI programmes of the government. We could achieve the targets allotted to the respective areas by effectively coordinating with all the banks operating there.

District/ state	Villages	PMJDY			PMSBY			PMJJBY		
		Targets	Achv	% achv	Targets	Achv.	% Achv	Targets	Achv.	% Achv
Ferozepur (19 banks)	254	25814	27528	107	34201	35960	105	21523	21510	100
Moga (17 banks)	207	13536	14990	111	13535	14873	110	8092	8282	102
Total	461	39350	42518	108	47736	50833	106	29615	29792	101

The performance of our Bank is mentioned below:

PMJDY			PMSBY			PMJJBY		
Target	Achv	% Achv.	Target	Achv	% Achv.	Target	Achv	% Achv.
9546	11290	118.27	11161	12496	112	6810	7160	105.14

C. PMJDY Campaign (Oct'18 – Mar'19):

Department of Financial services, Govt of India decided to extend the comprehensive PMJDY program beyond 28.08.2018 with the change in focus on opening accounts from "every household" to "every adult". The campaign was launched with the objective of opening 3 crore PMJDY accounts additionally and provide Rupay card linkage in all those new accounts. The target allotted to our Bank and achievement are given below:

Bank's performance under Campaign:

Sl No.	Parameter	Target	Bank's status	% Achievement
1	Opening of PMJDY Accounts (Oct-March)	3.19 lac	2.23 lac	70%
2	Issuance of PMJDY RuPay Cards (Oct-March)	3.19 lac	1.75 lac	55%

D. Individual Bank Mitr Model:

Bank has appointed a total of **353** Bank Mitrs in 11 states divided through 19 Zonal Offices to provide Banking Services to rural areas where brick & mortar branch is not available. Bank has adopted individual BC Model. M/S TCS has been selected for FIG/Service provider. BCs provide basic Banking services like A/C opening, Deposit/ Withdrawal & Fund Transfer (interoperable), Balance Enquiry & Mini Statement, sourcing of GCC/KCC, FD/RD opening, sourcing of various micro insurance schemes (PMJJBY,PMSBY) along with pension schemes (APY) & helping Branches in recovery of NPA/TWO accounts etc.

बैंक मित्रों का कार्य-निष्पादन:

विवरण	वित्तीय वर्ष 2017-18	वित्तीय वर्ष 2018-19
बैंक मित्रों द्वारा लाया गया कुल व्यवसाय	₹359 करोड़	₹382 करोड़
माईक्रो एटीएम पर की गई लेन-देन की संख्या	₹16.17 लाख	₹10.34 लाख
कुल खोले गए सावधि जमा/आवर्ती जमा खाते	8857	9809
कुल लाई गई जमा	₹242 करोड़	₹266 करोड़
कुल खोले गए केसीसी खाते तथा संवितरित राशि	2990 ₹104 करोड़	2760 ₹97.06 करोड़
कुल खोले गए जीसीसी खाते तथा संवितरित राशि	135 ₹1.65 करोड़	145 ₹2.47 करोड़
अनर्जक खातों की संख्या तथा वसूली गई राशि	2180 ₹11.82 करोड़	3083 ₹16.86 करोड़

ड. पुरस्कार एवं उपलब्धियां:

भारतीय बैंक संघ ने बैंक को 'बैंककारी तकनीकी, सम्मेलन, एक्सपो एवं अवार्ड, 2019' के अंतर्गत छोटे बैंकों के वर्ग में सर्वोत्तम वित्तीय समावेशन की पहल करने हेतु उप विजेता घोषित किया।

विपणन और बीमा विभाग

सोबरेन गोल्ड बॉन्ड : वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने सभी छह निर्गमों में सहभागिता की और 19.35 लाख रुपये की आय अर्जित करने के साथ 61.18 किलोग्राम सोने की बिक्री की।

गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम (सएमएजी): बैंक ने भारत सरकार की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को सफलतापूर्वक लागू किया और इस योजना को लागू करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का एक अग्रणी बैंक बन गया।

बैंकएश्योरेंस : वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और एलआईसी दोनों की कुल 5629 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचीं, जबकि 10.69 करोड़ रुपये का प्रीमियम जमा किया गया, जिसके फलस्वरूप 2.08 करोड़ रुपये की कमीशन आय प्राप्त हुई।

नई पहल

- एनसीएमसी कार्ड को क्रियांवित करना
- बैंक के कॉल सेंटरों द्वारा कार्ड को अवरुद्ध करना

प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम

बैंक ने प्राथमिकता क्षेत्र में कृषि को छोड़ कर, ऋण प्रदान करने हेतु एसोचैम से सर्वोच्च बैंक का सामाजिक बैंकिंग उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है और 14वीं वार्षिक सामाजिक उत्कृष्टता अवार्ड, 2018 में उप विजेता का पुरस्कार जीता है।

- दिनांक 31.03.2019 को कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम रु. 28,287 करोड़ (एनबीसी का 39.04%) रहे। तथापि, भा.रि. बैंक के दिशा-निर्देशानुसार, बैंक नियामक के (एनबीसी का 40%) प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में एनबीसी के 41.12% के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा।
- दिनांक 31.03.2019 को बैंक के कृषि अग्रिम रु. 11750 करोड़ (एनबीसी का 16.22%) रहे। औसत के आधार पर, बैंक ने कृषि ऋणों में अंतर्गत एनबीसी के 17.35% को प्राप्त कर लिया है।
- बैंक के छोटे एवं सीमांत कृषकों को अग्रिम रु. 6825 करोड़ (एनबीसी के 9.42%) दिनांक 31.03.2019 को रहे जोकि एनबीसी के 8.00% के लक्ष्य के विरुद्ध है।
- बैंक ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में रु. 1200 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध रु. 1150 करोड़ के अग्रिम प्रदान किए हैं जो लक्ष्य का 95.83% है।
- बैंक ने दिनांक 31.03.2019 तक केसीसी संचालित कुल 2.21 लाख खातों में से केसीसी के 2.16 लाख खातों (97.76%) में रुपये डेबिट कार्ड जारी किए हैं।

Performance of Bank Mitrs:

Particulars	FY 2017-18	FY 2018-19
Total Business brought by Bank Mitrs	Rs. 359 Cr	Rs 382 Cr
Total No of Transactions done on MicroATMs	Rs 16.17 Lac	Rs 10.34 lac
Total FD/RD Accounts opened	8857	9809
Total Deposit brought	Rs 242 Cr	Rs 266 Cr
No of KCC opened and Amount disbursed	2990 Rs 104 Cr	2760 Rs 97.06 Cr
No of GCC opened and Amount disbursed	135 Rs 1.65 Cr	145 Rs 2.47 Cr
No of Accounts with NPA Recovery & Amount Recovered	2180 Rs 11.82 Cr	3083 Rs 16.86 Cr

E. Awards & Achievement:

The bank was adjudged as the Runner Up in the category of the **Best Financial Inclusion Initiatives amongst Small Banks by Indian Banks' Association** in 'Banking technology, Conference, Expo & Awards 2019'.

MARKETING AND INSURANCE

Sovereign Gold Bond: During FY 2018-19 Bank participated in all the six issues and was able to mobilize the sale of 61.18 Kg Gold with earning a commission of Rs 19.35 Lakh.

Gold Monetization Scheme (GMS): The Bank successfully rolled out the Gold Monetization Scheme of Govt. of India and joined the list to become one of the leading public sector bank to implement this scheme.

Bancassurance: The Bank sold a total of 5629 Life insurance policies during FY 2018-19 of both SBI Life Insurance Co and LIC of India, while a premium to the tune of Rs 10.69 Crore was collected resulting in a commission income of Rs 2.08 Crore.

NEW INITIATIVES

- Implementation of NCMC cards
- Card Blocking through Bank's Call Centre

PRIORITY SECTOR ADVANCES

Bank has won Social Banking Excellence Awards from ASSOCHAM as the Best Bank under the 'Priority Sector Lending other than Agriculture' and Runner-up under the Agricultural Banking Category for Small class' at the 14th Annual Banking Social Banking Excellence Awards, 2018.

- Total Priority Sector Advances stood at Rs. 28287 crore (39.04% of ANBC) as on 31.03.2019. **However, as per RBI guidelines, Bank was able to surpass the regulatory target of (40% of ANBC) to PS Advances on average basis achieving 41.12% of ANBC.**
- Bank's Agriculture advance stood at Rs.11750 crore (16.22% of ANBC) as on 31.03.2019. **On average basis, Bank has achieved 17.35% of ANBC under Agriculture Advances.**
- Bank's advance to Small & Marginal Farmers stood at Rs.6825 Crore (9.42% of ANBC) as on 31.03.2019 against the target of 8.00% of ANBC.
- Bank made advances to the tune of Rs. 1150 crore against the target of Rs. 1200 crore under Pradhan Mantri Mudra Yojana which is 95.83% against the target.
- Bank has issued RuPay Debit Cards in 2.16 lac KCC accounts out of the total operative KCC accounts of 2.21 lac (97.76%) as on 31.03.2019

- बैंक के पंजाब और हरियाणा में ब्लॉक स्तर पर व्यक्तियों को वित्तीय साक्षरता प्रदान करने हेतु 17 वित्तीय साक्षरता केंद्र (एफएलसी) हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान, एफएलसी सलाहकारों द्वारा 1293 कैंपों का आयोजन किया गया जिसमें 62509 व्यक्तियों ने सक्रियता से सहभागिता की तथा उनको मल बैंकिंग सेवाओं के प्रति जागरूक किया गया ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, बैंकिंग सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।
- बैंक का कमजोर वर्गों को अग्रिम रु. 7948 करोड़ रहा जो एनबीसी के 10% के लक्ष्य के विरुद्ध 10.97% है।

प्राथमिकता क्षेत्र में नई पहल:

- बैंक ने विशिष्ट एसएमएसई शाखाओं की श्रेणी में 36 शाखाएं जोड़ी हैं जिसके कारण विशिष्ट एसएमएसई शाखाओं की संख्या 144 हो गई है।
- वर्तमान एसएमएसई ग्राहकों की विभिन्न वित्तीय आवश्यकताओं का ध्यान रखने हेतु विशिष्ट एसएमएसई शाखाओं में संपर्क अधिकारियों की नियुक्तियां की गई हैं और एसएमएसई ग्राहकों हेतु प्रत्येक शाखा में विशेष हेल्प डेस्क बनाई गई है।
- बैंक ने समूह आधारित वित्तपोषण को अंगीकार किया है। हमारी 268 एमएसएमई समूह में 803 शाखाएं हैं। 156 एमएसएमई समूहों में 71 विशेषीकृत शाखाएं हैं। बैंक की 73 फूड एवं एग्री प्रसंस्करण समूहों में उपस्थिति है।
- इस वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्रत्येक आंचलिक कार्यालय ने अपने क्षेत्र/रीजन में अच्छे संभावना वाले दो एसएमएसई समूहों को अंगीकार किया है और उनकी आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए उद्योगों/व्यापार एसोशिएसनों के साथ संपर्क में हैं।
- बैंक ने मैसर्स ऑनलाईन पीएसबी अग्रिम लि. के साथ ऑनलाईन एमएसएमई ऋण प्रस्तावों को प्रोत्साहित करने हेतु करार किया है।
- एम.एस.एम.ई. ऋणियों के ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिलों की डिस्काउन्टिंग को शुरू किया गया है।

खुदरा ऋण विभाग

- दिनांक 31.03.2019 को बैंक का खुदरा ऋण संविभाग ₹ 15,826 करोड़ रहा और तदनुसार, खुदरा ऋण ने विगत वर्ष के विरुद्ध 8.22% की व्यवसायिक वृद्धि दर्ज की है।
- बैंक के कुल अग्रिम में रु. 3042 करोड़ की वृद्धि हुई और उसमें से खुदरा ऋण का अंश ₹ 1202 करोड़ का है जो कुल वृद्धि का 40% है।
- दिनांक 31.03.2019 को कुल अग्रिम के विरुद्ध खुदरा ऋण का प्रतिशत 21.74% रहा।
- हमने गुणवत्तापूर्ण खुदरा (आर.एल.सी.) प्रदान करने और टी.ए.टी. में कटौती के लिए चार केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र खोले हैं। वर्तमान में, बैंक की आर.एल.सी. के क्षेत्र में 155 शाखाएं हैं।
- बैंक ने खुदरा ऋण के उत्पादों को अधिक प्रति-स्पर्धात्मक तथा आकर्षक बनाने के लिए उनका औचित्यकरण किया है। बैंक ने एम.एस.एम.ई. श्रेणी के अंतर्गत ठेकेदारों की ऋण की विस्तृत मांग को पूर्ण करने और बाजार में अपने आपको प्रति-स्पर्धात्मक रूप से स्थापित करने हेतु नए उत्पाद जैसे पीएसबी कॉन्ट्रेक्टर प्लस शुरू किया है।
- पेस्टीवल बोनान्जा अभियान के अंतर्गत (01.10.2018 से 31.03.2019) जिसमें खुदरा ऋण उत्पाद अर्थात् पी.एस.बी. अपना घर और पीएसबी अपना वाहन सम्मिलित हैं, बैंक ने ₹ 1091 करोड़ के नए ऋण संस्वीकृत किए हैं।

आस्ति गुणवत्ता:

बैंक का अनर्जक आस्तियों पर नियंत्रण हेतु प्रयास जारी हैं और विधिक साधनों एवं संवाद पर आधारित समझौतों सहित वसूली के सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग किया है। "प्रतिभूतीकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002" के प्रावदानों को प्रभावी ढंग से उपयोग किया है। बैंक ने वर्ष के दौरान, विभिन्न केंद्रों पर वसूली कैंपों का आयोजन भी किया है।

बैंक की वर्ष के दौरान अनर्जक खातों में वसूली औचित्यपूर्ण रही है। वसूली के लिए किए गए अथक तथा केंद्रित प्रयासों के परिणाम स्वरूप ₹ 186.01 करोड़ की तकनीकी रूप से बट्टे खातों में डाली गई राशि सहित कुल ₹ 2369.34 करोड़ की वसूली की जा सकी है।

बैंक ने नए अनर्जक खातों में वृद्धि को रोकने हेतु यथा संभव प्रयास किए हैं। जिसके परिणाम स्वरूप, दिनांक 31.03.2019 को हमारे सकल एनपीए तथा निवल एनपीए को क्रमशः ₹ 8605.87 करोड़ और ₹ 4994.23 करोड़ पर रोकने में सफल रहे जोकि दिनांक 31.03.2018 के ₹ 7801.65 करोड़ तथा ₹ 4607.87 करोड़ के विरुद्ध हैं।

विगत वर्ष की तुलना में, दिनांक 31.03.2019 को सकल एनपीए और निवल एनपीए की स्थिति निम्न प्रकार है:-

राशि ₹ करोड़ में

एनपीए	31.03.2018 को		31.03.2019 को	
सकल	7801.65	11.19%	8605.87	11.83%
निवल	4607.87	6.93%	4994.23	7.22%

दिनांक 31.03.2019 को बैंक का प्रावधानन कवरेज अनुपात 59.46% रहे।

- Bank has 17 Financial Literacy Centres (FLCs) at block level in Punjab & Haryana to spread financial literacy among people. A total of 1293 camps have been organized during the 2018-19 by FLC Counsellors wherein 62509 people actively participated and were sensitized about Basic Banking Services, so that they are able to avail banking services according to their requirements.
- Bank's lending to weaker sections stood at Rs.7948 Crore achieving 10.97% of ANBC as against a target of 10% of ANBC.

New Initiatives in Priority Sector:

- Bank has added 36 branches in the category of specialized MSME branches thus raising total number of Specialized MSME branches to 144.
- Relationship Officers have been appointed in specialized MSME branches to take care of various financial needs of existing MSME Customers and special helpdesk created at each of these branches for MSME Customers.
- Bank has adopted cluster-based Financing. We have 803 Branches in 268 MSME clusters, 71 Specialized Branches in 156 MSME clusters. Bank has presence in 73 Food and Agro Processing Clusters.
- Each Zonal office has adopted two MSME clusters having good potential in their area/ region during this FY 2018-19 and liaising with industries/ trade associations for identifying their needs.
- Bank has entered into tie up arrangement with M/s Online PSB loans Limited for mobilizing online MSME loan proposals.
- Bill discounting of MSME borrowers through TReDS platform has been introduced.

RETAIL LENDING

- The Retail Lending portfolio of the Bank as on 31.03.2019 stands at Rs 15826 Cr and thereby, Retail Lending has registered a business growth of 8.22 % over the previous year.
- Total advance of the Bank has increased by Rs. 3042 crore and out of that the share of retail credit is Rs. 1202 crore which is 40% of the total increase.
- The percentage of Retail credit to Gross Advances was 21.74% as on 31.03.2019.
- We have opened four centralized processing centres for retail (RLCs) to improve quality of lending and to curtail TAT. Presently 155 branches of the Bank are under the ambit of RLCs.
- The Bank has modified its Retail Loan products to make them more attractive and competitive. A new product viz., PSB Contractor plus has been designed in order to meet credit demands of contractors under the MSME category.
- A special campaign titled "Festival Bonanza" was run from October 2018 to March 2019, covering the Retail products viz. PSB Apna Ghar and PSB Apna Vahan. The Bank sanctioned fresh loans to the tune of Rs. 1091 crore during the campaign.

Asset Quality:

The Bank continued to make concerted efforts to contain NPAs and has used all available tools of recovery including negotiated settlements and legal means. The provisions of "The Securitization & Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act -2002" were used effectively. The Bank had also organized Recovery Camps during the year at various centers.

The performance of the Bank under recovery of NPAs during the year remained reasonable. The aggressive and focused efforts resulted in the total recovery of over ₹2369.34 Crore during the year including recovery of ₹186.01 Crore in Technically Written Off Accounts.

Bank has made earnest efforts to contain fresh slippage. As a result our gross NPAs and net NPAs as on 31.03.2019 have been stood at ₹8605.87 Crore and ₹4994.23 Crore respectively against ₹7801.65 Crore and ₹4607.87 Crore as on 31.03.2018.

The position of Gross and Net NPAs as on 31.03.2019 vis-à-vis previous year is as under;

Amount in ₹ Crore

NPA	As on 31.03.2018		As on 31.03.2019	
Gross	7801.65	11.19%	8605.87	11.83%
Net	4607.87	6.93%	4994.23	7.22%

The Provision Coverage Ratio of the Bank as on 31.03.2019 stood at 59.46%.

दबावग्रस्त आस्तियों के प्रबंधन हेतु वर्टिकल बनाना (SAMverT)

₹25 करोड़ एवं अधिक की दबावग्रस्त आस्तियों का प्रबंधन करने के लिए सेमवर्टी एक विशेषज्ञ वर्टिकल है। वर्टिकल के निम्न अनुदेश हैं -

- एसएमए खाते -एसएमए की निगरानी करने हेतु - 1 & 2 खाते जिनका बैलेंस रु. 25 करोड़ एवं अधिक है।
- एनपीए/टीडब्लूओ खाते - सुनिश्चित करता है कि सरफेसी अधिनियम/डीआरटी अधिनियम/दीवीलिया एवं दीवाला कोड आदि के अंतर्गत समय से कार्रवाई करता है।

ऋण निगरानी विभाग की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

ऋण निगरानी विभाग ₹ 25 करोड़ से कम बैलेंस के मानक एवं एसएमए खातों की निरंतर निगरानी करता रहेगा

वित्तीय वर्ष 2018-19 में की गई प्रगति

वित्तीय वर्ष 2018-19 में, विभाग ने ₹ 2000 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध कुल ₹ 2327.86 की वसूली की। इस वसूली में टीडब्लूओ की ₹ 186.18 करोड़ की वसूली सम्मिलित है जो ₹ 160 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध है।

ऋण निगरानी

बैंक ने ऋण एक्सपोजरों वाले उच्च मूल्य खातों की प्रभावशाली निगरानी तथा नयी चूक गिरावट पर नियंत्रण रखने के लिए रु. 25 लाख से अधिक के जोखिमों हेतु प्रधान कार्यालय स्तर पर तथा ₹ 25 लाख तक के ऋणों की निगरानी हेतु आंचलिक कार्यालय स्तर पर अलग से नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। इन निरीक्षण कक्षों ने अंचलों तथा शाखाओं के साथ निरन्तर आधार पर बड़े स्तर पर नए एनपीए बनने से रोकने को सुनिश्चित करने हेतु नजदीकी अनुवर्ती कार्रवाई की है। आरबीआई तथा मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र मामलों की पुनरसंरचना की जा रही है।

विभाग ने अन्य अभिकरणों जैसे एक्सपीरियन के साथ गठबंधन किया है और आवश्यक तत्परता बढ़ाने के लिए सिबिल के अन्य उत्पाद जैसे ई-पुष्टीकरण एवं क्रिसिल एमएसएमई को नामांकित किया है। एक नियंत्रण प्रणाली के तौर पर, विभाग द्वारा कई कार्य-विधियों का विकास किया गया है ताकि स्वचालन से सूचना प्रदान करने/राजस्व की हानि पर रोक लगाने में सरलता हो।

निवेश प्रबंधन तथा विदेशी विनिमय

- 31.03.2019 को बैंक की संस्थागत क्षेत्र की आवश्यकता, जोखिम संग्रह एवं बैंक की निवेश नीति के अनुरूप बैंक का सकल निवेश ₹26461.32 करोड़ था।
- बैंक ने इस वर्ष सरकारी प्रतिभूतियों तथा गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूति में ट्रेडिंग गतिविधियों से अब तक का सबसे उच्चतम लाभ अर्जित किया जोकि मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के ₹259.52 करोड़ से 38.08% बढ़कर 31.03.2019 को ₹358.36 करोड़ हो गया है।
- विदेशी विनिमय विभाग का कुल लाभ ₹29.52 करोड़ है जो कुल आय और कुल व्यय की नेटिंग है। (कुल आय में डीलिंग कक्ष का विनिमय लाभ, अन्य बैंकों से प्राप्त आय, ईबीआरडी पर ब्याज, पीसीएफसी, एफसीडीएल तथा विविध आय जैसे एफपीसी, एफएससी आदि का निरस्तीकरण और कुल व्यय में सम्मिलित है मर्दे जैसे एएमसी, स्विफ्ट प्रभार आदि)
- डीलिंग कक्ष का ₹14.10 करोड़ का विनिमय लाभ कुल आय का हिस्सा है जिसको विभाग द्वारा डीलिंग कक्ष की गतिविधियों द्वारा अर्जित किया जाता है।

जोखिम प्रबंधन

बैंक ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसके जोखिम, परिभाषित जोखिम क्षमता के भीतर हैं और उनकी पर्याप्त रूप से निगरानी की जाती है, के लिए एक सुदृढ़ एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली को कार्यरूप दिया है। बैंक के शिखर स्तर के प्रबंधन तथा बोर्ड के अधिकारों में प्रभावी जोखिम प्रबंधन तथा बैंक की जोखिम प्रवृत्ति को लागू करने का संपूर्ण दायित्व है। महाप्रबंधक की अध्यक्षता में प्र.का. जोखिम प्रबंधन विभाग (आर.एम.डी.) द्वारा बैंक में एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली लागू की जाती है।

जोखिम प्रबंधन के कार्य जोखिम प्रबंधन समिति (आर.एम.सी.) - बोर्ड स्तर की समिति द्वारा किए जाते हैं। क्रेडिट जोखिम प्रबंधन समिति (सी.आर.एम.सी.), आस्ति एवं देयताएं प्रबंधन समिति (एलको), परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओ.आर.एम.सी.), बाजार जोखिम प्रबंधन समिति (एम.आर.एम.सी.), और आईसीएएपी के अनुसार पूंजी आयोजना समिति जैसी अन्य समितियां हैं।

Formation of Stressed Asset Management Vertical (SAMverT)

The SAMverT is a specialized vertical for management of all stressed assets of Rs.25 Crore and above. The following are the mandates of the vertical:

- i. **SMA accounts** -To monitor the SMA- 1 & 2 accounts having Balance Outstanding amount Rs.25.00 Crores and above.
- ii. **NPA/TWO accounts** – Ensures that timely action is taken under SARFAESI Act/ DRT Act/ Insolvency & Bankruptcy Code etc.

Role & Responsibilities of credit monitoring department

The credit monitoring department will continue to monitor all standard accounts and SMA accounts having outstanding below Rs.25 Crore.

Progress made in the FY 2018-19

In the financial year 2018-19, the department has made total recovery amounting to Rs.2327.86 Crores against the target of Rs.2000.00 Crores. This recovery includes TWO recovery of Rs.186.18 Crores against the target of Rs.160.00 Crores.

CREDIT MONITORING

The Department has already set up a Control Room for proper and effective monitoring of large accounts, with exposure above Rs.25 Lac at HO and accounts up to Rs.25 Lac by separate Control Rooms at Zonal Offices. These Control Rooms maintain close follow-up with the zones and branches on an ongoing basis so that there is an effective management of SMA and prevention of slippage. Restructuring of eligible cases also is being done as per the RBI guidelines.

The Department has entered into tie-up with agencies like Experian and also subscribed products like the “CIBIL like e-verify” and “CRISIL MSME Rank” for enhanced Due diligence. Various functionalities have been developed for easy reporting and having an effective check on revenue leakage besides bringing about Capital Conservation with the help of automation.

INVESTMENT & FOREIGN EXCHANGE

- The Bank's total gross investment as on 31.03.2019 was Rs.26461.32 crore, with a portfolio that is consistent with our requirement, risk perception and investment policy.
- Through sale/redemption of securities (G-sec as well as Non SLR securities) the Department earned a profit of Rs.358.36 crores, which registered an increase of 38.08% over the profit as on (which was Rs.259.52 crores).
- The total profit of foreign exchange department of Rs. 29.52 crores is netting of total income and total expenditure (Total Income includes Dealing room exchange profit, Interest received from other banks, Interest on EBRD, PCFC and FCDL and Misc. income such as cancellation of FPC, FSC etc. and total expenditure includes items such as AMC, SWIFT charges etc.)
- The dealing room exchange profit of Rs. 14.10 crores is part of the total income which is earned by the department through dealing room activities

RISK MANAGEMENT

The Bank has put in place a robust and integrated Risk Management system to ensure that the risks assumed by it are within the defined risk appetites and are adequately monitored. The overall responsibility of setting the Bank's risk appetite and effective risk management rests with the Board and apex level management of the Bank. The implementation of Integrated Risk Management System in the Bank is monitored by HO Risk Management Department (RMD) headed by General Manager.

The Risk Management Function is managed through Risk Management Committee (RMC)- a board level subcommittee. Other Committees are Credit Risk Management Committee (CRMC), Asset and Liabilities Management Committee (ALCO), Operational Risk Management Committee (ORMC), Market Risk Management Committee (MRMC) and Capital Planning Committee as per ICAAP.

नीति-तंत्र : बैंक के समक्ष जोखिमों का मापन, प्रबंधन एवं नियंत्रण करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीतियां तथा कार्यविधियां हैं। अन्य महत्वपूर्ण जोखिम नीतियों में एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति, आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति, ऋण जोखिम प्रबंधन नीति, बाजार ऋण प्रबंधन नीति, परिचालनगत जोखिम प्रबंधन (ओआरएम) नीति, व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) व आपदा उद्धार प्रबंधन (डीआरएम) नीति, स्ट्रेस टेस्टिंग नीति, ऋण जोखिम कम करने संबंधी तकनीकों की प्रयोग नीति तथा संपार्श्विक प्रबंधन, आईसीएपी नीति, एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति, इंद्रा गुप लेन-देनों एवं जोखिम के प्रबंधन तथा लॉस डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क पर नीति ।

बैंक का बेसल-II एवं बेसल-III के साथ अनुपालन: बैंक ने मास्टर परिपत्र दिनांक 01 जुलाई, 2015 की शर्तों के अनुसार, बेसल-III पूंजी अधिनियमों को लागू किया है। इन नियम एवं शर्तों पर आधारित, बैंक ने ऋण जोखिम हेतु मानकीकृत दृष्टिकोण, बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत मापन प्रणाली और परिचालन जोखिम हेतु मूल सूचक को पूंजीगत चार्ज को लिए अंगीकार किया है।

बैंक ने बॉसल-III के दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित किया है और सीआरएआर की संगणना शुरू की है जो जून, 2013 से प्रभावी है। बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सीआरएआर की तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है। बॉसल-III के दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु बैंक में विस्तृत संकलन जोखिम प्रबंधन उद्यम प्रक्रिया (ईआईआरएमएस) की स्थापना हेतु एक परामर्शदाता की नियुक्ति की गई है।

आई.सी.ए.ए.पी. नीति: बॉसल-II व बॉसल-III - स्तंभ 2- पर्यवेक्षणीय समीक्षा एवं मूल्यांकन प्रक्रिया (एसआरईपी) विषयक, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में यह सुनिश्चित करने के लिए कि पूंजी आवश्यकता का मूल्यांकन, बैंक के आकार, जटिलता का स्तर, जोखिम प्रोफाइल तथा संचालन की परिधि के अनुरूप है, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएपी) नीति तैयार की गई है। विभिन्न अवशिष्ट जोखिमों का निर्धारण किया जाता है तथा जहाँ अपेक्षित हो वहाँ अतिरिक्त पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। आईसीएपी परिणाम तिमाही आधार पर तैयार किया जाता है तथा जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है।

प्रकटीकरण: बॉसल-II व बॉसल-III, स्तंभ-3 'बाजार अनुशासन' विषयक, भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शी निर्देशों के अनुपालन में बैंक के निदेशक-मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित प्रकटीकरण नीति लागू की गई है और इस नीति के अनुसार तिमाही/छमाही/वार्षिक आधार पर इन्हें बैंक की वेबसाइट/वार्षिक रिपोर्ट में प्रदर्शित किया जाता है।

ऋण जोखिम: ऋण-जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में इसकी पहचान, आकार, ऋण-कारोबार पर निगरानी व नियंत्रण शामिल हैं। ऋण-जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) द्वारा ऋण-जोखिम तथा नीति-निर्माण का प्रबंधन किया जाता है। इसके द्वारा उद्योग, कॉर्पोरेट, खुदरा तथा व्यक्ति/समूह ऋणकर्ताओं की विवेकपूर्ण सीमाओं की निगरानी नियमित रूप से की जाती है।

कॉर्पोरेट जोखिम के लिए ऋण रेटिंग जोखिम जोखिम मॉडल और एनबीएफसी ऋण जोखिम, रियल स्टेट एवं खुदरा ऋण जोखिम, खुदरा ऋणों के लिए जोखिम निर्धारण से संबंधित ऋणों का मूल्यांकन तथा ऋण रेटिंग, एवं उद्योगों/पोर्टफोलियो का अध्ययन एवं विश्लेषण के लिए और ऋण रेटिंग के उत्प्रवासों के लिए एक व्यापक ऋण रेटिंग फ्रेमवर्क बनाया गया है।

बाजार जोखिम: बैंक का पोर्टफोलियो ब्याज-दरों तथा मुद्रा-दरों में परिवर्तन के फलस्वरूप बाजार जोखिम से प्रभावित होता है।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (ए.एल.सी.ओ.) बाजार जोखिम से संबंधित काम-काज की निगरानी करती है। बैंक ने विभिन्न बाजार जोखिम मापन-प्रणाली व साधनों को लागू किया है। विभिन्न परिसीमाओं का कड़ा अनुपालन तथा उल्लंघनों में वृद्धि, यदि कोई हो, का उचित अनुसरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक मध्यस्थ कार्यालय भी स्थापित है।

तरलता प्रबंधन तंत्र सुस्थापित है जोकि बैंक के समस्त भुगतान दायित्वों को देय होने पर पूरा करने के सामर्थ्य को संरक्षित करता है। यह बैंक की तरलता जोखिम को पहचानने, मापने तथा संचालन करने के लिए बनाया गया है।

बैंक, विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार रूपांतरित अवधि पद्धति का उपयोग करके मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार बाजार जोखिम प्रभार की संगणना करता है। बैंक अपने विदेशी विनिमय पोर्टफोलियो पर भी जोखिम मूल्य (वीएआर) की गणना करता है।

परिचालनगत जोखिम: परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) परिचालनों से जुड़े जोखिमों से संबंधित मामलों पर निगरानी रखती है और आकस्मिक/अनिवार्य स्थितियों में व्यवसाय की सतत/पुनः स्थापना सुनिश्चित करती है। वर्तमान में परिचालनगत जोखिम संबंधी पूंजी प्रभार मूल संकेतक दृष्टिकोण के अनुसार संगणित किया जाता है। बैंक परिचालनगत जोखिम की संरचना को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रहा है ताकि परिचालनगत ऋण जोखिम (ओआरएम) प्रणाली परिचालनगत जोखिम पूंजी की गणना के उन्नत दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने में समर्थ हो सके। बैंक के पास लॉस डाटा प्रबंधन करने के लिए बोर्ड अनुमोदित लॉस डाटा प्रबंधन फ्रेमवर्क है ताकि बैंक की सम्पूर्ण परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति(ओआरएम) को लागू करने में प्रबंधन हेतु न्यूनतम मानक स्थापित किए जा सकें और विस्तृत तथा मजबूत परिचालन लॉस डाटाबेस को बनाया जा सके।

POLICY FRAMEWORK: The Bank has Board approved policies and procedures in place to measure, manage and control various risks that the Bank is exposed to. The various policies are Integrated Risk Management Policy, Asset-Liability Management (ALM) Policy, Credit Risk Management Policy, Market Risk Management Policy, Operational Risk Management Policy, Business Continuity Planning (BCP) & Disaster Recovery Management (DRM) Policy, Stress Testing Policy, Policy on Utilization of Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management, ICAAP Policy, Integrated Risk Management Policy, Policy on Management of Intra Group Transactions & Exposures and Loss Data Management Framework

BANK'S COMPLIANCE WITH BASEL-II & III: Bank has implemented Basel III Capital regulations in terms of Master Circular dated July 01, 2015. Based on these norms, Bank has adopted Standardized Approach for Credit Risk, Standardized Measurement Methodology for Market Risk and Basic Indicator Approach for Operational Risk for computing the capital charge.

The Bank has also implemented Basel III Guidelines and has started computing the Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) w.e.f June 2013. The CRAR position of the Bank is reviewed by the Board on an ongoing basis. Bank has appointed a consultant for setting up Enterprise Wide Integrated Risk Management System (EIRMS) in the Bank for implementation of Basel III Guidelines.

ICAAP POLICY: In compliance with the Reserve Bank of India guidelines on Basel II & Basel III – Pillar 2- Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy has been formulated to assess the capital requirement commensurate with the size, level of complexity, risk profile and scope of operations of the Bank. Various residual risks are assessed and additional capital is provided for wherever required. The ICAAP outcome is prepared on half yearly basis and is reviewed by RMC.

DISCLOSURE: In compliance with the Reserve Bank of India guidelines on Basel II & Basel III – Pillar 3 – Market Discipline, the Bank has put in place a Disclosure Policy duly approved by the Board and the disclosures on quarterly / Half yearly / Annual basis, as per the policy, are displayed on the Bank's Website / Annual Report.

CREDIT RISK: Credit risk management processes involve identification, measurement, monitoring and control of credit exposures. Credit risk and its policy formulation is managed by Credit Risk Management Committee (CRMC). It regularly monitors prudential caps in different loan segments including industry, corporate, retail and individual/group borrowers.

Comprehensive credit rating framework comprising of Credit Risk Rating Models for Corporate Exposure, NBFC Exposure, Real Estate Exposure, Retail Exposure, pricing of loans linked to risk assessment and credit rating, study & analysis of industries/ portfolio, migration of credit ratings is undertaken.

MARKET RISK: The Bank's portfolio is exposed to market risk on account of changes due to interest rates and currency rates.

The Asset and Liabilities Management Committee (ALCO) is overseeing the functions relating to market risk. The Bank has put in place a variety of market risk measurement systems and tools. Strict adherence to various limits and proper escalation of breaches, if any, are followed. Moreover, a Mid Office is also in place.

The Liquidity Management Framework is well established, which safeguards the ability of the Bank to meet all payment obligations when they come due. It is designed to identify, measure and manage the liquidity risk position of the Bank.

The Bank is computing the market risk capital charge as per the Modified Duration approach, by using Modified duration method, as per the regulator's guidelines. The Bank also calculates Value at Risk (VaR) on its foreign exchange portfolio.

OPERATIONAL RISK: The Operational Risk Management Committee (ORMC) oversees matters relating to risks associated with operations and ensures the continuity / restoration of business in the event of contingency / exigencies. Presently, capital charge on operational risk is calculated as per Basic Indicator Approach. The Bank is in the process of strengthening its ORM Framework and ORM systems so as to be able to migrate to advance approaches of calculation of Operational Risk Capital. The Bank has a Board approved Framework for Loss Data Management to set minimum standards for management of Bank's Operational Loss Data in order to comply with the overall Operational Risk Management (ORM) Policy of the Bank and facilitate creation of a robust and comprehensive Operational Loss Database.

बैंक के क्रेडिट/जोखिम-भारित आस्तियों की स्थिति इस प्रकार हैं:

(राशि करोड़ में)

	मार्च 18	वित्तीय वर्ष 2018-19			
		ति1	ति2	ति3	ति4
वित्त पोषित	69822	69803	71896	71488	72747
गैर निधि	4015	3861	3950	4195	4034
कुल अग्रिम	73838	73664	75846	75684	76781
क्रेडिट जोखिम-भारित आस्तियां	54771	54039.	50606	49631	47441
बाजार जोखिम-भारित आस्तियां	7804	6982	6422	6174	6153
परिचालन जोखिम-भारित आस्तियां	4858	4858	4858	4858	4990
कुल जोखिम-भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए)	67433	65879	61886	60663	58584
सीआरएआर स्थिति (%)	11.25	10.46	10.66	10.78	10.93

मार्च-2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान बैंक ने सचेत होकर कम जोखिम भार वाले उच्च निर्धारित खातों में हमारे उधार पोर्टफोलियो को बढ़ाकर पूंजी संरक्षण के लिए जोखिम भारित परिसंपत्तियों को कम करने का निर्णय लिया है।

क्रेडिट पोर्टफोलियो के अंतर्गत पूंजी संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

- मार्च 2018 की समाप्ति तक बैंक के पास रुपये 4871 करोड़ के जोखिम-भारित आस्तियां सहित रुपये 6102 करोड़ का निवेश था।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने रुपये 7660 करोड़ स्वीकृत किए जिसमें जोखिम-भारित आस्तियां रुपये 1436 करोड़ है।

रणनीति ने अच्छा कार्य किया और बैंक:

- रुपये 7363 करोड़ की दर से अपने जोखिम भारित आस्तियों को (आरडब्ल्यूए) को कम किया (यथा दिनांक 31.03.2018 को रुपये 54771 करोड़ से दिनांक 31.03.2019 को रुपये 47408 करोड़) हालांकि अग्रिम रुपये 73838 करोड़ रुपये 76827 करोड़ बढ़ गया।
- उपरोक्त (आरडब्ल्यूए) कुल अग्रिम में मार्च 2018 को 74.17 प्रतिशत से मार्च 2019 को 61.70 प्रतिशत तक महत्वपूर्ण कमी प्रतिशत को दर्शाता है।
- मार्च 2018 में रुपये 7804 करोड़ से मार्च 19 में रुपये 6140 करोड़ तक अपने बाजार जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) को रुपये 1664 करोड़ तक कम किया।
- कैपिटल पर अतिरिक्त बोझ के बिना दिनांक 31.03.2018 को रुपये 73838 करोड़ से दिनांक 31.03.2019 को रुपये 76827 करोड़ तक क्रेडिट पोर्टफोलियो में रुपये 2989 करोड़ की वृद्धि की।
- वर्ष के दौरान होने वाले नुकसान के कारण पूंजी खातों में कमी के बावजूद जून 18 (ति 1 वित्तीय वर्ष 2018-19) से इसके सीआरएआर अनुपात में सुधार हुआ है।

मानव संसाधन प्रबंधन

दिनांक 31.03.2019 तक कैडर के अनुसार स्टाफ की संख्या निम्नानुसार है:

संवर्ग	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019
अधिकारी	6545	6293
लिपिक	2346	2292
अधीनस्थ स्टाफ	429	363
कुल	9320	8948

रोजगार में महिलाएं: 31.03.2019 को हमारे कुल 8948 स्टाफ सदस्यों में से 2543 महिलाएं हैं जो कुल योग का 28.41% बनती हैं। बैंक ने अपनी महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाने और उनके करियर के विकास की योजना के लिए विशिष्ट कदम उठाए हैं। प्र.का. में मा.सं.वि महिला सेल बैंक के महिला कर्मचारियों से प्राप्त प्रतिक्रिया / सुझाव, अनुरोध और शिकायत / परिवेदना को देखती है।

Credit/ RWAs position of the bank is as under:

(Amt in Cr)

	Mar' 18	FY 2018-19			
		Q1	Q2	Q3	Q4
Funded	69822	69803	71896	71488	72747
Non Fund	4015	3861	3950	4195	4034
Total Advances	73838	73664	75846	75684	76781
Credit Risk Weighted Assets	54771	54039.	50606	49631	47441
Market Risk Weighted Assets	7804	6982	6422	6174	6153
Operational Risk Weighted Assets	4858	4858	4858	4858	4990
Total Risk Weighted Assets (RWA)	67433	65879	61886	60663	58584
CRAR Position (%)	11.25	10.46	10.66	10.78	10.93

During the year ending March 2019 bank consciously decided to reduce the risk weighted assets to conserve the capital by enhancing our lending portfolio in high rated accounts having low risk weights.

To conserve the capital following steps were taken under the credit portfolio:

- Bank had Rs. 6102 Cr exposure with RWAs of Rs. 4871 Cr at the end of March' 18.
- Bank has sanctioned Rs. 7660 Cr during FY 2018-19 which has RWA of Rs. 1436Cr.

The strategy worked well and bank:

- Reduced its Credit Risk Weighted Assets (RWAs) to the tune of Rs7363 Cr. (i.e. Rs.47408 Cr as on 31.03.2019 as against Rs.54771 Cr as on 31.03.2018) though advances increased from Rs. 73838 Cr to Rs. 76827 Cr.
- The above represents significant reduction in % Credit RWAs to Total Advances from 74.17% as on Mar' 18 to 61.70% as on Mar' 19.
- Reduced its Market Risk Weighted Assets (RWAs) by Rs. 1664 Cr from Rs.7804 Cr as on Mar' 18 to Rs.6140 Cr as on Mar' 19.
- Enhanced its credit portfolio by Rs.2989 Cr from Rs.73838 Cr as on 31.03.2018 to Rs.76827 Cr as on 31.03.2019, without any additional burden on capital.
- Improved its CRAR ratio from June' 18 (Qtr1 – FY 2018-19) despite the erosion of sum capital on account of losses incurred during the year.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

The cadre wise staff strength as on 31.03.2019 is as under:

Category	31 st March 2018	31 st March 2019
Officers	6545	6293
Clerks	2346	2292
Sub-staff	429	363
Total	9320	8948

Women in employment: Out of the total strength of 8948 as on 31.03.2019, the women employees are 2543 constituting 28.41% of the total strength. The Bank has taken specific steps to empower its women employees and to plan their career growth. HRD Women Cell at Head Office looks after feedback/ suggestions, requests and complaints/grievances, received from women staff of the Bank.

पदोन्नतिया: पदोन्नतिया: बैंक वर्ष दर वर्ष लगभग सभी श्रेणियों के स्टाफ सदस्यों की अच्छा काम (Top performers) करने वालों को पुरस्कार के रूप में तथा उन्हें और जिम्मेवार पदों को संभालने के उद्देश्य से पदोन्नत नियमित रूप से करता रहता है। वर्ष 2018-19 के दौरान निम्न पदोन्नतियों की गई हैं:-

से पदोन्नतियां	उप महाप्रबंधक से महाप्रबंधक	सहा. महाप्रबंधक से उप महाप्रबंधक	मुख्य प्रबंधक से सहा. महाप्रबंधक	वरि.प्रबंधक से मुख्य प्रबंधक	प्रबंधक से वरि.प्रबंधक	अधिकारी से प्रबंधक	लिपिक से अधिकारी	अधीनस्थ से लिपिक	योग
सामान्य	4	11	30	52	116	126	193	35	567
विशेषज्ञ	-	-	6	24	15	12	-	-	57
योग	4	11	36	76	131	138	193	35	624

प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास: बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अपने 50% कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयास किया। इसे देखते हुए, निम्नकोम नोएडा और एसटीसी दिल्ली में सामान्य बैंकिंग और कंप्यूटर ज्ञान में 378 कार्यक्रम आयोजित किए गए। 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रशिक्षण भी आयोजित किए गए, जिसमें विभिन्न संवर्गों के 8255 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। शीर्ष स्तर पर 145 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

नौकरी परिवारों के माध्यम से विशेषज्ञता : बैंक ने 7 नौकरी परिवारों की पहचान करके रोजगार परिवारों के माध्यम से विशेषज्ञता शुरू की है जिसमें स्टाफ सदस्यों से विकल्प मांगे गए थे। पहचान किए गए और चयन किए गए स्टाफ के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया और तदनुसार नियोजन के लिए विचार किया जा रहा है।

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) के साथ समझौता ज्ञापन: विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने और शामिल करने के प्रयास में, बैंक ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE), एसबीआई फाउंडेशन- भारतीय स्टेट बैंक के सीएसआर शाखा के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है। इस पहल के साथ, बैंक का उद्देश्य विकलांग कर्मचारियों के संस्थागत सशक्तीकरण और कर्मचारियों को मुख्य धारा में शामिल करना है। बैंक सबसे अच्छी कार्यप्रणाली और समाधानों को एकत्र करने पर ध्यान केंद्रित करेगा ताकि उनके द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के लिए नई अंतर्दृष्टि लाकर दिव्यांगजन के लिए कार्यस्थल में एक अंतर ला सके और जिससे कार्यस्थल पर वास्तविक प्रभाव पड़े। कर्मचारी का कार्य क्षमता निर्माण और कर्मचारी संवेदीकरण कार्यशालाओं के माध्यम से होगा।

ई-लर्निंग: सभी कर्मचारियों के बीच नौकरी के ज्ञान को प्रेरित करने और समृद्ध करने के लिए, विभिन्न बैंकिंग क्षेत्रों में ऑनलाइन परीक्षणों के माध्यम से ई-लर्निंग का आयोजन किया जा रहा है। यह हमारे बैंक परिपत्रों के आधार पर व्यावहारिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो क्षेत्र में काम करने वाले सभी कार्यालयों और नियंत्रण कार्यालयों के लिए उपयोगी होगा। बैंक ने ई-ज्ञान हस्तांतरण के लिए ई-लर्निंग आधारित ज्ञान के साथ बैंक की इंटरनेट वेबसाइट पर ऑनलाइन ज्ञान पोर्टल की शुरुआत की है। विभिन्न बैंकिंग क्षेत्रों में प्रत्येक महीने सभी स्टाफ सदस्यों के लिए ऑनलाइन टेस्ट आयोजित किया जाता है। बैंक ने सफलतापूर्वक बारह ई-लर्निंग ऑनलाइन टेस्ट आयोजित किए हैं।

बैंक ने स्टाफ सदस्यों के उनके पेशागत कौशल को निरंतर विकसित करने के लिए आईआईबीएफ द्वारा प्रस्तावित 19 प्रमाणित एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क को प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रतिपूर्ति की है। बैंक ने जेएआईआईबी एवं सीएआईआईबी के ई-लर्निंग पाठ्यक्रम के लिए आईआईबीएफ से करार भी किया है जिसको इंटरनेट पर "एचआरडी पहल: ई-लर्निंग" के शीर्ष के अंतर्गत रखा गया है।

प्रत्यक्ष भर्ती: वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, निरन्तर व्यावसाय में वृद्धि और विस्तार, सेवानिवृत्ति की चुनौतियों से निपटने के लिए, बैंक ने प्रयास किए हैं। इस चुनौती को पूरा करने के लिए, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में 234 एसडब्ल्यूओ और 20 एमएमजीएस में 20 लॉ मैनेजर की भर्ती की है।

इसके अलावा, बैंक अपने संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त अधिकारियों की एक मध्य और शीर्ष पंक्ति तैयार करने के लिए टीईजीएस VI में एक मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (उप महाप्रबंधक) और एसएमजीएस- IV में एक मुख्य प्रबंधक- आर्थिक अनुसंधान की भर्ती किया है।

औद्योगिक संबंध : बैंक में संपूर्ण वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। कामगार एवं अधिकारी यूनियनों के प्रतिनिधियों ने विकास तथा अन्य विषयों पर प्रबंधन के साथ विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श में सहभागिता की और उनको सुलझाने के प्रयास किए गए। स्टाफ सदस्यों द्वारा उठाए गए परिवादों के निवारण के लिए वित्त मंत्रालय से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार परिवाद निवारण समिति का गठन भी किया गया है। बैंक हितों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु विभिन्न अदालतों/ट्रीब्यूनलों में लंबित सेवा से संबंधित मामलों की उचित निगरानी भी की गई। कर्मचारी कल्याण उपाय के रूप में, बैंक अमृतसर, कटरा, मुंबई और हरिद्वार में अवकाश गृह की सुविधा प्रदान करता है।

आरक्षित श्रेणी के कर्मिकों को रोजगार: बैंक समाज के अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति, जनजाति संबंधित व्यक्तियों के हित एवं विकास के प्रति सांविधानिक सुरक्षा तथा सामाजिक लक्ष्य के प्रति बचनबद्ध है। बैंक भर्ती/ पदोन्नति में आवश्यकतानुसार पदों के आरक्षण के मामलों में आरक्षण नीति में भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी दिशा-निर्देशों का पालन करता है।

Promotions: Bank is regularly promoting people almost in all cadres year after year to keep on rewarding its top performers and enabling them to assume higher responsibilities. Following promotions have been effected during the year 2018-19:-

Promotions from	DGM to GM	AGM to DGM	CM to AGM	SRM to CM	MGR to SRM	OFF to MGR	CLK to OFF	SUBSTF to CLK	Total
General	4	11	30	52	116	126	193	35	567
Specialist	-	-	6	24	15	12	-	-	57
Total	4	11	36	76	131	138	193	35	624

Training & Human Resources Development: The Bank endeavored to provide training to 50% of its employees during the Financial Year 2018-19. With this in view, 378 programmes were conducted in General Banking & Computer knowledge at NIBSCOM Noida & STC Delhi. Locational Trainings were also conducted at Zonal Offices in various fields from 1st April 2018 to 31st March 2019, in which training was imparted to 8255 employees of different cadres. 145 Officers were imparted training at Apex Level institutions.

Specialization through Job Families: Bank has introduced specialization through Job families by identifying 7 job families in which options were sought from staff members. Identified and shortlisted staff members were imparted training and accordingly are being considered for placement.

MoU with Centre of Excellence (CoE): In an effort to empower and inclusion of Persons with Disabilities, Bank has executed MoU with Centre of Excellence (CoE), SBI Foundation- the CSR arm of the State Bank of India. With this initiative, Bank aims to institutionalize empowerment and inclusion of employees with disabilities along with the main stream. Bank will focus on aggregating the best practices and solutions so as to make a difference in the workplace for PwD by bringing in the new insights to the problems faced by them and thereby making a real impact at workplace. Employee engagement will be through capacity building and employee sensitization workshops.

E-Learning: In order to motivate and enrich job knowledge amongst all staff members, e-learning through online tests is being conducted in various banking fields. It focuses on practical aspects based on our Bank Circulars that shall be useful for all staffs working in field and controlling offices. The Bank has introduced E-Learning based Lessons with introduction of Online Knowledge Portal on Bank's Intranet website for e-knowledge transfer. Online Test are being conducted for all staff members pan India each month in various banking fields. Bank has successfully conducted twelve E-Learning Online Tests.

To encourage staff members to upgrade their professional skills, Bank has incentivized re-imbursements of the full course fee of 19 Certified and Diploma Courses offered by IIBF. Bank has also tied up with IIBF for e-learning material for JAIIB & CAIIB which has been placed on Bank's intranet under the head **"HRD Initiative: E-Learning"**.

Direct Recruitment: Bank has consistently looked to address the challenges of superannuation, business growth and expansion during financial year 2018-19. To meet this challenge, Bank has recruited 234 SWOs in Financial year 2018-19 and 20 Law Managers in MMGS II through Lateral recruitment.

Further, the Bank in order to prepare a middle and top line of executives who are specialized in their respective fields recruited one Chief Technology Officer (DGM) in TEGS VI and one Chief Manager- Economic Research in SMGS IV.

Industrial Relations: The Industrial relations in the Bank remained cordial throughout the year. The representatives from Workmen and Officers unions participated in various discussions on developmental and other issues with the management at various levels and efforts were made to resolve the same. A Grievance Redressal Committee has been constituted as per the guidelines received from Ministry of Finance to redress the grievances raised by staff members. Proper monitoring of service matter cases pending in various courts/tribunals was done to safeguard Bank's interest. As a staff welfare measure, Bank provides holiday homes facilities at Amritsar, Katra, Mumbai and Haridwar.

Employment to Reserved Category Employees: Bank is committed to the constitutional safeguards and social objectives for the development and welfare of persons belonging to SC, ST and Other Backward Classes of the society. The Bank observes all guidelines stipulated by the Govt. of India in respect of Reservation Policy for reservation of posts in recruitments/promotions wherever required.

बैंक में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मिकों के आरक्षण एवं अन्य प्रावधानों की निगरानी करने हेतु एक विशेष एससी/एसटी कक्ष की स्थापना की गई है। बैंक के एससी/एसटी कर्मिकों की सभी संबंधित मामलों में शिकायत निवारण के लिए तथा विभिन्न दिशा-निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यकारी जोकि महाप्रबंधक की रैंक का है, को मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है और महाप्रबंधक के पद पर एक कार्यकारी को ओबीसी कर्मचारियों के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है, जो उन्हें संबंधित विभिन्न दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए है। इसके अलावा, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 और नियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक ने विकलांग व्यक्तियों के लिए एक महाप्रबंधक को मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में भी नामित किया है जो दिव्यांगों के लिए शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में भी कार्य करेगा। दिव्यांगों के लिए एक अलग नीति 05.04.2019 को विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के प्रावधानों, 2016 और नियम 2017 के अनुसार सरकारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में बनाई गई है।

दिनांक 31.03.2019 को अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मिकों की क्रमशः संख्या 1881 और 587 है। विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के कर्मिक संख्या निम्न है:-

श्रेणी	अनु.जाति	अनु जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	भूतपूर्व सेवाकर्मी	दिव्यांग
अधिकारी	1194	497	1405	50	143
लिपिक	560	75	570	192	43
अधीनस्थ स्टाफ	127	15	25	32	8
कुल	1881	587	2000	274	194

कार्मिक कल्याण: वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक की कल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक पीएसबी जीवन सहारा, पीएसबी उज्ज्वल नेत्र योजना के रूप में लागू किया गया था।

दिव्यांगजन के लिए समान अवसर नीति: विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 और नियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि कार्य वातावरण दिव्यांगजन के खिलाफ किसी भी भेदभाव से मुक्त हो। इसके अलावा, बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्यवाई करेगा कि दिव्यांगजन को एक अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाए ताकि वे अपनी भूमिका निभा सकें और उस में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें।

हॉकी

हमारे बैंक की हॉकी टीम और जूनियर हॉकी अकादमी ने कई टूर्नामेंट में भाग लिया है। वर्ष 2018-19 के लिए प्रमुख प्रदर्शन इस प्रकार हैं:

- बैंक की हॉकी टीम ने बॉम्बे गोल्ड कप टूर्नामेंट में रनर अप का स्थान हासिल किया।
- बैंक की जूनियर हॉकी अकादमी ने नाभा, पटियाला में आयोजित लिबरल्स हॉकी टूर्नामेंट जीता है ।
- बैंक की जूनियर हॉकी अकादमी ने अमृतसर में आयोजित महाराजा रणजीत सिंह टूर्नामेंट में रनर अप का स्थान हासिल किया है।
- बैंक की जूनियर हॉकी अकादमी ने दशमेश हॉक्स हॉकी टूर्नामेंट में रनर अप का स्थान हासिल किया है ।
- बैंक की हॉकी टीम ने ग्वालियर में हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

सूचना प्रौद्योगिकी

वैकल्पिक वितरण प्रणाली

- ई-बैंकिंग में पासवर्ड जनरेशन का ऑटोमेशन / नए उपयोगकर्ताओं हेतु ई-बैंकिंग का ऑटोमेशन डाउनलोड एवं अपलोड । इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से सुकन्या समृद्धि खातों को ऑनलाईन खोलने को लागू करना / ऑनलाईन जमा और नया खाता खोलने के लिए आवेदन करना। इंटरनेट बैंकिंग मॉड्यूल में मोबाइल बैंकिंग का पंजीकरण।
- वेबसाइट पर उपलब्ध कृषि ऋण हेतु ऑनलाईन आवेदन करें और ट्रैक करें। स्वयं सहायता समूह ऋण हेतु ऑनलाईन आवेदन करें और ट्रैक करें तथा लॉकर के लिए ऑनलाईन आवेदन करें एवं ट्रैक करें।

एस.एम.एस .सुविधा

- दो दिन की कालातीत अवधि के बाद अतिदेय ऋण की किश्त हेतु एस.एम.एस. और किश्त के अतिदेय होने के 13वें दिन अगला स्मरण एस.एम.एस ./ ब्याज की प्रविष्टि के अतिरिक्त, ग्राहक को ऋण खातों में जमा एवं नामें संबंधित दोनो प्रविष्टियों हेतु एस.एम.एस. प्राप्त होगा।
- सभी ग्राहकों को जिनका मोबाइल नंबर शाखा में पंजीकृत है ,जन्म-दिन शुभकामना संदेश प्रेषित करना।

Special cells for SC/ ST/ OBC has been set up in the Bank to monitor the Reservation and other for SC/ ST/ OBC employees. An executive in the rank of General Manager has been designated at Chief Liaison Officer for SC/ ST employees and one executive in the rank of General Manager has been designated at Chief Liaison Officer for OBC employees for ensuring compliance of various guidelines pertaining to them and redressal of their grievances. In addition to this in accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and Rules 2017, the Bank has also nominated one General Manager as Chief Liaison Officer for Persons with Disabilities who will also act as Grievance Redressal Officer for PWD. A separate policy for PwD has been framed on 05.04.2019 in compliance with government guidelines in accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and Rules 2017.

The staff strength of SC/ST employees stood at 1881 and 587 respectively on 31.03.2019. The staff strength under various reserved categories is as under:-

CATEGORY	SC	ST	OBC	EX-SM	PWD
OFFICERS	1194	497	1405	50	143
CLERKS	560	75	570	192	43
SUB-STAFF	127	15	25	32	8
TOTAL	1881	587	2000	274	194

Staff Welfare: During the financial year 2018-19, welfares schemes of the Bank were successfully implemented such as PSB Jeewan Sahara, PSB-Ujjwal Netra Scheme.

Equal Opportunity Policy for Divyangjan: In accordance with the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and Rules 2017, the Bank strives to ensure that the work environment is free from any discrimination against Divyangjan. Further, the Bank will take all actions to ensure that a conducive environment is provided to Divyangjan to enable them to perform their role and excel in the same.

Hockey

Our Bank's Hockey Team and Junior Hockey Academy has participated in a number of tournaments. The major performances are as under for the year 2018-19:

- Bank's Hockey Team has won secured Runners Up position in Bombay Gold Cup tournament
- Bank's Junior Hockey Academy has won the Liberals Hockey Tournament, held at Nabha, Patiala
- Bank's Junior Hockey Academy has secured Runner Up position in Maharaja Ranjit Singh Tournament held at Amritsar
- Bank's Junior Hockey Academy has secured runner up position in Dashmesh Hawks Hockey Tournament
- Bank's Hockey Team entered Semi-finals of Hockey India Senior National Hockey Championship in Gwalior.

INFORMATION TECHNOLOGY

Alternate Delivery Channels

- Automation of Password Generation in E-banking/ Automation of E-banking Download & upload for new users. Implementation of Online Opening of Sukanya Samridhi Accounts through Internet Banking / Online credit and applying for account opening. Registration of Mobile Banking in Internet Banking Module.
- On Line Applications available on website for Agriculture Loan Apply & Track, SHG Loan Apply & Track and Locker Online Apply & Check.

SMS facilities

- SMS for overdue Loan installment after two days of overdue date and the next reminder on 13th day of the installment overdue / Customer will receive SMS for both transactions debit & credit in Loan account except interest entry.
- Sending Birthday Greeting Message to all customers , whose mobile number is registered in Bank's branch.

- अंग्रेजी और हिंदी ,दोनों भाषाओं में लेन-देन के एस.एम.एस .भेजना।
- ग्राहकों को सावधि जमा के बन्द होने और परिपक्वता से पूर्व बन्द होने के समय एस.एम.एस .भेजना।
- ग्राहकों को एस.पी.जी.आर.एस .पोर्टल के माध्यम से शिकायतें दर्ज करने पर शिकायतों के पंजीकरण होने के समय / शिकायतों के निराकरण के बाद एस.एम.एस .प्रेषित करना।

वरिष्ठ नागरिकों हेतु सुविधाएं

- वरिष्ठ नागरिकों को चैक बुक जारी करने के प्रभार की छूट ।
- पेंशनभोगी ,जिनका हमारे बैंक में बचत खाता है ,की पास-बुक के प्रथम पृष्ठ पर पी.पी.ओ .नंबर का उल्लेख करना।
- वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजनों को उनके दरवाजे पर बैंकिंग सेवाएं देना।
- फिनेकल में नए कर स्लैब TXSCZ का कार्यान्वयन। (किसी एक वित्तीय वर्ष में वरिष्ठ नागरिकों को रु. 50000/- तक भुगतान किए गए सावधि जमा के ब्याज (आवर्ती जमाओं /उपचय/ भुगतान किए गए ब्याज पर सिस्टम टीडीएस नहीं काटेगा) वरिष्ठ नागरिक योजना के अंतर्गत खोले गए सभी खातों की ग्राहक आईडी में वर्तमान कर स्लैब को परिवर्तित कर दिया गया है।

अन्य पहल

- के.सी.सी .खातों/ऋण खातों में अतिदेय ब्याज के स्वतः अद्यतन का कार्यान्वयन ।
- डिमांड ड्राफ्ट में क्रेता के नाम को मुद्रित करना।
- प्रतिष्ठित ग्राहकों को ई-मेल द्वारा ई-स्टेटमेंट।

सूचना प्रौद्योगिकी (सी.बी.एस.)

- सभी प्रकार के जमा खातों के नामांकन के लिए पावती जनरेट करने के लिए फिनेकल में एक नई रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई है।
- प्र.का. केवाईसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार फिनेकल में परिचय फील्ड को वैकल्पिक बनाया गया है। प्र.का.केवाईसी के दिशा-निर्देशों के अनुसार आधार कार्ड को वैकल्पिक रखा गया है। हमारे बैंक में सीकेवाईसी फंक्शनैलिटी का कार्यान्वयन।
- शाखा स्तर पर सभी नकद प्राप्तियों / नकद भुगतान / विनिमय के समय मूल्यवर्ग विवरण दर्ज करने के लिए फिनेकल में एक नया मेनू शुरू किया गया है।
- जब एक नाबालिग खाता धारक बालिग हो जाता है ,तो सिस्टम ऐसे खातों में किसी भी लेनदेन को निष्पादित करते समय शाखा उपयोगकर्ता के लिए एक चेतावनी देगा।
- फंड ट्रांसफर और सरल समायोजन प्रक्रिया के लिए एसबीआई लाईफ इंश्योरेंस के प्रीमियम के विवरण में प्रवेश के लिए एक नये मेनू का कार्यान्वयन।
- मासिक आधार पर सास्कल) SASCAL (का निष्पादन।
- आधार सीडिंग, एस.एम.एस .पंजीकरण तथा मोबाईल पंजीकरण हेतु एकल मेनू का शुभारंभ ।

आंतरिक नियंत्रण

बैंक में प्रत्येक स्तर पर सुपरिभाषित दायित्वों के साथ आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली है। यह आंतरिक लेखा परीक्षण निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा विभाग के माध्यम से परिचालित करती है। कार्यकारियों की लेखा परीक्षा समिति, जोकि प्रथम स्तरीय समिति है, निरीक्षण और लेखा परीक्षण कार्य देखती है।

निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण प्रणाली पहचान, नियंत्रण प्रबंधन जोखिमों की आंतरिक लेखा परीक्षण के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बैंक लेखा परीक्षण करता है जैसे जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षण (आरबीआईए), समवर्ती लेखा परीक्षण (सीसीए) आईएस लेखा परीक्षण, प्रबंधन लेखा परीक्षण और निरीक्षण (एमएआई) और ऋण लेखा परीक्षण जिसके द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षण के विभिन्न पहलुओं की आवश्यकताओं को कवर किया जाता है। बैंक की व्यवसायिक ईकाइयां/ कार्यालय जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षण (आरबीआईए), समवर्ती लेखा परीक्षण (सीसीए) आईएस लेखा परीक्षण के अधीन है और प्रबंधन लेखा परीक्षण एवं निरीक्षण के क्षेत्र में 25 आंचलिक कार्यालय एवं 37 प्रशासनिक कार्यालय आते हैं और नीतियों एवं प्रक्रियाओं का निर्धारण करता है, के अतिरिक्त उसके निष्पादन की गुणवत्ता और रु. 3.00 करोड़ एवं उससे अधिक के ऋण जोखिम बाह्य सनदी लेखाकारों के लेखा परीक्षण के अधीन आते हैं। बैंक पंजीकृत कानूनी सलाहकारों के माध्यम से लीगल लेखा परीक्षण करता है। निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण विभाग के पास विशेष कक्ष है जो आंकड़ों की निगरानी ऑफसाइट निगरानी यूनिट (ओ.एम.यू.) द्वारा करता है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक की 1042 शाखाओं में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षण किया गया, 429 शाखाओं/कार्यालयों को समवर्ती लेखा परीक्षण प्रणाली के अधीन लाया गया, 126 शाखाओं/कार्यालयों में सूचना प्रणाली लेखा परीक्षण किया गया और समवर्ती लेखाकारों/ लेखाकार फर्मों एवं आंतरिक स्टाफ की सेवाएं लेते हुए 904 शाखाओं के राजस्व लेखा परीक्षण किए गए।

- Sending transactional SMS both in English as well as in Hindi.
- SMS to customer at the time of closer & pre Mature closer of FDR.
- SMS to customer registering complaints through SPGRS portal at the time of registration of complaints / after closer of the complaints.

Facilities for Senior Citizens

- Waiver of Cheque Book issue charges to Senior Citizens.
- Display of PPO Number on the front page of the passbook of pensioners having saving account with our Bank.
- Implementation of Door Step Banking Services for Senior Citizens and differently abled persons .
- Implementation of New tax slab **TXSCZ** has been created in finacle. System will not deduct TDS on interest on FDR (including Recurring Deposits Credited/ Accrued/ Paid upto Rs.50000/ to senior citizen for a particular financial year). Existing tax slab has been changed in Cust ID for all accounts opened under the Senior Citizen Schemes.

Others initiatives

- Implementation of Auto Updation of Overdue interest in KCC account / Loan accounts.
- Printing of purchaser name in Demand Draft.
- E- Statement to Valuable Customer through Email.

Information Technology (CBS)

- A new report made available in Finacle for generating Acknowledgement for Nomination of all kind of deposit accounts.
- Introduction field made optional in Finacle as per HO KYC guidelines. **Aadhaar Card made optional in finacle as per HO KYC guidelines.** Implementation Of CKYC functionality in our Bank.
- A new menu has been deployed in Finacle for entering denomination details at the time of all Cash Receipts/ Cash Payments/ Exchange at branch level.
- When a Minor Account Holder turns into Major, system will raise an alert to the branch user while executing any transactions in such accounts.
- Implementation of A new menu for entering the premium details of SBI Life Insurance in order to facilitate fund transfer and smooth reconciliation process.
- Execution of SASCAL on monthly basis.
- Introduction of Single Menu for AADHAAR SEEDING , SMS REGISTRATION and MOBILE REGISTRATION.

INTERNAL CONTROLS

The Bank has in-built control systems with well-defined responsibilities at each level. It conducts internal audit through its Inspection & Audit Department. Audit Committee of Executives, being first tier Committee oversees the Inspection & Audit function.

The inspection & audit system plays an important role in identification, control and management risks through internal audit functions. The Bank carries out audits-like Risk Based Internal Audit (RBIA), Concurrent Audit (CCA), IS Audit, Management Audit & Inspection (MAI) and Credit Audit through which different facets of Internal Audit requirements are covered. The Bank's business units/offices are subjected to RBIA, CCA & IS Audit and Bank's Management Audit & Inspection covers 25 Zonal Offices & 37 Administrative Offices and examines policies and procedures, besides quality of execution thereof and credit exposures of Rs. 3.00 crore & above are subjected to Credit Audit by external Auditors. The Bank conducts the legal audit through empaneled legal advisors. The Inspection and Audit Department has special cell for monitoring data through Offsite Monitoring Unit (OMU).

During FY 2018-19, Risk Based Internal Audit was concluded in 1042 branches of the Bank, 429 branches/offices were brought under Concurrent audit system, Information System Audit was conducted in 126 branches/offices and 904 Branches were subjected to Revenue audit by engaging services of CAs/CA firms and internal staff.

निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण विभाग लोक उत्पीड़न/शिकायतों के निवारण की निगरानी करता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 9213 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 0 शिकायतें निवारण हेतु प्रक्रिया में है। बैंकिंग लोकपाल ने वर्ष के दौरान बैंक के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं दिया।

बैंक के निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण विभाग को सारांशित करने के लिए अपने बोर्ड, नियामक और भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रणाली और प्रक्रियाओं के अनुपालन की प्रभावी रूप से निगरानी कर रहा है।

अनुपालन कार्य

अनुपालन विभाग मुख्य अनुपालन अधिकारी के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य कर रहा है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनुपालन नीति के अनुसार अनुपालन विभाग स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। अनुपालन विभाग संबंधित व्यावसायिक विभागों को नियामक दिशानिर्देशों का प्रसार करता है और बोर्ड / एसीबी के समक्ष उनके अनुपालन की स्थिति रखता है। अनुपालन विभाग स्व-प्रमाणन और अनुपालन परीक्षण के माध्यम से विभिन्न विनियामक / वैधानिक दिशानिर्देशों और कोडों का अनुपालन सुनिश्चित करता है।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, आरबीआई एसएसएम टीम ने 11 जून से 06 अगस्त, 2018 तक पर्यवेक्षी मूल्यांकन (आईएसई) के लिए ऑन-साइट निरीक्षण किया, 31.03.2018 को जोखिम मूल्यांकन योजना (आरएमपी) के साथ जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट (आरएआर) प्रस्तुत की गई। जोखिम अल्पीकरण योजना (RMP) को लागू करने के लिए बैंक SSM, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के साथ समन्वय में काम कर रहा है।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक ने SWIFT से संबंधित परिचालन नियंत्रणों पर RBI के निर्देशों का पालन न करने के लिए बैंक पर 1 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया।

जन संपर्क

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, कॉर्पोरेट और क्षेत्रीय स्तर पर सार्वजनिक रूप से अपनी छवि बनाने के लिए बैंक ने एक मल्टी-मीडिया रणनीति अपनाई। प्रचार बजट और इसके उपयोग को स्थानीय क्षेत्र की व्यावसायिक क्षमता के आधार पर प्रचार के साधनों को सही और प्रभावी नियंत्रण हेतु निर्णय लेने के लिए आंचलिक अध्यक्ष को सशक्त बनाने व अपने विवेकाधीन शक्तियों के तहत मंजूरी देने के लिए विकेन्द्रीकृत किया गया था।

बैंक ने उच्च प्रचारित मूल्य के विभिन्न कार्यक्रमों को प्रायोजित / सह-प्रायोजित किया, जैसा कि नीचे दिया गया है

- स्टेट्समैन द्वारा नई दिल्ली में आयोजित विंटेज एंड क्लासिक कार रैली 2019 |
- मुंबई में आयोजित 4 वीं वैश्विक सेवाओं 2018 पर प्रदर्शनी |
- इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नई दिल्ली द्वारा आयोजित भारतीय आर्थिक संघ का वार्षिक सम्मेलन।
- इंदिरा गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित TEDx कार्यक्रम |
- दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया पर सम्मेलन |
- एसजीटीबी खालसा कॉलेज द्वारा आयोजित गुरु नानक के दर्शन और विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन।
- जालंधर में आयोजित सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट |
- पी एण्ड एसबी महाराजा रणजीत सिंह हॉकी टूर्नामेंट अमृतसर में आयोजित हुआ। विभाग द्वारा की गई पहल पर, टूर्नामेंट का शीर्षक बदल दिया गया और बैंक का नाम शीर्षक के आगे जोड़ दिया गया |
- बैंक ने अपने पारंपरिक वॉल कैलेंडर 2019 के मुख्य विषय श्री गुरु नानक देव जी की 550 वीं जयंती के माध्यम से भी व्यापक प्रचार प्राप्त किया।
- बैंक के बड़े ग्राहकों और जनता को बधाई देने के लिए, श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव और लोहड़ी / मकर संक्रांति / बिहू / पोंगल त्योहारों के अवसर पर भारत के प्रमुख अखबारों में बधाई विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।
- आंचलिक स्तर पर, बैंक का प्रचार-प्रसार कोलकाता में बसों, मेट्रो स्टेशनों और खाला स्थानों पर किया गया। इसके अतिरिक्त, पंजाब के विभिन्न स्थानों पर, मुख्यतया: लुधियाना, संगरूर, पटियाला, अमृतसर, जालंधर, और बठिंडा के अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डों में बैंक के ऑडियो-विजुअल को भी प्रदर्शित किया गया। बैंक के विज्ञापनों को टी.वी. चैनलों तथा एफएम रेडियो पर भी प्रसारित किया गया। आउटडोर मीडिया प्रचार-प्रसार हेतु जम्मू हवाई अड्डे के प्रस्थान स्थल पर और चण्डीगढ़ के सैक्टर 41, 42 तथा 37 में बैंक का होर्डिंगों को लगाया गया है।

The Inspection & Audit Department is monitoring redressal of public grievances/complaints. During FY 2018-19, 9213 complaints were received of which Nil complains are in process for redressal. The Banking ombudsman no awards was passed against the Bank during the year.

To summarize Bank's Inspection & Audit Department has been effectively monitoring the compliance of the system & procedures laid down by its own Board, the Regulator and Government of India.

COMPLIANCE FUNCTION

Compliance Department is working under the guidance and supervision of Chief Compliance Officer. The independent Compliance Department works as per Board approved Compliance Policy. Compliance Department disseminates the regulatory guidelines to respective business departments and places the status of compliance before Board/ ACB. Compliance Department ensures the compliance of various regulatory/statutory guidelines & codes by the way of self-certification and compliance testing.

During the FY 2018-19, RBI SSM team conducted on-site Inspection for Supervisory Evaluation (ISE) from June 11 to August 06, 2018, submitted it's Risk Assessment Report (RAR) as on 31.03.2018 along with Risk Mitigation Plan (RMP). Bank is working in co-ordination with the SSM, Reserve Bank of India (RBI) to implement the Risk Mitigation Plan (RMP).

During the FY 2018-19, RBI imposed monetary penalty of Rs. 1 crore on bank for non-compliance of RBI's directions on SWIFT related operational controls.

PUBLIC RELATION AND PUBLICITY

During the financial year 2018-19, the Bank adopted a multi-media strategy to build up its image in public at corporate and regional level. The publicity budget and its utilization was decentralized empowering the Zonal Heads to decide the means of the publicity depending upon the business potential of the local area, to sanction the deserving cases under their discretionary powers for proper and effective control.

The Bank sponsored various events of high publicity value, as under:-

- The Statesman Vintage and Classic Car Rally 2019 held in New Delhi.
- 4th Global Exhibition on Services 2018 held in Mumbai.
- Annual Conference of Indian Economic Association organized by Institute for Studies in Industrial Development, New Delhi.
- TEDx event organized by Indira Gandhi Technical University, New Delhi.
- Convention on Transforming India organized by Department of Commerce, Delhi School of Economics.
- International Conference on Guru Nanak's philosophy and legacy organized by SGTB Khalsa College.
- Surjit Hockey Tournament held in Jalandhar.
- P&SB Maharaja Ranjit Singh Hockey Tournament held in Amritsar. On initiative taken by the Department, the title of above tournament was changed and Bank's name was prefixed to the title.
- The Bank also received immense publicity through its traditional Wall Calander 2019 on the theme 550th Birth Anniversary of Sh. Guru Nanak Dev Ji.
- (j) To felicitate Bank's large clientele and the public, greetings ad was published in leading newspapers of India on the occasion of Prakash Utsav of Shri Guru Nanak Dev Ji and Lohri/Makar Sankranti/Bihu/Pongal festivals.
- (k) **At zonal level**, Bank's branding was also done across buses, metro stations and ferry vessel, in Kolkata. Besides, Bank's audio-visual advertisement was also displayed at Interstate Bus Stand at various places of Punjab, namely, Ludhiana, Sangrur, Patiala, Amritsar, Jalandhar, and Bathinda. Bank's advertisement was also broadcasted in TV Channels and FM Radio. Resorting to outdoor media publicity, Bank's hoarding was put up at departure lounge of Jammu Airport and Round about at Chandigarh Sector 41, 42 and 37.

सतर्कता विभाग

निवारक सतर्कता

हमारा केंद्र-बिंदु बैंकिंग लेन-देन और बैंक के समग्र कार्यों में पारदर्शिता के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना है। हम नियमित रूप से बैंक के सभी कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हमेशा सतर्क रहने के लिए जागरूक कर रहे हैं। अनुशासनात्मक कार्यवाई के मामलों की शुरुआत के लिए समय में कटौती करने के प्रयास के साथ समय-समय पर आवश्यक निर्देश / दिशानिर्देश प्रसारित किए गए हैं। अंतर्निहित प्रणालियों और प्रक्रियाओं का पालन करने, नीतियों को तैयार करने और संशोधित करने और सभी स्तरों पर नैतिक बैंकिंग की आवश्यकता पर जोर देने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुख्य सतर्कता अधिकारी और अन्य शीर्ष स्तर के अधिकारियों के बीच सुझावों / विचारों का बार-बार आदान-प्रदान हुआ है। संस्थान में सभी स्तरों पर संदेश को फैलाने का प्रयास किया गया है।

हमारी निवारक सतर्कता रणनीति के अनुरूप, सतर्कता अधिकारियों (VOs) को विभिन्न आंचलिक कार्यालयों में नियुक्त किया गया है। शाखाओं के औचक दौरे के अलावा, वे सम्बंधित आंचलिक कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन शाखाओं में नॉमिनल खातों, विभिन्न कार्यालय खातों और स्टाफ खातों में किसी भी अनाधिकृत / असामान्य लेनदेन की जांच कर रहे हैं, जो बाद में व्यापक प्रभाव डाल सकते हैं।

यह सुनिश्चित करने का भी हमारा प्रयास रहा है कि हितधारकों की सभी शिकायतों का बैंक द्वारा तुरंत निवारण किया जाए और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि प्राप्त शिकायतों को शिकायतकर्ता की संतुष्टि के लिए निवारण किया जाए। बैंक की व्हिसल ब्लोअर नीति को सार्वजनिक करने और लोकप्रिय बनाने को उचित महत्व दिया जा रहा है।

निवारक सतर्कता उपाय के रूप में, केंद्रीय सतर्कता आयोग के विभिन्न संदर्भों को ध्यान में रखा गया है और प्र.का. मा.सं.वि विभाग को इनपुट प्रदान किए गए हैं, जिसके आधार पर प्र.का. मा.सं.वि विभाग ने काम करनेवाले अधिकारियों के हितलाभ के लिए विभिन्न परिपत्र / दिशानिर्देश जारी किए हैं।

व्यवस्था और प्रक्रियाओं में सुधार के तरीकों पर चर्चा करने के लिए सामान्य प्रशासन, आईटी, विधि एवं वसूली, ऋण निगरानी आदि जैसे अन्य विभागों के साथ संपर्क और समन्वय बनाए रखा जाता है।

सतर्कता विभाग के नियंत्रण क्षेत्र में काम कर रहे सतर्कता अधिकारियों द्वारा देखी गई/ दी गई टिप्पणियों के आधार पर निम्नलिखित प्रणालीगत सुधार लागू किए गए हैं-

- 1) विविध खाते: विविध लेनदारों के खाते से प्रविष्टियों का उत्क्रमण प्रतिबंधित कर दिया गया है। यदि लेन-देन की राशि एक निर्दिष्ट सीमा से अधिक है, तो सिस्टम शाखाओं में किसी भी प्रविष्टि को डेबिट करने की अनुमति नहीं देता है। ऐसे मामलों में जहां राशि निर्दिष्ट सीमा से अधिक है, सक्षम प्राधिकारी से सहमति / अनुमति आवश्यक है।
- 2) प्रोक्सी खाते: प्रॉक्सी खातों का उपयोग, इसके दुरुपयोग को मिटाने के लिए सीमित कर दिया गया है।
- 3) आवर्ती जमा (RD) खाते: फिनाकल में उचित प्रवाह आईडी के माध्यम से आवर्ती जमा खातों को बंद करना लागू किया गया है। शाखा के डे-एंड के दौरान शून्य शेष आवर्ती जमा खाते स्वचालित रूप से बैकएंड पर बंद हो जाते हैं।

बैंक ने वर्ष 2018-19 में सतर्कता जागरूकता सप्ताह को इस वर्ष के केंद्रीय विषय "भ्रष्टाचार मिटाओ - नया भारत बनाओ" के साथ 29.10.2018 से 03.11.2018 तक सच्ची भावना से मनाया।

इस अवधि के दौरान, बैंक ने बड़े पैमाने पर आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करके देश भर में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। सप्ताह के दौरान, 220 ग्राम सभाएं, स्कूलों में 521 कार्यक्रम, कॉलेजों में 100 कार्यक्रम आयोजित किए गए। वाद-विवाद, एलोक्यूशन, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, रैलियां, सेमिनार / कार्यशालाएं, वॉकथॉन, साइक्लोथॉन, रोड शो, मोबाइल वैन के माध्यम से जागरूकता, स्वास्थ्य शिविर, पम्फलेट्स / बैनरों का वितरण, जर्नल / न्यूजलेटर का मुद्रा, नारा प्रतियोगिता, निबंध लेखन सहित कई अन्य गतिविधियाँ प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया। समाज की प्रख्यात हस्तियों ने बैंक द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाई। बैंक के स्टाफ सदस्यों / बैंक के ग्राहकों / आम जनता को बैंक की वेब साइट पर प्रदान किए गए यूआरएल के माध्यम से ई-प्रतिज्ञा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पूरे देश में 15000 से अधिक लोगो ने भाग लिया और ई-प्लेज सुविधा का लाभ उठाया।

मुख्य समारोह 01.11.2018 को रोहिणी, दिल्ली के स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज में आयोजित किया गया। प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एस. हरिशंकर और कार्यकारी निदेशकों ने इस अवसर की सराहना की और 300 से अधिक प्रतिभागियों, जिसमें मुख्य रूप से नागरिक, स्कूली छात्र और बैंक अधिकारी शामिल थे, की सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान, सतर्कता नियमावली का अद्यतन संस्करण भी जारी किया गया।

VIGILANCE

PREVENTIVE VIGILANCE

Our focus is to achieve highest level of transparency in transactions and overall operations of the Bank. We have been regularly sensitizing all employees of the Bank to ever remain vigilant while carrying out their duties. Necessary instructions/guidelines have been circulated from time to time with an endeavor to cut down the time taken for initiation of Disciplinary action cases. Frequent exchange of ideas/opinions have taken place between CVO and other Top level Executives focusing on steps to be taken for adhering to underlying systems and procedures, framing and revising policies and emphasizing the need for ethical banking at all levels. Efforts have been made to percolate the message at all levels in the Institution.

As part of our preventive vigilance strategy, Vigilance Officers (VOs) have been posted at various Zonal Offices. Besides undertaking surprise field visits they are also scrutinizing transactions offsite in Nominal Head accounts, various Office accounts and Staff accounts at branches under the jurisdiction of concerned Zonal Office to check for any unauthorized / abnormal transactions which can have wider implications later.

It has also been our endeavor to ensure that all grievances of stakeholders are promptly redressed by the Bank and steps have been taken to ensure that the complaints received are redressed to the satisfaction of complainant. Due importance is being given to publicize and make popular the Whistle Blower Policy of the Bank.

As preventive vigilance measure, various CVC references have been taken into consideration and the inputs were provided to HO HRD Department, based on which the HO HRD Department has issued various circulars / guidelines for the benefit of operating functionaries.

Close interaction and coordination is maintained with other Departments also like General Administration, IT, Law & Recovery, Credit Monitoring etc. to discuss ways to improve systems and procedures.

Following Systemic improvements have been implemented on the basis of observations made / feedback given by vigilance officers who are working in the field under control of Vigilance department:

- 1) Sundry accounts: Reversal of entries from Sundry Creditors Account has been restricted. Now the system does not permit branches to debit any entry in Sundry Creditors account if the transaction amount is more than a specified limit. In cases where the amount exceeds the specified limits, consent / permission from competent authority is required.
- 2) Proxy accounts: Usage of proxy accounts has been limited to evade its mistreatment.
- 3) Recurring Deposit (RD) accounts: Closure of RD accounts through proper flow ID has been implemented in Finacle. Zero balance RD accounts are automatically closed at backend during end of the day.

The Bank observed Vigilance Awareness Week in the year 2018-19 with this year's central theme "Eradicate Corruption – Build a New India" from 29.10.2018 to 03.11.2018 in true spirit.

During this period, the Bank has organized various programmes at different locations across the country by including participation of general public at large. During the week, 220 Gram Sabhas, 521 programmes in the schools, 100 programmes in the colleges were held. Various other activities including -Debates, Elocution, Quiz programmes, Rallies, Seminars / Workshops, Walkathons, Cyclothons, Road shows, Awareness through Mobile Vans, health camps, Distribution of Pamphlets/Banners, Issue of Journal/ Newsletter, Slogan Competition, Essay Writing Competition etc. were organized. These programmes were graced by eminent personalities of the society. The staff members / customers of the Bank/ general public were encouraged to have E-Pledge through URL provided on Bank's web site, which resulted in participation of more than 15000 people and availed E-Pledge facility across the nation.

The main function was held at Staff Training College, Rohini, Delhi on 01.11.2018. The MD & CEO Sh. S. Harisankar and Executive Directors graced the occasion and addressed the gathering of more than 300 participants, mainly consisting of citizens, school students and Bank Officers. During the programme, latest updated version of Vigilance Manual was also released.

PUNITIVE VIGILANCE

दंडात्मक सतर्कता

अनुशासनात्मक कार्रवाई के लंबित मामलों को कम करने के लिए, अनुशासनात्मक प्राधिकारी (डीए) / नियंत्रकों की सक्रिय भागीदारी और माननीय सीबीसी के समन्वय के साथ, विशेष प्रयास किए गए हैं।

6 महीने से अधिक लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाई सम्बंधित पूछताछ के मामलों को कम करने के लिए सबसे अधिक प्रयास किए गए।, अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों को जल्दी से निपटाने का भी प्रयास किया गया ताकि संगठन में मजबूत संदेश जाए कि “गलत काम और गलत इरादे से गंभीर रूप से निपटा जाएगा”।

अनुशासनात्मक मामलों पर निवारक सतर्कता और कौशल बढ़ाने व कार्य के ज्ञान पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने को विशेष महत्व दिया जाता है।

सुरक्षा

बैंक की संस्थागत संरचना के अंतर्गत बैंक का एक सुस्थापित सुरक्षा कवच है। प्र.का. सुरक्षा विभाग सभी मुद्रा पेटिकाओं और शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्थाओं की नियमित रूप से समीक्षा कर रहा है तथा तदनुसार सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत बना रहा है ताकि प्रभावी, नई एवं अभेद्य सुरक्षा प्रणाली द्वारा वर्तमान सुरक्षा की चुनौतियों से निपटा जा सके। भा.रि. बैंक/भारतीय बैंक संघ के दिशा-निर्देशों के अनुसार लगभग सभी शाखाओं में सभी आवश्यक एवं अनिवार्य सुरक्षा व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराया गया है।

आंचलिक सुरक्षा अधिकारी प्रचलन में सुरक्षा व्यवस्थाओं का आंकलन करने के लिए शाखाओं का आवधिक सुरक्षा परीक्षण करते हैं और जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, अतिरिक्त निरोधात्मक सुरक्षा उपायों को लागू करने की अनुशंसा करते हैं। वे प्रशासनिक और कानून लागू करने वाले प्राधिकारियों के साथ नजदीकी संबंध बनाते हैं। इसके अतिरिक्त, मुख्य सुरक्षा अधिकारी तथा प्रधान कार्यालय के अन्य अधिकारीगण भी मुद्रा पेटिकाओं के सुरक्षा परीक्षण कर रहे हैं और बैंक की अति संवेदनशील शाखाओं का औचक दौरा भी कर रहे हैं।

भा.रि. बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक की सभी मुद्रा पेटिकाओं में अधिगम (Access) नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किया गया है। मुद्रा पेटिका के स्ट्रांग कक्ष तक पहुँच (एक्सेस) को नियंत्रित करने हेतु एक उचित प्रणाली तथा पेटिका के वाल्ट कक्ष में प्रवेश/निकास संबंधी प्रविष्टि के उचित अभिलेखों का रखरखाव किया जा रहा है।

सभी शाखाओं और मुद्रा पेटिकाओं में सुरक्षा अलार्म प्रणाली स्थापित है। अधिकांश शाखाओं में भा.रि. बैंक के विनिर्दिष्टों के अनुरूप स्ट्रांग कक्ष उपलब्ध कराए गए हैं।

बैंक की कुल 12 (बारह) मुद्रा पेटिकाएँ हैं और सभी को राज्य के पुलिस गार्डों द्वारा अभिरक्षा प्रदान की जा रही है। कम जोखिम वाली शाखाओं को छोड़कर बैंक की सभी शाखाओं में सशस्त्र गार्ड प्रदान की गई हैं।

सभी सुरक्षा अधिकारियों को वर्ष में एक बार सुरक्षा पर रिफ्रेशर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

खतरे की चेतावनी, नकदी की मात्रा, मूल्यवान वस्तुओं और निरंतर नगरानी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सभी मुद्रा पेटिकाओं, शाखाओं और ए.टी.एम. में सी.सी.टी.वी. निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है।

राजभाषा कार्यान्वयन:

वर्ष 2018-19 राजभाषा कार्यान्वयन की दृष्टि से उपलब्धियों भरा वर्ष रहा। इस वर्ष हमारे बैंक को क क्षेत्र के लिए राजभाषा का सर्वोच्च पुरस्कार (कीर्ति शिल्ड (द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार कार्यकारी निदेशक डॉ.फरीद अहमद जी ने माननीय उप राष्ट्रपति महोदय श्री एन. वेंकेया नायडू जी के कर कमलों से दिनांक 14.09.2018 को विज्ञान भवन में आयोजित भव्य कार्यक्रम में प्राप्त किया। इसके साथ ही बैंक की हिंदी पत्रिका ‘राजभाषा अंकुर को राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रिजर्व बैंक से प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार कार्यकारी निदेशक श्री गोविंद एन. डोंगे जी ने भारतीय रिजर्व बैंक के उप-गवर्नर श्री वी.वी.आचार्य के करकमलों से प्राप्त किया। राजभाषा अंकुर पत्रिका को दिल्ली बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। दिल्ली बैंक नराकास द्वारा वर्ष के दौरान विभिन्न अंतरबैंक प्रतियोगिताओं में हमारे बैंक को कुल 17 पुरस्कार प्राप्त हुए जो कि एक रिकॉर्ड है। साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में राजभाषा हिंदी में बेहतर काम करने के लिए बैंक को पटियाला, सूरत, जोधपुर, फरीदाबाद, करनाल, इटारसी, लुधियाना, दिल्ली तथा ग्वालियर में भी संबंधित बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा राजभाषा शील्ड प्रदान की गई। मध्य प्रदेश राजभाषा प्रचार समिति, भोपाल द्वारा आंचलिक कार्यालय में कार्यरत श्री जी.वी.रमन(तेलुगु भाषी) को पुरस्कार प्राप्त हुआ।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक में भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के प्रचार-प्रसार में आशातीत प्रगति की गई। हिंदी को अनुवाद के कटघरे से बाहर निकालकर राजभाषा कार्यान्वयन को परियोजना कार्यान्वयन के सिद्धांतों के आधार पर प्रचलित और प्रसारित किया गया। कुल 83 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिनमें 1464 स्टाफ सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त 446 शाखाओं में आयोजित डैस्क प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1693 कर्मियों को हिंदी के प्रयोग का प्रशिक्षण तथा कंप्यूटर पर यूनिकोड प्रशिक्षण भी दिया गया। बैंक में राजभाषा के प्रयोग की स्थिति की समीक्षा करने के उद्देश्य से कुल 416 शाखाओं/कार्यालयों के निरीक्षण किए गए।

Special efforts have been made to reduce the pendency of disciplinary action cases, with the active involvement of the Disciplinary Authorities (DAs) / Controllers and with coordination with the Hon'ble CVC.

Earnest efforts are made to bring down the pendency of enquiries of more than 6 months. Efforts are also made to conclude Disciplinary action cases quickly to convey strong message in the Organization that wrong doing and malafide intent will be dealt with severely.

Special emphasis is laid on conducting training programmes on preventive vigilance and enhancement of skills and job knowledge on Disciplinary matters.

SECURITY

The Bank has a well established Security set-up within the Bank's organizational structure. The H.O. Security department has been regularly reviewing the security arrangements at all Currency Chests and branches and accordingly strengthening the security arrangements to meet prevailing security scenario with effective, modern and unobstructed Security Systems. All the essential and mandatory security arrangements in terms of RBI/ IBA guidelines are provided at almost all branches.

The Zonal Security Officers periodically carry-out Security audit of branches to assess the security arrangements in vogue and recommend implementation of additional preventive security measures wherever desired. They maintain close liaison with the law enforcing and administrative authorities. Besides, the Chief Security Officer and other officials from Head Office are also carrying out the security audit of the Currency Chests and also undertake random visits of the vulnerable branches of the Bank.

The Access Control System at all Currency Chests of the Bank has been strengthened in terms of RBI guidelines. A proper system of regulating access to Currency Chest Strong Rooms and proper records of entry into / exit from the Vault Room of the chest is being maintained.

Security Alarm Systems are installed at all branches and currency chests. Strong Room conforming to RBI specification are provided at majority of branches.

The Bank has a total of 12 (twelve) currency chests and all of them are being guarded by the State Police guards. All branches of the Bank except the low risk branches are provided with armed guards.

All the Security Officers undergo refresher training on security, once in a year.

Keeping in view the threat perception, volume of cash and valuables handled and need for continuous surveillance, CCTV Surveillance System have been installed at all the Currency chests, Branches & ATMS.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE

The year 2018-19 was a year of achievements in view of implementation of official language. This year, our bank received the highest award Kirti Shield (second prize) for implementation of official language in A region. On 14.09.2018 at Vigyan Bhawan in the grand ceremony, our bank's Executive Director, Dr. Fareed Ahmed Ji received the award from Hon'ble Deputy President Shri N. Venkaiyya Naidu Ji. In addition to this, the bank's Hindi magazine 'Rajbhasha Ankur' was awarded an incentive award from Reserve Bank of India at national level. This award was given by Deputy Governor of RBI, Mr. V. V. Acharya Ji to Executive Director of our bank Mr. Govind N. Dongre Ji. Simultaneously, the bank's Hindi magazine 'Rajbhasha Ankur' was awarded second prize by Delhi Bank Nagar Official Language Implementation Committee. During the year, our bank received a total no. of 17 awards in different interbank competitions organized by different banks under Delhi Bank Nagar Official Language Implementation Committee, is a record. Besides this, Bank was also awarded Rajbhasha Shields in Patiala, Surat, Jodhpur, Faridabad, Karnal, Itarsi, Ludhiana, Delhi and Gwalior by respective Town Official Language Implementation Committees for better Implementation of Official Language in banking sector. Mr. G.V. Raman (Telugu speaking) working in the Zonal Office, Bhopal awarded by Madhya Pradesh National Language Publicity Committee, Bhopal.

During the financial year 2018-19, Bank made significant progress in implementation of official language Policy of Govt. of India for promoting and propagating the use of Official Language in the Bank. The implementation of official language was prevalent and extended on the basis of the principles of project implementation by taking out Hindi from the balustrade of translation. A total of **83** workshops were organized, in which **1464** staff members were trained. Besides this, in **446** Hindi Desk Training Programmes, **1693** staff members were imparted training for using official language and Unicode training on Computers. With the aim of reviewing the progress of Official Language, inspections were conducted in **416** Branches / offices.

वित्तीय वर्ष 2018-19 की विशेष उपलब्धि यह भी रही है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 से अंकुर पत्रिका के रचनाकारों को दिए जाने वाले मानदेय में आशातीत वृद्धि की गई है। वर्ष 2018-19 में प्रधान कार्यालय में हिंदी दिवस पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता स्टाफ-सदस्यों को आकर्षक नकद पुरस्कार दिए गए।

समान्य प्रशासन विभाग

- प्रधान कार्यालय 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली के सभी 8 फ्लोर और बिल्डिंग के बेसमेंट का नवीनीकरण और साज-सज्जा का कार्य पूरा किया।
- पिछले 29 वर्षों से सफदरजंग एन्क्लेव में बैंक के स्वामित्व वाली संपत्ति के लिए मदन एंड को के विरुद्ध डीड टाइटल हमने जीत लिया है। डीडए द्वारा लीज डीड को बैंक के पक्ष में पंजीकृत किया गया है।
- बैंक ने डीडए के खिलाफ उस मामले में सफलतापूर्वक 2.9 करोड़ रुपये की बचत की, जहां डीडए ने रोहिणी में बैंकों के स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज के निर्माण के लिए विस्तार शुल्क के रूप में 3.20 करोड़ का दावा किया था। अदालत के आदेश के अनुसार बैंक ने केवल 30 लाख रुपये का भुगतान किया।
- बैंक ने पूरे देश में शाखाओं हेतु नोट छँटाई मशीन के लिए 675 नं. 1 + 1 की खरीद के लिए विक्रेताओं के पैनल हेतु सफलतापूर्वक टेंडर पूरा किया।
- बैंक ने अपने सुधार एजेंडा के अंतर्गत अनुपयोगी गैर-प्रमुख संपत्तियों की सफलतापूर्वक बिक्री पूरी की है :
 - i) मुंबई में 11 फ्लैट, कुल 8.91 करोड़ रुपये में।
 - ii) सनजौली में वाणिज्यिक संपत्ति 1 करोड़ रुपये में।
- शाखाओं का परिवेश बैठने की उचित सुविधा, साफ सुथरा वातावरण, साफ-सफाई, उचित सफेदी और पेंटिंग इत्यादि सहित ग्राहक सेवा क्षेत्र के लिए रमणीय वातावरण हेतु आंचलिक कार्यालयों/शाखाओं को शाखा परिवेश मानकीकरण मैनुअल -2018 परिचालित किया गया है। बैंक ने जनता को बुनियादी ग्राहक सुविधाएं जैसे स्वच्छ शौचालय तक पहुंच और अच्छी स्वच्छता के साथ सुरक्षित पेयजल प्रदान की हैं।
- बैंक ने कुल 1201 एटीएम में से 1048 एटीएम पर रैंप की सुविधा प्रदान की है। 6 एटीएम में रैंप का निर्माण प्रगति पर है। शेष 147 एटीएम में विभिन्न कारणों जैसे ऊपरी भू/प्रथम तल पर स्थित एटीएम, स्टेटर ढलान, अपर्याप्त स्थान, स्थानीय प्राधिकारी से आपत्ति आदि कारणों से रैंप बनाना संभव नहीं हैं।

शिकायतों का समाधान

जनता की शिकायतों को बैंक के तीन स्तरों यानी शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय और प्रधान कार्यालय में नियंत्रित किया जाता है। इनमें से किसी भी कार्यालय में प्राप्त शिकायतों को तुरंत स्वीकार कर लिया जाता है, समय-सीमा के भीतर शिकायतक का निवारण कर शिकायतकर्ताओं को जबाब दिया जाता है।

इसके बाद, प्रधान कार्यालय निरीक्षण विभाग, जो सार्वजनिक शिकायतों के लिए एक नोडल कार्यालय है, लोक शिकायत और बैंकिंग लोकपाल के साथ शिकायतों के बारे में दिशानिर्देश और परिचालन निर्देश जारी करता है। बैंकिंग लोकपाल शिकायतों से निपटने के लिए 7 नोडल कार्यालय हैं। आंचलिक कार्यालय निम्न हैं दिल्ली 1, चंडीगढ़, मुंबई, भोपाल, चेन्नई, कोलकाता और लखनऊ।

बैंक के स्वयं के डिज़ाइन किए गए एसपीजीआरएस पोर्टल के अलावा, सीपीजीआरएएमएस (वित्त मंत्रालय) और आईएनजीआरएएम (उपभोक्ता मामले मंत्रालय) विभाग के दो अन्य पोर्टल्स का उपयोग जन शिकायतों की प्राप्ति और बाद में निवारण / समाधान करने की रिपोर्ट के लिए कर रहा है।

समय-सीमा

प्र.का. निरीक्षण विभाग द्वारा शाखा कार्यालय/आंचलिक कार्यालय/प्रधान कार्यालय के विभागों से संबंधित प्राप्त सार्वजनिक शिकायतों पर कारवा की जाती है। सौंपे गए दायित्व के बाद, प्रणाली शाखा कार्यालय/आंचलिक कार्यालय/प्रधान कार्यालय के विभागों को 10 दिन का समय शिकायत के निवारण हेतु देती है। 11वें दिन की समाप्ति पर, यदि शिकायत अनसुलझी रहती है, यह शाखाओं के संबंध में आंचलिक कार्यालयों को तथा आंचलिक कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालयों से संबंधित विभागों की शिकायतों को प्र.का. निरीक्षण विभाग को स्वतः भेज देती है।

टीएटी टाइम

शिकायतों के निवारण के लिए टीएटी हर वित्तीय वर्ष में शिकायतों के मूल कारण विश्लेषण के कारण कम करने की ओर है। शिकायत निवारण प्रणाली उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा प्रत्येक तिमाही में की गई शिकायतों / शिकायतों के एबीसी विश्लेषण के कारण लगातार सुधार कर रही है।

From financial year 2018-19, the honorarium amount given to the writers for writing in Rajbhasha Ankur Magazine has been enhanced. And, at Head office level, attractive cash prizes were also given to the winners participated in different competitions.

General Administration Department

- Completed the Furnishing and renovation work of all 8 Floors and Basement of HO building at 21, Rajendra Place, New Delhi.
- Won the title deed case which was pending since 29 years against Madan and Co. for Bank owned property at Safdarjung Enclave. Lease deed has been registered in favor of the Bank by DDA.
- Bank successfully saved Rs 2.9 crore against DDA in a case where DDA claimed 3.20 crore as composition fee for Extension of Time charges for construction of Banks' Staff Training college at Rohini. As per court order bank paid Rs.30 lacs only.
- Successfully completed the tender for Empanelment of vendors for procurement of 675 No.s 1+1 Pocket Note Sorting Machine for Branches all over the country.
- Successfully completed the sale of following unutilized non-core assets of Bank under Reform Agenda:
 - i) 11 No.s Flats at Mumbai for Total Rs.8.91 crore.
 - ii) Commercial property at Sanjaouli for Rs.1 crore.
- Branch Ambience Standardization Manual-2018 has been circulated to Zonal Offices/Branches to have pleasing ambience of customer service area, with proper seating, uncluttered surroundings, cleanliness, proper whitewashing and painting, etc. Bank has provided Basic customer amenities to public such as access to clean toilets and safe drinking water with good hygiene.
- Bank has provided the Ramp facility in 1048 ATMs out of Total 1201 ATMs. Construction of ramps in 6 ATMs is under progress. Ramps are not feasible in remaining 147 ATMs due to various reasons like ATM located at Upper Ground/1st Floor, steeper slope, insufficient space, objection from local authority etc.

HANDLING OF COMPLAINTS

The public grievances are handled at three levels in the Bank i.e. Branch, Zonal Office and Head Office. Complaints received at any of these Offices is immediately acknowledged, redressed and final reply is given to the complainants within the timeframe.

Henceforth, HO. Inspection Dept., which is a Nodal Office for Public grievances, issue guidelines & operational instructions w.r.t. Public grievances & about complaints with Banking Ombudsman. There are 7 Nodal Offices for Handling Banking Ombudsman Complaints (ZO. Delhi 1, Chandigarh, Mumbai, Bhopal, Chennai, Kolkata & Lucknow)

Besides Bank's own designed SPGRS portal, the department is using two other portals; namely CPGRAMS (Ministry of Finance) and INGRAM (Ministry of Consumer Affairs), for receipt of public grievances and subsequent reporting of redressal/ closure.

TIMELINE

For the Public grievances received, the Grievance is assigned to the BO/ ZO / HO Deptt. by the HO Inspection Deptt. After the assignment, the system allows 10 days to BO/ZO/ HO Deptt. to resolve the grievance. On expiry of the 11th day, if grievance remains unresolved, it automatically escalated to the respective ZOs in case of Branches and to HO Inspection Deptt. in case of ZOs and HOs deptt.

TAT TIME

Tat for the redressal of complaints is on the reducing side every Financial year owing to the Root Cause analysis of the complaints. Grievances Redressal System is continuously improving on account of ABC analysis of the complaints/ grievances conducted every quarter by the department under the guidance of higher authorities.

फॉर्म सं. एमआर-3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

[भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के विनियमन 24A के उद्देश्य में
(सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) नियम 2015]

वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2019 को समाप्त

सदस्य,
पंजाब एंड सिंध बैंक
21, राजेंद्र प्लेस
नई दिल्ली 8

हमने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और पंजाब एंड सिंध बैंक (बाद में "बैंक" कहा जाता है) द्वारा अच्छे कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन के सचिवीय लेखा परीक्षा का आयोजन किया है। सचिवीय अंकेक्षण एक तरीके से आयोजित किया गया था, जो हमें कॉर्पोरेट आचरण / वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।

बैंक की पुस्तकों, पत्रों, कार्यवृत्त की पुस्तकों, सांविधिक रजिस्ट्रारों, बैंक द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों और बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं, उनके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान हमारे सत्यापन के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, बैंक के पास 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है और यह भी बताया गया है कि बैंक के पास रिपोर्टिंग के तरीके और विषय के अनुसार उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन व्यवस्था है।

हमने 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए बैंक द्वारा बनाए गए पुस्तकों, कागजों, मिनटों की पुस्तकों, प्रपत्रों और रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जांच की है:

- (i) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (A SCRA ') और इसके तहत बनाए गए नियम;
- (ii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और विनियमों और उपनियमों के तहत;
- (iii) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और नियम और कानून विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक किए गए;
- (iv) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश: -
 - (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;
 - (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 1992;
 - (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2009;
 - (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) दिशानिर्देश, 1999;
 - (ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूति का मुद्दा और सूचीकरण) रेगुलैटो एनएस, 2008;
 - (च) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एक इश्यू और शेयर ट्रांसफर एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993;
 - (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों का वितरण) विनियम, 2009;
 - (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 1998;

CS Suchitta Koley FCS, FICA
Company Secretary



62/12, II Floor, Old Rajendra Nagar, New Delhi 110 060

Tel :- 91-11-42432630;

Mobile: 98-100-82385

e-mail: skoley_in@yahoo.co.in, koley.s@gmail.com

FORM No. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

[In Pursuance of Regulation 24A of Securities and Exchange Board of India
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015]

For The Financial Year Ended 31st March 2019

The Members,
Punjab & Sind Bank
21, Rajendra Place
New Delhi 8

We have conducted the Secretarial Audit of the compliances of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by Punjab & Sind Bank (hereinafter called "The Bank"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conduct/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, statutory registers, forms and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2019, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board Processes and Compliance Mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Bank for the financial year ended on 31st March 2019 according to the provisions of:

- (i) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;
- (ii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
- (iii) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;
- (iv) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act'):-
 - (a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
 - (b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992;
 - (c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;
 - (d) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999;
 - (e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
 - (f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993;
 - (g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009;
 - (h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998;

- (झ) सेबी (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015;
- (v) निम्नलिखित अधिनियम, योजना, लागू होने और अन्य कानूनों के रूप में विनियम, विशेष रूप से बैंक के लिए हैं।
- (क) बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980
- (ख) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970
- (ग) पंजाब और सिंध बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2008

हमारी रिपोर्ट को पढ़ने के साथ-साथ यहाँ उल्लेख किया गया है कि:

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव बैंक के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्ड पर एक राय व्यक्त करना है।
2. हमने लेखा परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सही तथ्य सचिवीय रिकॉर्ड में परिलक्षित होते हैं, हम मानते हैं कि प्रक्रियाओं और प्रथाओं के बारे में हमने अपनी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।
3. हमने बैंक के खातों के वित्तीय रिकॉर्ड और पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां कभी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों और घटनाओं आदि के होने के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों और नियमों के प्रावधानों का अनुपालन, प्रबंधन की जिम्मेदारी है; परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. हमने विशेष रूप से बैंक पर लागू विभिन्न राज्य कानूनों के तहत अनुपालन का सत्यापन नहीं किया है।
7. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों, इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है जो कि हमारी रिपोर्ट के अनुसार हैं:

1. बैंक के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ किया जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।
2. बोर्ड की बैठक के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिए गए हैं और तदनुसार, एजेंडा और विस्तृत नोट्स सभी निदेशकों को भेजे गए थे, और बैठक से पहले एजेंडा आइटम पर स्पष्टीकरण और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।
3. अधिकांश निर्णयों को आम सहमति के माध्यम से किया जाता है, जबकि असंतुष्ट सदस्यों के विचार, यदि कोई हो, को कलमबद्ध किया जाता है और मिनटों के रूप में दर्ज किया जाता है।
4. लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और संचालन के साथ बैंक में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान बैंक ने आम तौर पर विभिन्न अधिनियमों, नियमों और विनियमों, दिशानिर्देशों और मानकों की आवश्यकताओं का अनुपालन किया है जो बैंक पर लागू होते हैं।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17.05.2019

सुचिता कोले
कंपनी सचिव
एफसीएस 1647; सीपी नं. : 714

- (i) SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;
- (v) The following Act, Scheme, Regulations as applicable and other laws as are specifically to the Bank viz. -
 - (a) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980
 - (b) The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970
 - (c) Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008

Our report is to be read along with the noting as mentioned here-in-under:

1. Maintenance of secretarial records is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records, we believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of the financial records and books of accounts of the Bank.
4. Where ever required, we have obtained the management representation about the Compliances of the laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The Compliance of the provisions of the corporate and other applicable laws, rules and regulations, standards is the responsibility of the Management; ur examination was limited to the verification of the procedures on test basis.
6. We have not verified the compliance under various State laws specifically applicable to the Bank.
7. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above we report:

1. The Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.
2. Adequate notices are given to all directors for the Board Meetings and accordingly, agenda and detailed notes on agenda were sent to all directors, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful Participation at the meeting.
3. Majority decisions are carried through while the dissenting members' views, if any, are captured and recorded as part of the minutes.
4. There are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, Rules, Regulations and Guidelines.

We further report that during the audit period the Bank has generally complied with the requirements of various Act, Rules and Regulations, guidelines and standards as are applicable to the Bank.

Place: New Delhi
Date: 17.05.2019

Suchitta Koley
Company Secretary
FCS 1647; CP No.: 714

कंपनी प्रबंधन रिपोर्ट 2018-19

1. प्रबंधन संहिता के संबंध में बैंक - दर्शन

बैंक उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने तथा सभी स्तरों पर कार्यनिष्पादन को सुनिश्चित करने के साथ शेयर-धारकों के हितों की रक्षा करते हुए तथा उनके मूल्यों में अभिवृद्धि के लिए अपने सतत् प्रयास जारी रखेगा। बैंक न केवल सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा अपितु स्वेच्छापूर्वक कड़ी कंपनी प्रबंधन पद्धतियों को निष्पादित करते हुए, उनका पालन भी करेगा। बैंक प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने हेतु नैतिक मूल्यों के उच्च मानकों, पारदर्शिता तथा अनुशासित दृष्टिकोण अपनाने में विश्वास रखता है। बैंक सर्वोत्तम कार्यशैली को अपनाने के लिए वचनबद्ध है। बैंक अपने सभी साझेदारों जिसमें शेयरधारक, ग्राहक, सरकार तथा व्यापक तौर पर आमजन भी शामिल हैं, को अधिकतम लाभ पहुंचाने हेतु सघन प्रयास करता रहेगा।

बैंक एक सूचीबद्ध निकाय है जो एक कंपनी नहीं है अपितु बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 अर्थात् बैंककारी कंपनी अर्जन अधिनियम के तहत कंपनी निकाय है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होता है, अतः स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए सूचीयन करार और सेबी के अनुसार (सूचीकरण बाध्यता एवं प्रकटीकरण अनिवार्यता अधिनियम 2015) के प्रावधानों का उस सीमा तक पालन करेगा जहां तक बैंककारी कंपनी उपक्रमों का (अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1980 के प्रावधानों और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं होता है।

2. निदेशक मंडल:

2.1 निदेशक मंडल का स्वरूप

निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 यथा संशोधित तथा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1980 (यथा संशोधित) के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुरूप निदेशक मंडल का स्वरूप निम्नानुसार है:

क्रम सं.	नाम	पदनाम	31.03.2019 को धारित बैंक के शेयरों की संख्या	बैंक की उपसमितियों में सदस्यता की संख्या	अन्य कंपनियों में निदेशक पदों की संख्या अर्थात् बैंक के अतिरिक्त	अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या	टिप्पणियां (बैंक में नियुक्ति का स्वरूप)
1.	डॉ. चरन सिंह	अध्यक्ष (गैर - कार्यकारी)	शून्य	06	1. नैशनल हाउसिंग बैंक दिल्ली 2. नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड बेंगलोर 3. शोध सलाहकार समिति (बर्ड) ग्रामीण विकास हेतु बैंकों की संस्था 4. नाबार्ड	01	*
2.	श्री एस. हरिशंकर	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	शून्य	12	शून्य	शून्य	**
3.	श्री फरीद अहमद	कार्यकारी निदेशक	शून्य	13	शून्य	शून्य	***
4.	श्री गोविंद एन डोंगे	कार्यकारी निदेशक	शून्य	12	शून्य	शून्य	****

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE (2018-19)

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE :

The Bank shall continue its endeavor to enhance its shareholders' value by protecting their interest by ensuring performance at all levels, and maximizing returns with optimal use of resources in its pursuit of excellence. The Bank shall comply with not only the statutory requirements, but also voluntarily formulate and adhere to a set of strong Corporate Governance practices. The Bank believes in setting high standards of ethical values, transparency and a disciplined approach to achieve excellence in all its sphere of activities. The Bank is also committed to follow the best practices. The Bank shall strive hard to best serve the interests of its stakeholders comprising shareholders, customers, Government and society at large.

The Bank is a listed entity, which is not a company but body corporate under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and is regulated by Reserve Bank of India. Therefore, the Bank shall comply with the provisions of the Listing Agreement entered into with Stock Exchanges and as per SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 to the extent it does not violate the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and the Guidelines issued by Reserve Bank of India in this regard.

2. BOARD OF DIRECTORS

2.1. Composition of the Board:

The composition of Board of Directors of the Bank is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, as amended and the Nationalized Banks Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, as amended.

The composition of Board of Directors of the Bank as on 31st March, 2019 is as under:

Sr. No	Name	Position Held	No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2019	No. of membership in Sub Committees of the Bank	No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank.	No of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in Other Companies	Remarks (nature of appointment in the Bank)
1.	Dr Charan Singh	Chairman (Non – Executive)	NIL	6	1. National Housing Bank, Delhi 2. NABARD Financial Service Limited, Bengaluru 3. Research Advisory Committee, BIRD (Bankers Institute of Rural Development) 4. NABARD	1	*
2	Sh. S Harisankar	Managing Director & Chief Executive Officer	NIL	12	NIL	NIL	**
3.	Sh. Fareed Ahmed	Executive Director	NIL	13	NIL	NIL	***
4.	Sh. Govind N Dongre	Executive Director	NIL	12	NIL	NIL	****

क्रम सं.	नाम	पदनाम	31.03.2019 को धारित बैंक के शेयरों की संख्या	बैंक की उपसमितियों में सदस्यता की संख्या	अन्य कंपनियों में निदेशक पदों की संख्या अर्थात बैंक के अतिरिक्त	अन्य कंपनियों के बोर्ड की उप-समितियों में सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या	टिप्पणियां (बैंक में नियुक्ति का स्वरूप)
5.	श्री सेवा राम मेहर	निदेशक-वित्त मंत्रालय द्वारा नामित	शून्य	09	शून्य	शून्य	@
6.	श्री प्रदीप .के. जेना	निदेशक-भा.रि.बैं. द्वारा नामित	शून्य	04	शून्य	शून्य	@ @
7.	श्री शैलेश रामजी घेडिया	गैर-आधिकारिक वर्ग -सीए वर्ग	शून्य	06	05	01	#
8.	श्री मधु सूदन दादू	गैर-आधिकारिक निदेशक	शून्य	08	1. एपसोम इनफोटेक लिमिटेड 2. कनवरजेंस मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	02	# #
9	श्री हर्ष बीर सिंह	गैर-आधिकारिक निदेशक (शेयरधारक निदेशक)	1057	05	शून्य	शून्य	\$
10	श्री तीर्थ राज मेंदिराता	गैर-आधिकारिक निदेशक (शेयरधारक निदेशक)	100	07	शून्य	शून्य	\$\$

- * वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 23 मई, 2018 सं. एफ.नं.6/3/2017-बीओ-1 की शर्तों के अनुरूप पूर्णकालिक निदेशक (गैर-कार्यकारी अध्यक्ष) के रूप में 3 वर्ष की अवधि हेतु पदग्रहण करने की तिथि अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो नियुक्त किया गया है ।
- ** वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 19 सितंबर , 2018 सं. एफ.नं.4/2/2018-बीओ-1 की शर्तों के अनुरूप पूर्णकालिक निदेशक के रूप में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पदग्रहण करने की तिथि से लेकर अपने सेवा निवृत्त (31.05.2021) अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो नियुक्त किया गया है ।
- *** वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 16 फरवरी, 2017 सं. एफ.नं.4/5(6)/2016-बीओ-1 की शर्तों के अनुसार कार्यकारी निदेशक के रूप में 3 वर्ष की अवधि हेतु पदग्रहण करने की तिथि अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो नियुक्त किया गया है।
- **** वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 16 फरवरी, 2017 सं. एफ.नं.4/5(6)/2016-बीओ-1 की शर्तों के अनुसार कार्यकारी निदेशक पदग्रहण करने की तिथि से लेकर अपने सेवा निवृत्त (31.03.2020) अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो नियुक्त किया गया है ।
- @ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 13 जुलाई, 2018 सं. एफ.नं.6/3/2012-बीओ-1, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 उपधारा (3) के खंड (बी) के तहत तुरंत प्रभाव से एवं अगले आदेश तक निदेशक नियुक्त।
- @ @ वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 31 मई, 2013 सं. एफ.नं.6/34/2013-बीओ-1, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 उपधारा (3) के खंड (सी) के तहत तुरंत प्रभाव से एवं अगले आदेश तक निदेशक नियुक्त।
- # वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27 दिसंबर , 2017 सं. एफ.नं.6/1/2015-बीओ-1, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3) एवं (जी) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक एवं या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर-आधिकारिक सनदी लेखाकार वर्ग में निदेशक नियुक्त।
- # # वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27 दिसंबर , 2017 सं. एफ.नं.6/1/2015-बीओ-1, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3) एवं (3-ए) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक एवं या अगले आदेश तक जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक नियुक्त।

Sr. No	Name	Position Held	No. of equity shares of the Bank held as on 31.03.2019	No. of membership in Sub Committees of the Bank	No. of Directorship held in other Companies i.e. Other than the Bank.	No of Membership/ Chairmanship held in Sub Committees of the Board in Other Companies	Remarks (nature of appointment in the Bank)
5.	Sh. S R Mehar	Director – MOF Nominee	NIL	9	NIL	NIL	@
6.	Sh. P K Jena	Director – RBI Nominee	NIL	4	NIL	NIL	@@
7.	Sh. S R Ghedia	Non Official Category - CA Category	NIL	6	NIL	1	#
8.	Sh. Madhu Sudan Dadu	Non-Official Director	NIL	8	1. Apsom Infotex Ltd. 2. Convergence Multimedia Technologies Pvt Ltd.	2	##
9.	Sh. Harsh Bir Singh	Non-Official Director (Shareholder Director)	1057	5	NIL	NIL	\$
10.	Sh. T R Mendiratta	Non-Official Director (Shareholder Director)	100	7	NIL	NIL	\$\$

* Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.6/3/2017-BO.I dated 23rd May 2018 as Non-Executive Chairman for a period of three years from the date of notification of appointment, or until further orders, whichever is earlier.

** Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/2/2018-BO.I dated 19th September 2018 as Managing Director & Chief Executive Officer with effective from the date of assumption of office and upto the date of his attaining the age of superannuation (i.e, 31.05.2021), or until further orders, whichever is earlier.

*** Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/5(6)/2016-BO.I dated 16th February 2017 as Executive Director for a period of three years from the date of his taking over charge of the post, or until further orders, whichever is earlier.

**** Appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/5/(2)/2017-BO.I dated 9th October 2017 as Executive Director w.e.f. the date of his taking over charge of the post upto 31.03.2020 i.e. the date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

@ Appointed as Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/3/2012-BO-I dated 13th July 2018 under clause (b) of sub section (3) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 with immediate effect and until further orders.

@@ Appointed as Director in terms of GOI MOF letter No F.No.6/34/2013-BO-I dated 31st May 2013 under clause (c) of sub section 3 of Section 9 of Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 with immediate effect and until further orders.

Appointed as non official Part Time Director under Chartered Accountant category in terms of GOI MOF letter No. F. No. 6/1/2015- BO.I dated 27th December, 2017 under clause (g) of sub section (3) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 for a period of three years from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.

Appointed as non official Part Time Director in terms of GOI MOF letter No. F. No. 6/1/2015- BO.I dated 27th December, 2017 under clause (h) of sub section (3) and sub section (3-A) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 for a period of three years from the date of notification of his appointment or until further orders, whichever is earlier.

- § शेयरधारको के मध्य से, केंद्रीय सरकार के अलावा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3)(i) जोकि राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधानों) योजना 1980 तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयरों एवं बैठकों) से संबंधित अधिनियम 66(i), अधिनियम, 2008 खंड 9 (4) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक की अवधि अर्थात् दिनांक 01.07.2017 से निदेशक नियुक्त।
- §§ शेयरधारको के मध्य से, केंद्रीय सरकार के अलावा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3)(i) जोकि राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विभिन्न प्रावधानों) योजना 1980 तथा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (शेयरों एवं बैठकों) से संबंधित अधिनियम 66(i), अधिनियम, 2008 खंड 9 (4) के तहत अधिसूचना से 3 वर्ष तक की अवधि अर्थात् दिनांक 01.07.2017 से निदेशक नियुक्त।

2.2 वर्ष के दौरान निदेशको की नियुक्ति/कार्य-समाप्ति

वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल की संरचना में निम्न परिवर्तन हुए:

[क] नियुक्ति -

- डॉ. चरण सिंह को वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 23 मई 2018 संख्या एफ.नं. 6/3/2017-बी.ओ.-1 द्वारा बैंक के अध्यक्ष (गैर – कार्यकारी) के रूप में नियुक्त किया गया।
- श्री एस.हरिशंकर को वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 19 सितंबर 2018 संख्या एफ.नं. 4/2/2018-बी.ओ.-1 द्वारा बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया।
- श्री सेवा राम मेहर को वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 13 जुलाई 2018 संख्या एफ.नं. 6/3/2012-बी.ओ.-1 द्वारा वित्त मंत्रालय के बैंक हेतु नामित सदस्य नियुक्त किया है।

[ख] वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त/त्यागपत्र देने वाले निदेशक

- श्री एस. सेल्वाकुमार ने वित्त मंत्रालय के बैंक बोर्ड हेतु नामित सदस्य के रूप में दिनांक 13.07.2018 को अपना कार्यकाल पूर्ण किया।
- श्री अतनु सेन ने निदेशक के रूप में दिनांक 27.01.2019 को अपना कार्यकाल पूर्ण किया।

2.3 वर्ष 2018-19 के दौरान नियुक्त निदेशकों का परिचय:

डॉ. चरण सिंह

क्र.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	डॉ. चरण सिंह
2.	पिता का नाम	श्री अमरीक सिंह
3.	जन्म तिथि एवं आयु	30.09.1960 तथा 59 वर्ष
4.	वर्तमान पता	4/एस/1202 एडबल्यूएचओ गुर्जिंदर विहार सेक्टर सी1 पॉकेट पी5, ग्रेटर नोएडा, यूपी -201310
5.	ईमेल पता	charansingh60@gmail.com
6.	शैक्षिक योग्यता	अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट, एम.फिल
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	गैर आधिकारिक निदेशक अध्यक्ष (गैर – कार्यकारी)
8.	अनुभव	अनुसंधान विद्वान
9.	अन्य निदेशक पदों का विवरण, यदि कोई है	नेशनल हाउसिंग बैंक दिल्ली नाबाई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, बेंगलूर

श्री एस. हरिशंकर

क्र.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री एस. हरिशंकर
2.	पिता का नाम	श्री श्रीधरन नायर
3.	जन्म तिथि एवं आयु	19.05.1961 तथा 58 वर्ष
4.	वर्तमान पता	अपार्टमेंट 101 टावर 6 कॉमन वेल्थ खेल गाँव ,दिल्ली
5.	ईमेल पता	cmd@psb.co.in
6.	शैक्षिक योग्यता	बीएससी (कृषि)

\$ Elected from amongst the shareholders, other than the Central Government, in terms of Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with Clause 9 (4) of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 and Regulation 66 (i) of Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 for a period of 3 years, i.e. from 01.07.2017.

\$\$ Elected from amongst the shareholders, other than the Central Government, in terms of Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with Clause 9 (4) of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1980 and Regulation 66 (i) of Punjab & Sind Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2008 for a period of 3 years, i.e. from 01.07.2017.

2.2. Appointment / Cessation of Directors during the year:

The constitution of Bank's Board of Directors underwent the following changes during the year 2018-2019:

[A] Appointment:

- Dr. Charan Singh was appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.6/3/2017-BO.I dated 23rd May 2018 as Non-Executive Chairman.
- Sh. S Harisankar was appointed in terms of GOI MOF letter No F.No.4/2/2018-BO.I dated 19th September 2018 as Managing Director & Chief Executive Officer.
- Sh S R Mehar was nominated as MOF Nominee Director of the Bank vide Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi Notification No. F.No. 6/3/2012-BO.I dated 13.07.2018.

[B] Outgoing Directors during the year:

- Sh. S Selvakumar, MOF Nominee Director was on the Board of the Bank upto 13.07.2018.
- Sh. Atanu Sen completed his term as Director of the Bank on 27.01.2019.

2.3. Profile of Director appointed during 2018-19:

Dr. CHARAN SINGH

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	Dr CHARAN SINGH
2.	FATHER'S NAME	Sh. AMRIK SINGH
3.	DATE OF BIRTH & AGE	30.09.1960 & 59 Years
4.	PRESENT ADDRESS	4/S/1202 AWHO. Gurjinder Vihar Sector CHI 1, Pocket P5, Greater Noida UP - 201310
5.	EMAIL ADDRESS	charansingh60@gmail.com
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	Doctorate in Economics, M Phill
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	Non Executive Chairman
8.	EXPERIENCE	Research
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	National Housing Bank, Delhi NABARD Financial Services Ltd, Bengaluru

Sh. S HARISANKAR

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	Sh. S HARISANKAR
2.	FATHER'S NAME	Sh. SREEDHARAN NAIR
3.	DATE OF BIRTH & AGE	19.05.1961 & 58 Years
4.	PRESENT ADDRESS	MD & CEO Office, Bank House, 21 Rajendra Place, New Delhi
5.	EMAIL ADDRESS	cmd@psb.co.in
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	BSC (Agriculture)

क्र.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
8.	अनुभव	कार्यकारी निदेशक (इलाहाबाद बैंक)
9.	अन्य निदेशक पदों का विवरण, यदि कोई है	-----

श्री सेवा राम मेहर

क्र.सं.	ब्यौरा	विस्तृत विवरण
1.	पूरा नाम	श्री सेवा राम मेहर
2.	पिता का नाम	श्री राम लाल जी मीना
3.	जन्म तिथि एवं आयु	02.03.1962 तथा 57 वर्ष
4.	वर्तमान पता	773 सेक्टर 3 आर. के. पुरम , नई दिल्ली 110022
5.	ईमेल पता	Sewa.mehar66@gmail.com
6.	शैक्षिक योग्यता	एमए
7.	निदेशक के रूप में नियुक्ति का स्वरूप	वित्त मंत्रालय के बैंक हेतु नामित सदस्य
8.	अनुभव	32 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव
9.	अन्य निदेशक पदों का विवरण, यदि कोई है	-----

2.4 बोर्ड बैठकें :

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, बोर्ड की निम्न तिथियों पर कुल 13 बैठकें हुईं जोकि राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 में निर्धारित खण्ड 12 की न्यूनतम 06 बैठकों के विरुद्ध है।

16.04.2018	16.05.2018	30.06.2018	08.08.2018	27.08.2018
10.09.2018	24.09.2018	13.11.2018	12.12.2018	27.12.2018
21.01.2019	12.02.2019	15.03.2019		

उक्त निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्न है जो उनके कार्यकाल से संबंध है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की	दिनांक 2018 की ए.जी.एम. में उपस्थिति
डॉ. चरन सिंह -गैर कार्यकारी अध्यक्ष	23.05.2018 से 31.03.2019	11	11	उपस्थित
श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	19.09.2018 से 31.03.2019	07	07	--
श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	13	13	अनुपस्थित
श्री गोविंद एन डोंग्रे- कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	13	13	उपस्थित
श्री एस.आर. मेहर - भा.वि.मं. द्वारा नामित निदेशक	13.07.2018 से 31.03.2019	10	07	--
श्री एस.सेल्वा कुमार -भा.वि.मं. द्वारा नामित निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	03	02	अनुपस्थित
श्री पी.के. जेना - भा.रि.बैं. नामित निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	13	12	अनुपस्थित
श्री एस. आर. घेडिया -गैर आधिकारिक निदेशक (सीए वर्ग)	01.04.2018 से 31.03.2019	13	13	उपस्थित
श्री अतनु सेन - गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	11	10	उपस्थित
श्री एम. एस. दादू - गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	13	12	अनुपस्थित
श्री हर्ष वीर सिंह - शेयरधारक निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	13	13	उपस्थित
श्री टी.आर. मेंदिरता -शेयरधारक निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	13	11	अनुपस्थित

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	Managing Director & Chief Executive Officer
8.	EXPERIENCE	Executive Director (Allahabad Bank)
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	-----

Sh. S R MEHAR

SNO.	PARTICULARS	DETAIL
1.	FULL NAME	Sh. S R MEHAR
2.	FATHER'S NAME	Sh. RAM LAL JI MEENA
3.	DATE OF BIRTH & AGE	02.03.1962 & 57 Years
4.	PRESENT ADDRESS	773 Sector 3, R.K. Puram, New Delhi - 110022
5.	EMAIL ADDRESS	sewa.mehar66@gmail.com
6.	EDUCATIONAL QUALIFICATION	M.A.
7.	NATURE OF APPOINTMENT AS DIRECTOR	MOF Director
8.	EXPERIENCE	32 YEARS (Administrative Service)
9.	PARTICULARS OF OTHER DIRECTORSHIP (if any)	-----

2.4. BOARD MEETINGS:

During the Financial Year 2018-19, total 13 Board Meetings were held on the following dates as against minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980.

16.04.2018	16.05.2018	30.06.2018	08.08.2018	27.08.2018
10.09.2018	24.09.2018	13.11.2018	12.12.2018	27.12.2018
21.01.2019	12.02.2019	15.03.2019		

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Board Meetings held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended	Attendance of AGM held on 29.06.2018
Dr. Charan Singh (Non-executive chairman)	23.05.2018 to 31.03.2019	11	11	Attended
Sh. S Harisankar Managing Director & Chief Executive Officer	19.09.2018 to 31.03.2019	7	7	--
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	13	13	Not Present
Sh. Govind N Dongre – Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	13	13	Attended
Sh. S R Mehar – MOF Nominee Director	13.07.2018 to 31.03.2019	10	7	--
Sh. S Selvakumar – MOF Nominee Director	01.04.2018 to 13.07.2018	3	2	Not Present
Sh. P K Jena – RBI Nominee Director	01.04.2018 to 31.03.2019	13	12	Not Present
Sh. S R Ghedia- Non Official Director (CA Category)	01.04.2018 to 31.03.2019	13	13	Attended
Sh. Atanu Sen – Non Official Director	01.04.2018 to 27.01.2019	11	10	Attended
Sh. M S Dadu -- Non Official Director	01.04.2018 to 31.03.2019	13	12	Not Present
Sh. Harsh Bir Singh – Shareholders Director	01.04.2018 to 31.03.2019	13	13	Attended
Sh. T R Mendiratta – Shareholders Director	01.04.2018 to 31.03.2019	13	11	Not Present

2.5 आचार संहिता:

निदेशक मंडल तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अर्थात् निदेशकों एवं निदेशक से एक रैंक नीचे जिनमें सभी महाप्रबंधक सम्मिलित हैं, हेतु सेबी की (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन आवश्यकताओं) अधिनियम, 2015 के विनियमन 17(5) की अनुपालना में आचार संहिता को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। उक्त आचार संहिता का बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर उपलब्ध है। निदेशक मंडल के सभी सदस्यों एवं महाप्रबंधकों ने आचार संहिता के प्रति सहमति व्यक्त कर दी है।

3. सामान्य वार्षिक बैठक:

शेयरधारकों की आयोजित की गई अंतिम तीन सामान्य आम बैठकों का विवरण निम्न प्रकार है:

स्वरूप	दिन तथा दिनांक	समय	स्थल
ए.जी.एम.	मंगलवार 28.06.2016	प्रातः 10.00 बजे	इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, 40-मैक्स मुलर मार्ग, लोधी इस्टेट, नई दिल्ली-110003
ए.जी.एम.	बृहस्पतिवार 29.06.2017	प्रातः 10.00 बजे	इंडिया इंटरनेशनल सेन्टर, 40-मैक्स मुलर मार्ग, लोधी इस्टेट, नई दिल्ली-110003
ए.जी.एम.	शुक्रवार 29.06.2018	प्रातः 10.00 बजे	पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज, प्लॉट-3 व्यवसायिक क्षेत्र सेक्टर-3, जयपुर गोल्डन अस्पताल रोहिणी, दिल्ली 110085

कोई भी विशेष प्रस्ताव विगत तीन ए.जी.एम. में स्वीकृत नहीं किया गया।

4. निदेशकों की समिति:

बैंक के निदेशक मंडल ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस तथा जोखिम प्रबंधन प्रणाली पर भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशानुसार कार्यनीति के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर निगरानी रखने के लिए निदेशकों की विभिन्न समितियों का गठन किया है। बोर्ड कमेटी की बैठकों के दौरान प्रबंधन वर्ग ने मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध के परिचालन, निष्पादन विकास पर विचार-विमर्श के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास, उत्पादन के कार्य निष्पादन, अवसरों, चुनौतियों, जोखिमों और उससे संबंधित आवश्यकताओं के विश्लेषण पर बल दिया है। निदेशक मंडल की महत्वपूर्ण समितियां निम्न प्रकार हैं-

क्र.सं.	समिति का नाम
1.	निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति (एमसी)
2.	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
3.	बड़ी राशि की धोखाधड़ी निगरानी संबंधी समिति
4.	सतर्कता समिति
5.	जोखिम प्रबंधन समिति
6.	ग्राहक सेवा समिति
7.	पारिश्रमिक समिति
8.	अंशधारक संपर्क समिति
9.	मानव संसाधन समिति
10.	सूचना प्रौद्योगिकी योजना समिति
11.	कार्यपालकों की पद्धति पर निदेशकों की समिति
12.	अपील/समीक्षा प्राधिकारी पर निदेशकों की समिति
13.	वसूली की निगरानी समिति
14.	शेयरधारक निदेशक चुनाव समिति - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में मतदान
15.	इरादतन चूककर्ता हेतु समीक्षा समिति
16.	नामांकन समिति

2.5. Code of Conduct:

The Code of Conduct for Board of Directors and key Management Personnel i.e. Directors & one rank below Director comprising all General Managers has been approved by the Board of Directors in compliance of Regulation 17(5) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 with Stock Exchanges. The said Code of Conduct is posted on Bank's website www.psbindia.com. All the Board Members and General Managers have since affirmed the compliance of the Code.

3. Annual General Meeting :

Details of last three Annual General Meetings of the shareholders held are given below:

Nature	Day & Date	Time	Venue
AGM	Tuesday 28.06.2016	10.00 a.m.	India International Centre, 40-Max Mueller Marg, Lodhi Estate, New Delhi-110003
AGM	Thursday 29.06.2017	10.00 a.m.	India International Centre, 40-Max Muller Marg, Lodhi Estate, New Delhi-110003
AGM	Friday 29.06.2018	10.00 a.m.	Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3, Near Jaipur Golden Hospital, Rohini, Delhi-110 085

No Special Resolution was passed in the previous three AGMs.

4. COMMITTEES OF DIRECTORS:

The Board of Directors of the Bank has constituted various Committees of Directors to look into different areas of strategic importance in terms of Reserve Bank of India and Government of India guidelines on Corporate Governance and Risk Management. The Management lays emphasis on the analysis of sectoral development, segment / product performance, opportunities, threats, risks & associated concern, besides operational performance & development of HR / IR in the discussions during the Board / Committee Meetings. The important Committees of the Board are as under:

SNo	Name of the Committee
1.	Management Committee of the Board (MC)
2.	Audit Committee of Board (ACB)
3.	Committee for Monitoring of Large Value Frauds
4.	Vigilance Committee of the Board
5.	Risk Management Committee
6.	Customer Service Committee
7.	Stakeholders Relationship Committee
8.	HR Committee
9.	IT Strategy Committee
10.	Committee of the Board on Executives' Promotions
11.	Committee for dealing with the case of appeals and review
12.	Committee for Monitoring of Recovery
13.	Election of Shareholder Director Committee-Voting by Public Sector Bank
14.	Review Committee for Willful Defaulter
15.	Nomination Committee
16.	Capital Issue Committee

4.1 निदेशक मंडल की प्रबंधन समिति:

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1980 (यथा संशोधित) के खंड - 13 के अनुसरण में किया गया है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण कारोबारी मामले तथा अधिक राशि के ऋण प्रस्ताव मंजूर करने, समझौता/बट्टा खाता प्रस्ताव, पूंजीगत एवं राजस्व व्यय की स्वीकृति, परिसर, निवेश, दान आदि पर विचार करती है।

समिति में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक और धारा 9(3)(सी) एवं 9(3)(जी) के तहत भारत सरकार द्वारा नामित निदेशकों तथा बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3) की उपधारा (ई)(एफ)(एच) व (आई) के अधीन नियुक्त निदेशकों में से तीन निदेशकों का समावेश है।

31 मार्च, 2019 को समिति की संरचना इस प्रकार है-

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2.	श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक
3.	श्री गोविंद एन डोंग्रे - कार्यकारी निदेशक
4.	श्री पी.के. जेना - भा.रि.बैं. नामित निदेशक
5.	श्री एम. एस. दादू - गैर आधिकारिक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड की प्रबंधन समिति की निम्नांकित तिथियों पर 14 बैठक का आयोजन हुआ:

17.04.2018	16.05.2018	25.05.2018	30.06.2018	09.08.2018
27.08.2018	24.09.2018	24.10.2018	12.11.2018	13.12.2018
27.12.2018	21.01.2019	13.02.2019	15.03.2019	

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्न है-

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	19.09.2018 से 31.03.2019	08	08
श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	14	14
श्री गोविंद एन डोंग्रे- कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	14	14
श्री पी.के. जेना - भा.रि.बैं. नामित निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	14	13
श्री अतनु सेन - गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2018 से 30.06.2018 18.01.2019 से 28.01.2019	05	05
श्री एम. एस. दादू - गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2018 से 30.06.2018 18.01.2019 से 31.03.2019	07	06
श्री हर्ष बीर सिंह - शेयरधारक निदेशक	09.08.2018 से 27.12.2018	07	07
श्री टी.आर. मेंदिरता -शेयरधारक निदेशक	09.08.2018 से 31.03.2019	07	05

4.2 बोर्ड की लेखा परीक्षण समिति (एसीबी)

बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मूल सिद्धांतों के अनुरूप और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में, बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति गठित की है। एक गैर कार्यकारी निदेशक जोकि सनदी लेखाकार है, समिति का अध्यक्ष है।

लेखा परीक्षा समिति का, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रमुख कार्य बैंक की वित्तीय सूचना प्रणाली की समीक्षा और आकलन करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय विवरणियां सही, उपयुक्त और विश्वसनीय हैं। यह समिति बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही/वार्षिक वित्तीय विवरणियों की प्रबंधन के साथ समीक्षा करती है।

4.1. Management Committee of the Board:

In pursuance of Clause 13 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (as amended) read with the amendments made by the Ministry of Finance, Government of India, a Management Committee of the Board has been constituted to consider various business matters of material significance like sanction of high value credit proposals, compromise / write-off proposals, sanction of capital and revenue expenditure, premises, investments, donations etc.

The Committee mandate to consist of Chairman and Managing Director, Executive Director/s and Directors nominated by Government of India under Section 9 (3) (c) and besides three Directors from amongst those appointed under sub section (e) (f) (h) and (i) of section 9(3) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.

The composition of the Management Committee as on 31st March 2019 is as under:

SNo	Name of the Director
1.	Sh. S Harisankar - MD & CEO
2.	Sh. Fareed Ahmed- Executive Director
3.	Sh. Govind N Dongre - Executive Director
4.	Sh. Pradipta K Jena-Director (RBI Nominee)
5.	Sh. Madhu Sudan Dadu - Non Official Director

During the Financial Year 2018-19, the Management Committee of the Board met on 14 occasions on the following dates:

17.04.2018	16.05.2018	25.05.2018	30.06.2018	09.08.2018
27.08.2018	24.09.2018	24.10.2018	12.11.2018	13.12.2018
27.12.2018	21.01.2019	13.02.2019	15.03.2019	

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Sh. S Harisankar – Managing Director & Chief Executive Officer	19.09.2018 to 31.03.2019	8	8
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	14	14
Sh. Govind N Dongre -- Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	14	14
Sh. P K Jena – RBI Nominee Director	01.04.2018 to 31.03.2019	14	13
Sh. Atanu Sen -- Non Official Director	01.04.2018 to 30.06.2018 18.01.2019 to 27.01.2019	5	5
Sh. M S Dadu -- Non Official Director	01.04.2018 to 30.06.2018 18.01.2019 to 31.03.2019	7	6
Sh. Harsh Bir Singh – Shareholders Director	09.08.2018 to 27.12.2018	7	7
Sh. T R Mendiratta – Shareholders Director	09.08.2018 to 31.03.2019	7	5

4.2. Audit Committee of Board (ACB):

The Bank, in consonance with the fundamentals of Corporate Governance and in pursuance of directives of the Reserve Bank of India, has constituted an Audit Committee of the Board. A Non-Executive Director, who is a Chartered Accountant, is the Chairman of the Committee.

The main functions of Audit Committee inter-alia include assessing and reviewing the financial reporting system of the Bank to ensure that the financial statements are correct, sufficient and credible. It reviews and recommends to the management, the quarterly / annual financial statements before their submission to the Board.

यह लेखा परीक्षा समिति दिशा-निर्देश देती है तथा बैंक के समग्र लेखा परीक्षा कार्यों की समीक्षा करती है जिसमें संगठन परिचालन तथा आंतरिक लेखा परीक्षा की गुणवत्ता नियंत्रण, कार्य आंतरिक नियंत्रण दोष और बैंक की आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था, बैंक की सांविधिक/ बाह्य लेखा परीक्षा संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण सम्मिलित है।

समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना, इसकी स्टाफ संरचना की समीक्षा भी करती है और किसी महत्वपूर्ण खोज के संबंध में आंतरिक लेखा परीक्षकों/निरीक्षकों के साथ विचार-विमर्श तथा उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है। यह बैंक की वित्तीय व जोखिम प्रबंधन नीतियों की समीक्षा भी करती है।

सांविधिक लेखा परीक्षा के संदर्भ में लेखा परीक्षा समिति, वार्षिक/तिमाही वित्तीय खातों एवं रिपोर्टों को अंतिम देने से पूर्व, केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ विचार-विमर्श करती है। यह समिति लांग फार्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) की विभिन्न मदों पर अनुवर्ती कार्रवाई भी करती है।

31 मार्च, 2019 को समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एस. आर. घेड़िया –गैर आधिकारिक निदेशक(सीए वर्ग)
2.	डॉ. चरन सिंह -गैर कार्यकारी अध्यक्ष
3.	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक
4.	श्री पी.के. जेना - भा.रि.बैं. नामित निदेशक
5	श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षण समिति (एसीबी) की 07 अवसरों पर बैठके निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित की गई:

16.05.2018	30.06.2018	08.08.2018	24.10.2018	13.11.2018	12.02.2019	15.03.2019
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति विवरण निम्न है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
1.	श्री एस. आर. घेड़िया –गैर आधिकारिक निदेशक(सीए वर्ग)	01.04.2018 से 31.03.2019	07	07
2.	डॉ. चरन सिंह -गैर कार्यकारी अध्यक्ष	15.03.2019 से 31.03.2019	01	01
3.	श्री फरीद अहमद – कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	07	07
4.	श्री एस.आर. मेहर – वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	08.08.2018 to 31.03.2019	05	03
5.	श्री एस.सेल्वा कुमार भा.वि.मं. द्वारा नामित निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	02	01
6.	श्री पी.के. जेना - भा.रि.बैं. नामित निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	07	06
7	श्री हर्ष बीर सिंह – शेयरधारक निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	02	02
8	श्री टी.आर. मेंदिरता -शेयरधारक निदेशक	12.02.2019 से 12.02.2019	01	01
9	श्री एम. एस. दादू – गैर आधिकारिक निदेशक	08.08.2018 से 13.11.2018	03	03

4.3 बड़ी राशि के धोखाधड़ी मामलों की निगरानी समिति:

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 14 जनवरी, 2004 सं. आरबीआई/2004.5. डीबीएस.एफजीवी(एफ) नं.1004/23.04.01ए/2003-04 के माध्यम से धोखाधड़ी का पता लगाने, नियामक तथा प्रवर्तन एजेंसियों को उसकी सूचना और धोखाधड़ी के अपराधी पर कृत्य के विरुद्ध कार्रवाई जैसे विभिन्न पहलुओं में विलम्ब के विषय में सूचित किया था। अतः यह सुझाव दिया गया कि बोर्ड की एक उप समिति गठित की जाए जो कि केवल 1 करोड़ के रूपए और उससे ऊपर की राशि की धोखाधड़ी संबंधी मामलों की निगरानी तथा अनुवर्ती कार्रवाई का कार्य ही करेगी। बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति सामान्यतः धोखाधड़ी के सभी मामलों की निगरानी जारी रखेगी।

समिति के मुख्य कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ 1 करोड़ रूपए और उसके ऊपर की राशि की धोखाधड़ी की निगरानी तथा समीक्षा सम्मिलित है ताकि

(क) धोखाधड़ी के आपराधिक कृत्य में प्रणालीगत खामियों का पता लगाने और उन पर नियंत्रण करने के उपाय किए जा सकें।

The Audit Committee provides directions and oversees the operations of total audit functions of the Bank including the organization, operation and quality control of internal audit, internal control weaknesses and inspection within the Bank and follow-up of the suggestions of Statutory/External audit of the Bank and RBI inspections.

The Audit Committee also reviews the adequacy of internal control systems, structure of internal audit department, its staffing pattern and hold discussions with the internal auditors / inspectors on any significant finding and follow-up action thereon. It further reviews the financial and risk management policies of the Bank.

As for Statutory Audit, the Audit Committee interacts with the Statutory Central Auditors before finalization of Quarterly / Year to date / Annual Financial Results and Reports. It also maintains follow up on various issues raised in the Long Form Audit Report (LFAR).

The composition of the Audit Committee as on 31st March, 2019 is as under:

S. No.	Name of the Director
1.	Sh. Shailesh R Ghedia -CA Director - Chairperson
2.	Sh. Charan Singh – (Non-Executive Chairman)
3.	Sh. Fareed Ahmed - Executive Director
4.	Sh. Pradipta K Jena- Director (RBI Nominee)
5.	Sh. S.R. Mehar-Director (MOF Nominee)

During the Financial Year 2018-19, the Audit Committee of the Board (ACB) met on 7 occasions on the dates given below:

16.05.2018	30.06.2018	08.08.2018	24.10.2018	13.11.2018	12.02.2019	15.03.2019
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Sr. No	Name of the Director	Period	Meeting held during their tenure	Meeting attended
1	Sh. S R Ghedia – Non Official Director-CA Category - Chairperson	01-04-2018 to 31.03.2019	7	7
2	Dr Charan Singh– Chairman	15.03.2019 to 31.03.2019	1	1
3	Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01-04-2018 to 31.03.2019	7	7
4	Sh. S R Mehar- MOF Nominee Director	08.08.2018 to 31.03.2019	5	3
5	Sh. S Selvakumar - MOF Nominee Director	01.04.2018 to 30.06.2018	2	1
6	Sh. P K Jena - RBI Nominee Director	01.04.2018 to 31.03.2019	7	6
7	Sh. Harsh Bir Singh – Share Holder Director	01.04.2018 to 30.06.2018	2	2
8	Sh. T R Mendiratta – Share Holder Director	12.02.2019 to 12.02.2019	1	1
9	Sh. M S Dadu – Director	08.08.2018 to 13.11.2018	3	3

4.3. Committee for Monitoring of Large Value Frauds:

Reserve Bank of India vide its letter No.RBI/2004.5.DBS.FGV(F)No.1004/23.04.01A/2003-4 dated 14th January, 2004 informed about the delay in various aspects of frauds like detection, reporting to regulatory and enforcement agencies and action against the perpetrators of the frauds. It was therefore, suggested to constitute a Sub-committee of the Board, which would be exclusively dedicated to monitor and follow up of fraud cases of Rs.1.00 crore and above. The Audit Committee of the Board will continue to monitor all the cases of frauds in general.

The major functions of the Committee, inter-alia, include monitoring and review of all the frauds of Rs.1.00 crore and above so as to:

- Identify the systemic lacunae if any that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same

- (ख) धोखाधड़ी के पता लगाने में विलंब के कारणों की पहचान तथा बैंक एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के उच्च प्रबंधकों को उसकी रिपोर्टिंग।
- (ग) सीबीआई/पुलिस जांच-पड़ताल की प्रगति तथा वसूली की स्थिति।
- (घ) सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ उत्तरदायित्व का परीक्षण हो और स्टाफ पर कार्रवाई यदि अपेक्षित हो तो अविलंब हो।
- (ण) धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति के निवारण हेतु की गई उपचारात्मक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता की समीक्षा यथा आंतरिक नियंत्रण को सशक्त करना।
- (च) धोखाधड़ी के खिलाफ निवारक उपायों को सशक्त करने हेतु यथावश्यक अन्य उपायों को करना।

31 मार्च, 2019 को समिति की संरचना निम्न है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	डॉ. चरन सिंह -गैर कार्यकारी अध्यक्ष
2.	श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3.	श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक
4.	श्री गोविंद एन डॉंग्रे- कार्यकारी निदेशक
5.	श्री एस.आर. मेहर - वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
6.	श्री एम. एस. दादू - गैर आधिकारिक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की बैठके आयोजित की गई जिनका विवरण निम्न है:

15.05.2018	09.08.2018	12.12.2018	15.03.2019
------------	------------	------------	------------

निदेशकों का उनकी अवधि के दौरान उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है:

नाम	कार्यकाल	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में सहभागिता
डॉ. चरन सिंह -गैर कार्यकारी अध्यक्ष	09.08.2018 से 31.03.2019	3	3
श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	19.09.2018 से 31.03.2019	2	2
श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	4	4
श्री गोविंद एन डॉंग्रे- कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	4	4
श्री एस.आर. मेहर - वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	01.08.2018 से 31.03.2019	3	2
श्री एस.सेल्वा कुमार भा.वि.मं. द्वारा नामित निदेशक	01.04.2018 से 15.05.2018	1	1
श्री अतनु सेन गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2018 से 12.12.2018	3	2
श्री एम. एस. दादू - गैर आधिकारिक निदेशक	15.03.2019 से 31.03.2019	1	1

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने पत्र दिनांक 16.09.2009 सं. डीबीएस.सीओ.एफ.आर.एम.सी. नं. 7/23.04.001/2009-10 द्वारा सूचित किया है कि धोखाधड़ी के मामलों में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रभावी जांच की जाए और इसकी तुरंत सूचना सही प्राधिकारी को दी जाए। भारतीय रिज़र्व बैंक की सलाह पर, बैंक ने प्रधान कार्यालय निरीक्षण विभाग के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए और उससे ऊपर के मामलों का विशेष कार्य करने हेतु केंद्रीय सघन परिचालन इकाई की स्थापना की है।

दिनांक 12.12.2012 के बोर्ड संकल्प संख्या 20214 के अनुसार, एक स्वतंत्र नए विभाग "धोखाधड़ी निगरानी विभाग" की दिनांक 07.02.2013 को एक ही स्थान पर स्थापना की गई है ताकि किए गए प्रयासों में किसी प्रकार की कोताही और कमी न हो सके। पूर्व में धोखाधड़ी के मामलों की दो स्थानों पर देखभाल की जाती थी अर्थात् रु.1 करोड़ एवं उससे ऊपर के मामलों को प्रधान कार्यालय निरीक्षण विभाग जबकि रु.1 करोड़ से कम राशि के मामलों की देखभाल प्र.का. सतर्कता विभाग द्वारा की जाती थी। नए प्रावधान से धोखाधड़ी के मामलों की नजदीक से निगरानी, पुराने धोखाधड़ी के मामलों पर तुरंत कार्रवाई और प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई के साथ बार-बार होने वाली धोखाधड़ी को रोकने हेतु निरोधात्मक उपाय किए जा सकेंगे और जिससे भारतीय रिज़र्व बैंक को समय से धोखाधड़ी की सूचना दी जा सकेगी।

- (b) Identify the reasons for delay in detection, if any, reporting to top management of the Bank and RBI
- (c) Monitor progress of CBI/Police investigation and recovery position
- (d) Ensure that staff accountability is examined at all levels in all the cases of frauds and staff side action, if required, is completed quickly without loss of time
- (e) Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls and
- (f) Put in place other measures as may be considered relevant to strengthen Preventive measures against frauds.

The composition of the Committee as on 31st March, 2019 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. Charan Singh (Chairman)
2.	Sh. S Harisankar - MD & CEO
3.	Sh. Fareed Ahmed- Executive Director
4.	Sh. Govind N Dongre - Executive Director
5.	Sh. S.R. Mehar-Director (MOF)
6.	Sh. M.S. Dadu – Non-Official Director

The Committee met four times during the Financial Year 2018-19 as per the details below:

15.05.2018	09.08.2018	12.12.2018	15.03.2019
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of directors during their tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Sh. Charan Singh (Chairman)	09.08.2018 to 31.03.2019	3	3
Sh. S Harisankar – Managing Director & Chief Executive Officer	19.09.2018 to 31.03.2019	2	2
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4
Sh. Govind N Dongre -- Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4
Sh. S R Mehar – MOF Nominee Director	01.08.2018 to 31.03.2019	3	2
Sh. S Selvakumar – MOF Nominee Director	01.04.2018 to 15.05.2018	1	1
Sh. Atanu Sen -- Non official Director	01.04.2018 to 12.12.2018	3	2
Sh. M S Dadu - Director	15.03.2019 to 31.03.2019	1	1

RBI, vide letter No. DBS. CO. FrMC. No. 7/23.04.001/2009-10 dated 16.09.2009 had advised to initiate necessary action in respect of effective investigation in fraud cases and prompt reporting to appropriate authority. The Bank has since then set up a Centralized Dedicated Operating Unit under the aegis of HO Inspection Department to undertake distinct functions relating to frauds above Rs. 1.00 crore as advised by RBI.

In terms of Board Resolution no. 20214 dated 12.12.2012, a new independent Department named 'Fraud Monitoring Department' has been working since 07.02.2013 at one place, leaving no scope to overlapping and duplicity of effort. Earlier, fraud cases were dealt at two places viz the large value fraud of Rs. One crore & above at HO Inspection Department, where as frauds below the amount of Rupees One crore were being dealt by HO. Vigilance Department. The new set up resulted in close monitoring of fraud cases, faster closure of old fraud cases and effective follow up and implementation of preventive measures to check the recurrence of frauds & improvement in timely reporting of frauds to RBI.

4.4 सतर्कता समिति:

वित्त मंत्रालय के पत्र दिनांक 24.10.1990 सं. 10/12/90/सतर्कता/सीवीओ की शर्तों के अनुरूप, बैंक ने सतर्कता संबंधी कार्यों की समीक्षा के दृष्टिकोण से, सतर्कता अनुशासन संबंधी मामलों के तुरंत निपटान हेतु प्रभावी निगरानी औजार के रूप में बोर्ड की एक सतर्कता समिति का निम्न सदस्यों के साथ गठन किया है।

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2.	श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक
3.	श्री गोविंद एन डोंगे- कार्यकारी निदेशक
4.	श्री पी.के. जेना - भा.रि.बैं. नामित निदेशक
5.	श्री एस.आर. मेहर - वित्त मंत्रालय नामित निदेशक

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान समिति ने निम्न विवरण के अनुसार चार अवसरों पर बैठक की:

16.05.2018	09.08.2018	13.12.2018	13.02.2019
------------	------------	------------	------------

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्न प्रकार है-

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	13.12.2018 से 31.03.2019	2	2
श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	4	4
श्री गोविंद एन डोंगे- कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	4	4
श्री एस.आर. मेहर - वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	09.08.2018 से 31.03.2019	3	3
श्री एस.सेल्वा कुमार - भा.वि.मं. द्वारा नामित निदेशक	01.04.2018 से 16.05.2018	1	1
श्री पी.के. जेना - भा.रि.बैं. नामित निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	4	4

4.5 जोखिम प्रबंधन समिति:

बैंक ने समस्त जोखिमों की समीक्षा एवं मूल्यांकन करने के लिए बोर्ड स्तर की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया है।

समिति मुख्य तीन जोखिम क्रियाओं जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम एवं परिचालन जोखिम की समीक्षा करती है और विषय पर समुचित विचार करती है एवं यदि आवश्यक हो तो सही निर्देश जारी करती है।

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समिति की संरचना निम्न है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	डॉ. चरन सिंह - गैर कार्यकारी अध्यक्ष
2.	श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3.	श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक
4.	श्री गोविंद एन डोंगे - कार्यकारी निदेशक
5.	श्री टी.आर. मेंदिरता - शेयरधारक निदेशक
6.	श्री एम. एस. दादू - गैर आधिकारिक निदेशक
7.	श्री हर्ष बीर सिंह - शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान समिति ने निम्न विवरण के अनुसार पांच अवसरों पर बैठक की:

16.04.2018	15.05.2018	08.08.2018	12.11.2018	21.01.2019
------------	------------	------------	------------	------------

4.4. Vigilance Committee of the Board

With a view to make the review of vigilance work an effective instrument of monitoring the speedy disposal of vigilance disciplinary cases, a Vigilance Committee of the Board has been setup in the Bank in terms of Ministry of Finance letter No.10/12/90/VIG/CVOs dated 24.10.1990 with following members:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. S Harisankar - MD & CEO
2.	Sh. Fareed Ahmed- Executive Director
3.	Sh. Govind N Dongre - Executive Director
4.	Sh. Pradipta K Jena-Director (RBI Nominee)
5	Sh. S.R. Mehar-Director (MOF Nominee)

The Committee met four times during the Financial Year 2018-19 as per the details below:

16.05.2018	09.08.2018	13.12.2018	13.02.2019
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Sh. S Harisankar – Managing Director & Chief Executive Officer	13.12.2018 to 31.03.2019	2	2
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4
Sh. Govind N Dongre – Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4
Sh. S R Mehar – MOF Nominee Director	09.08.2018 to 31.03.2019	3	3
Sh. S Selvakumar – MOF Nominee Director	01.04.2018 to 16.05.2018	1	1
Sh. P K Jena – RBI Nominee Director	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4

4.5. Risk Management Committee:

The Bank has constituted a Board level Risk Management Committee to review and evaluate the overall risks assumed by the Bank.

The Committee reviews three important risk functions viz. Credit Risks, Market Risks and Operational Risks and takes an integrated view of the subject and impart suitable directions if required. The composition of the Committee as on 31st March, 2019 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. Charan Singh (Chairman)
2.	Sh. S Harisankar - MD & CEO
3.	Sh. Fareed Ahmed- Executive Director
4.	Sh. Govind N Dongre - Executive Director
5.	Sh. T R Mendiratta- Shareholder Director
6.	Sh. Madhu Sudan Dadu - Non Official Director
7.	Sh. Harsh Bir Singh – Shareholder Director

The Committee met five times during the Financial Year 2018-19 as per the details below:

16.04.2018	15.05.2018	08.08.2018	12.11.2018	21.01.2019
------------	------------	------------	------------	------------

निदेशक सदस्यों की उनके कार्यकाल के दौरान समिति की आयोजित उक्त बैठकों में उनकी उपस्थिति संबंधी विवरण निम्न है-

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
डॉ. चरन सिंह - गैर कार्यकारी अध्यक्ष	08.08.2018 से 31.03.2019	3	3
श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	12.11.2018 से 31.03.2019	2	2
श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	5	4
श्री गोविंद एन डोंग्रे - कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	5	5
श्री अतनु सेन - गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2018 से 21.01.2019	5	5
श्री एम. एस. दादू - निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	5	4
श्री टी.आर. मेंदिरता - शेयरधारक निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	5	3
श्री हर्ष वीर सिंह - शेयरधारक निदेशक	14.02.2019 से 31.03.2019	0	0

बैंक ने एक वास्तविक जोखिम प्रबंधन के ढांचे का गठन किया है जिसमें जोखिम प्रबंधन संगठन ढांचा, जोखिम सिद्धांत, जोखिम नियंत्रण एवं जोखिम लेखा परीक्षण सम्मिलित हैं जो कि सभी ऋण जोखिम, बाजार जोखिम एवं परिचालन जोखिम आदि को पहचानने, प्रबंधन, निगरानी करने के दृष्टिकोण से है। इसके पीछे मूल लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक के परिचालन में स्थायित्व एवं कार्यक्षमता बनी रहे और बैंक की सुरक्षा की भी देखभाल होती रहे।

4.6 ग्राहक सेवा समिति:

बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति:

बैंक ने बोर्ड की एक उप समिति का गठन किया है जो कि 'बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति' के नाम से जानी जाती है।

31 मार्च, 2019 को समिति के निम्न सदस्य हैं -

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2.	श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक
3.	श्री गोविंद एन डोंग्रे- कार्यकारी निदेशक
4.	श्री टी.आर. मेंदिरता -शेयरधारक निदेशक
5.	श्री एस.आर. मेहर - वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
6.	श्री एस. आर. घेडिया -निदेशक(सीए वर्ग)

समिति के कार्यों में ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सुझाव तथा नवोन्मेषी उपायों के लिए प्लेटफार्म का सृजन करना तथा सभी संवर्ग के ग्राहकों हेतु संतुष्टि के स्तर में सुधार करना शामिल है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का समावेश है:

- ग्राहक सेवा पर शीर्ष समिति के रूप में कार्य करती है और सार्वजनिक सेवाओं की प्रक्रिया एवं लेखा परीक्षा कार्यनिष्पादन संबंधी स्थायी समिति के कार्यों की देखरेख करना तथा ग्राहक सेवाओं की स्थायी समिति (सी.पी.पी.ए.पी.एस.) की सिफारिशों के अनुपालन को सुनिश्चित करना।
- अधिनिर्णय की तारीख से तीन महीने से अधिक अवधि के गुजर जाने पर भी लागू न किए गए शेष अधिनिर्णयों तथा बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में पायी गई कमियों की स्थिति की समीक्षा करना।
- ग्राहक सेवा में गुणवत्ता में वृद्धि लाने हेतु नवोन्मेषी उपाय करना और सभी स्तरों पर ग्राहक संतुष्टि में सुधार करना।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की निम्न तिथियों पर बैठके हुई:

15.05.2018	09.08.2018	12.11.2018	13.02.2019
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during their tenure	Meetings attended
Dr. Charan Singh – Chairman	08.08.2018 to 31.03.2019	3	3
Sh. S Harisankar – Managing Director & Chief Executive Officer	12.11.2018 to 31.03.2019	2	2
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	5	4
Sh. Govind N Dongre – Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	5	5
Sh. Atanu Sen – Non Official Director	01.04.2018 to 21.01.2019	5	5
Sh. M S Dadu– Director	01.04.2018 to 31.03.2019	5	4
Sh. T R Mendiratta -- Shareholder Director	01.04.2018 to 31.03.2019	5	3
Sh. Harsh Bir Singh – Shareholder Director	14.02.2019 to 31.03.2019	0	0

The Bank has set up an appropriate risk management architecture, comprising Risk Management Organizational Structure, Risk Principles, Risk Processes, Risk Control and Risk Audit, all with a view to ideally identify, manage, monitor and control various categories of risks, viz. Credit Risk, Market Risk and Operational Risk, etc. The underlying objective is to ensure continued stability and efficiency in the operations of the Bank and to look after the safety of the Bank.

4.6. Customer Service Committee:

Customer Service Committee of the Board

The Bank has constituted a sub-committee of Board, known as 'Customer Service Committee of the Board'. The Committee has the following members as on 31st March, 2019:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. S Harisankar - MD & CEO
2.	Sh. Fareed Ahmed- Executive Director
3.	Sh. Govind N Dongre - Executive Director
4.	Sh. T R Mendiratta-Shareholder Director
5.	Sh. S.R. Mehar-Director (MOF)
6.	Sh. S R Ghedia -CA Director

The functions of the Committee include creating a platform for making suggestions and innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving the level of satisfaction for all categories of clientele at all times, which inter-alia comprises the following:

- Act as apex Committee on Customer Service and oversees the functioning of the Standing Committee on Customer Service and also compliance with the recommendations of the Committee on Procedure and Performance Audit on Public Service (CPPAPS).
- Review the status of the Awards remaining unimplemented for more than 3 months from the date of Awards and also deficiencies in providing banking services as observed by the Banking Ombudsman.
- Mount innovative measures for enhancing the quality of customer service and improving level of customer satisfaction for all categories of clientele

During the Financial Year 2018-19, the Committee met on the following dates:

15.05.2018	09.08.2018	12.11.2018	13.02.2019
------------	------------	------------	------------

निदेशकों की उपस्थिति का व्यौरा इस प्रकार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	12.11.2018 से 31.03.2019	2	2
श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	4	4
श्री गोविंद एन डोंग्रे - कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	4	4
श्री एस.आर. मेहर - वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	09.08.2018 से 31.03.2019	3	2
श्री एस.सेल्वा कुमार - भा.वि.मं. द्वारा नामित निदेशक	01.04.2018 से 15.05.2018	1	1
श्री टी.आर. मेंदिरता - शेयरधारक निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	4	3
श्री एस. आर. घेडिया - निदेशक (सीए वर्ग)	01.04.2018 से 31.03.2019	4	4

4.7 शेयरधारक संबंध समिति:

अंशधारकों, डिबेंचरधारकों और अन्य प्रतिभूतिधारकों के परिवादों के निवारण करने की प्रक्रिया के लिए शेयरधारक संबंध समिति सेबी के विनियमन 20 (एलओडीआर) 2015, की शर्तों के अनुसार का गठन किया गया है।

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	
1.	श्री हर्ष बीर सिंह - शेयरधारक निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य
3.	श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक	सदस्य
4.	श्री गोविंद एन डोंग्रे- कार्यकारी निदेशक	सदस्य
5.	श्री टी.आर. मेंदिरता -शेयरधारक निदेशक	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2018-19 में समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुई।

15.05.2018	09.08.2018	12.11.2018	13.02.2019
------------	------------	------------	------------

समिति की उक्त बैठक में निदेशकों की उपस्थिति उनके कार्यकाल के अनुसार निम्न प्रकार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	12.11.2018 से 31.03.2019	2	2
श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	4	4
श्री गोविंद एन डोंग्रे- कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	4	4
श्री हर्ष बीर सिंह - शेयरधारक निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	4	4
श्री टी.आर. मेंदिरता -शेयरधारक निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	4	3

समिति निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए समयबद्ध रूप से निगरानी करती है। वर्ष के दौरान प्राप्त एवं निवारण की गई शिकायतों/ निवेदनों की संख्या का सारांश निम्न प्रकार है:

01.04.2018 का शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान निवारण	31.03.2019 को बकाया
शून्य	5	5	शून्य

दिनांक 31.03.2019 को कोई भी शिकायत लंबित नहीं थी। श्री विनय खंडेलवाल , कंपनी सचिव को सेबी के विनियमन 6 की शर्तों के अनुसार (सूचीकरण दायित्व तथा प्रकटीकरण अनिवार्यताओं) अधिनियम, 2015 के तहत बैंक के “अनुपालन अधिकारी” के रूप में नामित किया गया है।

The details of attendance of the Directors are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Sh. S Harisankar – Managing Director & Chief Executive Officer	12.11.2018 to 31.03.2019	2	2
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4
Sh. Govind N Dongre – Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4
Sh. S R Mehar – MOF Nominee Director	09.08.2018 to 31.03.2019	3	2
Sh. S Selvakumar – MOF Nominee Director	01.04.2018 to 15.05.2018	1	1
Sh. T R Mendiratta -- Shareholder Director	01.04.2018 to 31.03.2019	4	3
Sh. S R Ghedia -CA Director	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4

4.7. Stakeholders Relationship Committee:

The Stakeholders Relationship Committee has been constituted in terms of Regulation 20 of SEBI (LODR), 2015 to look into the mechanism of redressal of grievances of Shareholders, Debenture holders and other security holders. The composition of the Committee as on 31st March 2019 is as under:

S. No.	Name of Director	
1.	Sh. Harsh Bir Singh-Share holder Director	Chairperson
2.	Sh. S Harisankar - MD & CEO	Member
3.	Sh. Fareed Ahmed- Executive Director	Member
4.	Sh. Govind N Dongre - Executive Director	Member
5.	Sh. T R Mendiratta - Share holder Director	Member

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2018-19

15.05.2018	09.08.2018	12.11.2018	13.02.2019
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Sh. S Harisankar – Managing Director & Chief Executive Officer	12.11.2018 to 31.03.2019	2	2
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4
Sh. Govind N Dongre – Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4
Sh. Harsh Bir Singh – Shareholder Director	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4
Sh. T R Mendiratta – Shareholder Director	01.04.2018 to 31.03.2019	4	3

The Committee monitors the redressal of investors' complaints in a time bound manner. The summary of number of requests/complaints received and resolved during the year are as under:

Pending as on 01.04.2018	Received during the year	Resolved during the Year	Pending as on 31.03.2019
NIL	5	5	NIL

No complaint was pending as on 31.03.2019. Shri Vinay Khandelwal, Company Secretary has been designated as the "Compliance Officer" of the Bank in terms of Regulation 6 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

4.8 मानव संसाधन समिति

मानव संसाधन विकास समिति का गठन दिनांक 05.05.2012 को बोर्ड प्रस्ताव संख्या 19841 के द्वारा मानव संसाधन की विकासशील योजनाओं को गति प्रदान करने और विभिन्न यूनियनों तथा एशोसिएट्स के साथ विचार-विमर्श करने हेतु किया गया है। बैठक कभी भी आवश्यक हो, की जा सकती है लेकिन तिमाही में कम से कम एकवार की जानी आवश्यक है।

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	डॉ. चरन सिंह -गैर कार्यकारी अध्यक्ष
2.	श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3.	श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक
4.	श्री गोविंद एन डॉंग्रे- कार्यकारी निदेशक
5.	श्री एस.आर. मेहर - वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
6.	श्री टी.आर. मेंदिरता -शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुई:

15.05.2018	08.08.2018	12.11.2018	21.01.2019
------------	------------	------------	------------

समिति की उक्त बैठक में निदेशकों की उपस्थिति उनके कार्यकाल अनुसार निम्न प्रकार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
डॉ. चरन सिंह -गैर कार्यकारी अध्यक्ष	08.08.2018 से 31.03.2019	3	3
श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	12.11.2018 से 31.03.2019	2	2
श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	4	3
श्री गोविंद एन डॉंग्रे- कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	4	4
श्री एस.आर. मेहर - वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	08.08.2018 से 31.03.2019	3	0
श्री एस. सेल्वा कुमार भा.वि.मं. द्वारा नामित निदेशक	01.04.2018 से 15.05.2018	1	1
श्री अतनु सेन - गैर आधिकारिक निदेशक	08.08.2018 से 21.01.2019	3	2
श्री एम. एस. दादू - गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2018 से 15.05.2018	1	0
श्री टी.आर. मेंदिरता -शेयरधारक निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	4	2

4.9 बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी योजना समिति:

सूचना प्रौद्योगिकी की पहल में तीव्रता लाने और तकनीक के अन्य लाभों को सफल बनाने के दृष्टिकोण से, निम्न सदस्यों के साथ बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समिति कार्यरत है।

दिनांक 31.03.2019 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	डॉ. चरन सिंह -गैर कार्यकारी अध्यक्ष
2.	श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
3.	श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक
4.	श्री गोविंद एन डॉंग्रे- कार्यकारी निदेशक
5.	श्री एस.आर. मेहर - वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
6.	श्री हर्ष बीर सिंह - शेयरधारक निदेशक
7.	श्री एम. एस. दादू - गैर आधिकारिक निदेशक

4.8. HR Committee

The HR Committee has been constituted vide BR No.19841 dated 05.05.2012 for promoting progressive HR plans and to have interaction with various unions and associations. Meeting may be held as and when required but at least once in a quarter. The composition of the Committee as on 31st March, 2019 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. Charan Singh (Chairman)
2.	Sh. S Harisankar - MD & CEO
3.	Sh. Fareed Ahmed- Executive Director
4.	Sh. Govind N Dongre - Executive Director
5.	Sh. S.R. Mehar-Director (MOF)
6.	Sh. T R Mendiratta- Shareholder Director

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2018-19

15.05.2018	08.08.2018	12.11.2018	21.01.2019
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Dr Charan Singh – Chairman	08.08.2018 to 31.03.2019	3	3
Sh. S Harisankar – Managing Director & Chief Executive Officer	12.11.2018 to 31.03.2019	2	2
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	4	3
Sh. Govind N Dongre -- Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4
Sh. S R Mehar -- MOF Nominee Director	08.08.2018 to 31.03.2019	3	0
Sh. S Selvakumar – MOF Nominee Director	01.04.2018 to 15.05.2018	1	1
Sh. Atanu Sen – Non Official Director	08.08.2018 to 21.01.2019	3	2
Sh. M S Dadu –Non Official Director	01.04.2018 to 15.05.2018	1	0
Sh. T R Mendiratta -- Shareholder Director	01.04.2018 to 31.03.2019	4	2

4.9. IT Strategy Committee of the Board

With a view to take forward IT initiatives and drive other benefits of technologies, IT Strategy Committee of the Board comprising of the following members is in place.

The composition of the Committee as on 31st March, 2019 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	1. Sh. Charan Singh - Chairman
2.	2. Sh. S Harisankar - MD & CEO
3.	3. Sh. Fareed Ahmed- Executive Director
4.	4. Sh. Govind N Dongre - Executive Director
5.	5. Sh. S.R. Mehar-Director (MOF)
6.	6. Sh. Harsh Bir Singh- Shareholder Director
7.	7.Sh. Madhu Sudan Dadu - Non Official Director

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुई:

15.05.2018	08.08.2018	12.11.2018	12.12.2018	13.02.2019
------------	------------	------------	------------	------------

निदेशकों की समिति की उक्त बैठकों में उपस्थिति उनके कार्यकाल के अनुसार निम्न प्रकार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
डॉ. चरन सिंह -गैर कार्यकारी अध्यक्ष	08.08.2018 से 13.02.2019	4	4
श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	12.11.2018 से 31.03.2019	3	3
श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	5	5
श्री गोविंद एन डोंग्रे- कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	5	5
श्री एस.आर. मेहर - वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	08.08.2018 से 31.03.2019	4	2
श्री एस. सेल्वा कुमार भा.वि.मं. द्वारा नामित निदेशक	01.04.2018 से 15.05.2018	1	1
श्री अतनु सेन - गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2018 से 12.12.2018	4	3
श्री एम. एस. दादू - गैर आधिकारिक निदेशक	01.04.2018 से 15.05.2018	1	0
श्री हर्ष बीर सिंह - शेयरधारक निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	5	5

4.10 कार्यपालकों की पदोन्नतियों पर बोर्ड की समिति:

वरिष्ठ स्तर पर पदोन्नतियों का कार्य देखने के लिए, निदेशकों की समिति जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशकों की समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2019 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2.	श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक
3.	श्री गोविंद एन. डोंग्रे- कार्यकारी निदेशक
4.	श्री एस.आर. मेहर - वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
5.	श्री प्रदीप .के. जेना - निदेशक-भा.रि.बैं. द्वारा नामित

4.11 अपीलों तथा समीक्षाओं के मामलों पर कार्यवाई करने हेतु निदेशक मंडल की समिति:

अनुशासनात्मक मामलों की समीक्षा याचिका तथा अपीलों पर निर्णय लेने के लिए दिनांक 10.08.2016 के बोर्ड प्रस्ताव संख्या 22389 द्वारा बोर्ड की समिति का गठन किया गया है।

दिनांक 31.03.2019 को समिति की संरचना निम्न प्रकार हैं -

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एस.आर. मेहर - वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
2.	श्री एम. एस. दादू - गैर आधिकारिक निदेशक
3.	श्री टी.आर. मेंदिरता -शेयरधारक निदेशक

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुई:

10.09.2018	12.12.2018
------------	------------

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2018-19

15.05.2018	08.08.2018	12.11.2018	12.12.2018	13.02.2019
------------	------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Dr Charan Singh – Chairman	08.08.2018 to 13.02.2019	4	4
Sh. S Harisankar – Managing Director & Chief Executive Officer	12.11.2018 to 31.03.2019	3	3
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	5	5
Sh. Govind N Dongre – Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	5	5
Sh. S R Mehar -- MOF Nominee Director	08.08.2018 to 31.03.2019	4	2
Sh. S Selvakumar – MOF Nominee Director	01.04.2018 to 15.05.2018	1	1
Sh. Atanu Sen – Non Official Director	01.04.2018 to 12.12.2018	4	3
Sh. M S Dadu –Non Official Director	01.04.2018 to 15.05.2018	1	0
Sh. Harsh Bir Singh – Shareholder Director	01.04.2018 to 31.03.2019	5	5

4.10. Committee of the Board on Executives' Promotions:

A Committee of Directors consisting of Chairman and Managing Director and the nominee Directors of Government of India and Reserve Bank of India has been formed for dealing with the promotions at senior level.

The composition of the Committee as on 31st March, 2019 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. S Harisankar - MD & CEO
2.	Sh. Fareed Ahmed- Executive Director
3.	Sh. Govind N Dongre - Executive Director
4.	Sh. S.R. Mehar-Director (MOF)
5.	Sh. Pradipta K Jena (RBI Nominee)

4.11. Committee for dealing with the case of appeals and review:

A committee for dealing with the case of appeals and review has been constituted vide Board Resolution No. 22389 dated 10.08.2016 for deciding appeals and review petitions of Disciplinary cases.

The composition of the committee as on 31.03.2019 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. S.R. Mehar-Director (MOF)(Chairperson)
2.	Sh. M. S. Dadu – Non Official Director
3.	Sh. T R Mendiratta -Shareholder Director

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2018-19

10.09.2018	12.12.2018
------------	------------

निदेशकों की समिति की उक्त बैठक में उपस्थिति उनके कार्यकाल के अनुसार निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
1.	श्री एस.आर. मेहर - वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	2	2
2.	श्री हर्ष बीर सिंह - शेयरधारक निदेशक	2	2
3.	श्री टी.आर. मेंदिरता -शेयरधारक निदेशक	2	2
4.	श्री एम. एस. दादू - गैर आधिकारिक निदेशक	0	0

4.12 वसूली की निगरानी करने हेतु समिति:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग के पत्र दिनांक 21.11.2012 संख्या एफ.नं. 7/112/2012-बी.ओ.ए. के निर्देशानुसार, निदेशकों की एक समिति जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक तथा वित्त मंत्रालय के नामित निदेशक सम्मिलित हैं, बैंक में वसूली की प्रगति की निगरानी करने के लिए का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2019 को समिति की संरचना निम्न है -

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2.	श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक
3.	श्री गोविंद एन डोंग्रे- कार्यकारी निदेशक
4.	श्री एस.आर. मेहर - वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
5.	श्री हर्ष बीर सिंह - शेयरधारक निदेशक
6.	श्री एस.आर. घेड़िया निदेशक(सीए)

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की निम्न तिथियों पर बैठकें हुई:

16.05.2018	09.08.2018	12.11.2018	15.03.2019
------------	------------	------------	------------

समिति की उक्त बैठक में निदेशकों की उपस्थिति उनके कार्यकाल अनुसार निम्न प्रकार है:

निदेशक का नाम	अवधि	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	12.11.2018 से 31.03.2019	2	2
श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	4	4
श्री गोविंद एन डोंग्रे- कार्यकारी निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	4	4
श्री एस.आर. मेहर - वित्त मंत्रालय नामित निदेशक	09.08.2018 से 31.03.2019	3	2
श्री एस. सेल्वा कुमार भा.वि.मं. द्वारा नामित	01.04.2018 से 16.05.2018	1	1
श्री एस.आर. घेड़िया निदेशक(सीए)	01.04.2018 से 31.03.2019	4	3
श्री हर्ष बीर सिंह - शेयरधारक निदेशक	01.04.2018 से 31.03.2019	4	4

4.13 शेयरधारक निदेशकों की चुनाव समिति - सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में मतदान:

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के पत्र दिनांक 03.04.2012 की शर्तों के अनुसार विभिन्न कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बैंकों में शेयरधारक निदेशकों के चुनाव में एक उम्मीदवार को समर्थन देने पर निर्णय लेने हेतु बोर्ड की समिति का गठन बोर्ड संकल्प दिनांक 05.05.2012 संख्या 19840 द्वारा किया गया।

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

S. No.	Name of Director	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
1.	Sh. S.R. Mehar-Director (MOF)(Chairperson)	2	2
2.	Sh. Harsh Bir Singh – Shareholder Director	2	2
3.	Sh. T R Mendiratta -Shareholder Director	2	2
4.	Sh. M. S. Dadu – Non Official Director	0	0

4.12. Committee for Monitoring of Recovery:

A Committee of Directors consisting of Chairman & Managing Director, Executive Director and the nominee Director of Ministry of Finance has been formed to monitor the progress in recovery of the Bank in terms of directions received from Ministry of Finance, Department of Financial Services, New Delhi, vide their letter no. F.No. 7/112/2012- BOA letter dated 21.11.2012.

The composition of the Committee as on 31st March 2019 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. S Harisankar - MD & CEO
2.	Sh. Fareed Ahmed- Executive Director
3.	Sh. Govind N Dongre - Executive Director
4.	Sh. S.R. Mehar-Director (MOF)
5.	Sh. Harsh Bir Singh- Shareholder Director
6.	Sh. S.R. Ghedia - CA Director

The Committee met on the following dates during the Financial Year 2018-19

16.05.2018	09.08.2018	12.11.2018	15.03.2019
------------	------------	------------	------------

The details of attendance of the Directors at the aforesaid Meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Period	Meetings held during the period of their tenure	Meetings attended
Sh. S Harisankar - MD & CEO	12.11.2018 to 31.03.2019	2	2
Sh. Fareed Ahmed – Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4
Sh. Govind N Dongre – Executive Director	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4
Sh. S R Mehar – MOF Nominee Director	09.08.2018 to 31.03.2019	3	2
Sh. S Selvakumar – MOF Nominee Director	01.04.2018 to 16.05.2018	1	1
Sh. S R Ghedia – Non Official Director (CA Category)	01.04.2018 to 31.03.2019	4	3
Sh. Harsh Bir Singh – Shareholder Director	01.04.2018 to 31.03.2019	4	4

4.13. Election of Shareholder Directors Committee-Voting by Public Sector Bank:

In terms of Ministry of Finance, Department of Financial Services letter date 03.04.2012 a committee of Board for taking decision on supporting the candidates in election as Shareholder Directors in various Companies, Financial institutions and PSU Banks was constituted as per Board resolution number 19840 dated 05.05.2012.

31 मार्च, 2019 को समिति की संरचना निम्न है -

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2.	श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक
3.	श्री गोविंद एन डोंग्रे- कार्यकारी निदेशक
4.	श्री एस.आर. घेड़िया निदेशक(सीए)
5	श्री टी.आर. मेंदिरता -शेयरधारक निदेशक

4.14 इरादतन चूककर्ता हेतु समीक्षा समिति

कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में पार्टी को इरादतन चूककर्ता घोषित करने के आदेश की समीक्षा करने हेतु समिति का गठन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में दो स्वतन्त्र निदेशकों के साथ किया गया है।

दिनांक 31 मार्च, 2019 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एस. हरिशंकर - प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
2.	श्री फरीद अहमद - कार्यकारी निदेशक
3.	श्री गोविंद एन डोंग्रे- कार्यकारी निदेशक
4	श्री एस.आर. मेहर - वित्त मंत्रालय नामित निदेशक
5	श्री एम. एस. दादू - गैर आधिकारिक

4.15 नामांकन समिति

भा.रि. बैंक द्वारा निर्धारित मानदंड 'फिट एवं प्रोपर' के अनुसार जाँच, नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक सावधानी बरतने हेतु दिनांक 29.03.2017 के बोर्ड प्रस्ताव संख्या 22749 द्वारा तीन सदस्यों के साथ नामांकन समिति का गठन किया गया है।

31 मार्च, 2019 को समिति की संरचना निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकें जिनमें सहभागिता की
1.	डॉ. चरन सिंह -गैर कार्यकारी अध्यक्ष	1	1
2.	श्री एस.आर. घेड़िया निदेशक(सीए)	1	1
3.	श्री एम. एस. दादू - गैर आधिकारिक निदेशक	1	1

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की बैठक 08.08.2018 को हुई है

4.16 कैपिटल जारी करने वाली कमेटी

बैंक बोर्ड के प्रस्ताव संख्या 24217 दिनांक 12.02.2019 के अंतर्गत स्टाफ सदस्यों हेतु शेयर की खरीद योजना (ईएसपीसी) के लिए चार सदस्यी कमेटी का गठन किया गया है जो शेयर के दाम, उस पर छुट / प्रीमियम और अन्य मामलों में निर्णय ले सकती है। उक्त कार्य के निष्पादन के उपरांत कमेटी को भंग कर दिया जाएगा।

क्र.सं.	निदेशक का नाम
1.	श्री एम. एस. दादू - गैर आधिकारिक निदेशक
2.	श्री हर्ष बीर सिंह - शेयरधारक निदेशक
3.	श्री एस.आर. घेड़िया निदेशक(सीए)
4	श्री टी.आर. मेंदिरता -शेयरधारक निदेशक

The composition of the Committee as on 31st March, 2019 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. S Harisankar - MD & CEO
2.	Sh. Fareed Ahmed- Executive Director
3.	Sh. Govind N Dongre - Executive Director
4.	Sh. S R Ghedia- CA Director
5.	Sh. T R Mendiratta- Shareholder Director

4.14. Review Committee for Willful Defaulter

Review Committee for willful Defaulter has been constituted for review of the orders of the Committee by ED for declaration of the party as Willful Defaulter, consisting of two Independent Directors, headed by Chairman & Managing Director.

The composition of the Committee as on 31st March 2019 is as under:

S. No.	Name of Director
1.	Sh. S Harisankar - MD & CEO
2.	Sh. Fareed Ahmed- Executive Director
3.	Sh. Govind N Dongre - Executive Director
4.	Sh. S.R. Mehar-Director (MOF)
5.	Sh. Madhu Sudan Dadu - Non Official Director

4.15. Nomination Committee

Nomination Committee with minimum three members has been constituted vide Board Resolution No. 22749 Dated 29.03.2017 to under- take due diligence for necessary process of Nomination, screening as per 'fit and proper' criteria given by RBI

The composition of the Committee as on 31st March 2019 is as under:

S. No.	Name of Director	Meetings held during the year	Meetings attended
1.	Sh. Charan Singh – Chairman	1	1
2.	Sh. S R Ghedia- CA Director	1	1
3.	Sh. Madhu Sudan Dadu - Non Official Director	1	1

The committee met on 08.08.2018 during the Financial Year 2018-19.

4.16. Capital Issue Committee

Capital Issue Committee of the Board was constituted with four members for ESPS (Employee Share Purchase Scheme) vide Board Resolution No. 24217 dated 12.02.2019, for taking all decisions related to pricing, discount/premium and other related matters. The Committee shall stand dissolved after completion of issue(s).

S. No.	Name of Director
1.	Sh. Madhu Sudan Dadu - Non Official Director - Chairperson
2.	Sh. Harsh Bir Singh – Shareholder Director
3.	Sh. S R Ghedia- CA Director
4.	Sh. T R Mendiratta- Shareholder Director

4.17 शेयर अंतरण समिति:

चार कार्यपालकों की समिति जिसमें तीन महाप्रबंधक, एक सहायक महाप्रबंधक हैं, एक पखवाड़े में शेयरों का विप्रेषण/अंतरण/प्रेषण का अनुमोदन करने के लिए बैठक करती है। बोर्ड की होने वाली बैठक में शेयर अंतरण समिति का कार्यवृत्त बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। वर्ष 2018-19 के दौरान शेयर अंतरण समिति की सप्ताईस बैठकें आयोजित की गईं। शेयर अंतरण समिति की कार्यवाही बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। बैंक सुनिश्चित करता है कि शेयरों के प्रस्तुतीकरण की दिनांक से 15 दिन के अंदर सभी शेयरों का अंतरण कर दिया जाए।

4.18 अन्य प्रकटन

- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निदेशकों की नियुक्ति की जाती है। अन्य बातों के साथ-साथ निदेशकों के मध्य आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं है।
- स्वतंत्र निदेशकों को दी गई कार्य पद्धति कार्यक्रम का विवरण "निवेशकों की सूचना" के शीर्ष के अंतर्गत बैंक की वेबसाइट <https://www.psbindia.com/content/investors-information> पर प्रकट किया गया है।

5. हमारा बैंक बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1980 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 के प्रावधानों लागू होते हैं परंतु कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान हमारे लिए लागू नहीं हैं। तदनुसार, निदेशक मंडल के कौशल / विशेषज्ञता / क्षमता को निर्दिष्ट करते हुए एक चार्ट या मैट्रिक्स निर्धारित करने की आवश्यकता हमारे लिए लागू नहीं है।

6. निदेशकों का पारिश्रमिक:

गैर-कार्यकारी निदेशकों की यात्रा तथा ठहरने पर होने वाले व्यय सहित पारिश्रमिक का भुगतान, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (यथा संशोधित) की धारा 17 में उल्लिखित शर्तों के अनुरूप, समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से जारी किए गए निर्धारणों के अनुसार किया जा रहा है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक को पारिश्रमिक का भुगतान वेतन के रूप में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशक को भुगतान किए गए पारिश्रमिक कार्य निष्पादन संबंध प्रोत्साहन का व्यौरा निम्न प्रकार है:

क. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान वेतन एवं बकायों का भुगतान:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	राशि (रु.)
1.	श्री एस. हरिशंकर	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	1425407.53
2.	श्री फरीद अहमद	कार्यकारी निदेशक	2399853.00
3.	श्री गोविंद एन डोंगे	कार्यकारी निदेशक	2364537.00

ख. वर्ष 2018-19 के दौरान गैर-कार्यकारी निदेशकों को दिया गया बैठक सहभागिता शुल्क निम्नानुसार है (पूर्ण कालिक निदेशकों एवं भारत सरकार तथा भा.रि. बैंक द्वारा नामित निदेशक को किसी प्रकार का बैठक सहभागिता शुल्क देय नहीं है परंतु भा.रि.बैं के पत्र संख्या डीबीआर एपीपीटी न. 6014/08.21.006/2018-19 दिनांक 21.01.2019 के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद श्री पी.के. जेना - भा.रि.बैं. नामित निदेशक को बैठने की फीस दी जाएगी।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	भुगतान की गई राशि (रु.)
1.	डॉ. चरन सिंह	480000
2.	श्री पी.के. जेना	180000
3.	श्री टी.आर. मेंदिरता	480000
4.	श्री अतनु सेन	430000
5.	श्री हर्ष बीर सिंह	595000
6.	श्री एम. एस. दादू	500000
7.	श्री एस.आर. घेड़िया	500000
	कुल योग	3165000

4.17. Share Transfer Committee:

A committee of four officials comprising of three GMs, one DGM/ AGM with Company Secretary as Convener meets at least once in a fortnight to approve demat/remat/transfer/transmission of shares. The minutes of the Share Transfer Committee are placed before the Board in the forthcoming meeting. Twenty seven meetings of the Share Transfer Committee were held during the financial year 2018-19. The Bank ensures that all the transfer of shares is affected within a period of fifteen days from the date of their lodgment.

4.18. Other Disclosures:

- The Directors are appointed by Govt. of India, Ministry of Finance. There is no relationship between directors inter-se.
- The details of familiarization programmes imparted to independent directors is disclosed on bank's website <https://www.psbindia.com/content/investors-information> under head of "Investors Information".

- Our Bank is governed by the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 and the provisions of the Companies Act 2013 are not applicable to us. Accordingly, the requirement to set out a chart or matrix specifying the skill / expertise / competence of the Board of Directors is not applicable to us.

6. REMUNERATION OF DIRECTORS:

The remuneration including traveling and halting expenses to Non-Executive Directors which are being paid as stipulated by the Central Government in consultation with Reserve Bank of India from time to time in terms of Clause 17 of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (as amended).

The Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Directors are being paid remuneration by way of salary as per rules framed by the Government of India. The details of remuneration paid to Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Director/s is detailed below:

A. Salary including Arrears paid during the Financial Year 2018-19:

(Amount in Rupees)

Sr. No	Name	Designation	Amount (Rs.)
1	Shri S Harisankar	Managing Director & Chief Executive Officer	1425407.53
2	Shri Fareed Ahmed	Executive Director	2399853.00
3	Sh. Govind N Dongre	Executive Director	2364537.00

- The Sitting Fee paid to the Non-Executive Directors as per the guidelines of Govt. of India during the financial year 2018-19 is as under: (No sitting fee is payable to whole time directors and director representing Government of India and Reserve Bank of India except to Sh P K Jena, who has been paid sitting fees after retirement in terms of RBI Letter No DBR.Appt.No. 6014/08.21.006/2018-19 dated 21.01.2019):

Sr.No	Name of the Director	Amount Paid in Rs.
1	Dr Charan Singh	480000
2	Sh. P K Jena	180000
3	Sh. T R Mendiratta	480000
4	Sh. Atanu Sen	430000
5	Sh. Harsh Bir Singh	595000
6	Sh. M S Dadu	500000
7	Sh. S R Ghedia	500000
	TOTAL	3165000

7. बेदावा लाभांश :

बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों के अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1980 के संदर्भ में, जिस दिन उन्हें संबंधित बेदावा लाभांश स्थानांतरित किया गया, उस तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिए बेदावा / बिना चुकाए रहती है तो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के तहत स्थापित इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (IEPF) के खाता में बैंक को उस लाभांश की राशि को हस्तांतरित करना आवश्यक है

31.03.2019 को बकाया ऐसे अवैतनिक लाभांश खातों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं	बेदावा लाभांश विवरण	31.03.2019 तक शेष राशि
1	लाभांश 2011-12	11,33,674.00
2	लाभांश 2012-13	1,640,955.96
3	लाभांश 2013-14 (अंतरिम)	1406713.60
4	लाभांश 2013-14 (अंतिम)	656,053.80
5	लाभांश 2014-15	517,130.40
6	लाभांश 2015-16	1,436,202.90

8. प्रकटीकरण:

- क) बैंक का ऐसा कोई विशेष संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं है जहाँ बैंक के व्यापक हितों में टकराव की संभावना बनती हो।
- ख) बैंक की वेबसाइट <https://www.psbindia.com> पर PSBPOLICY_Related_partyTransactions.pdf में संबंधित पार्टी प्रविष्टियां नीति उपलब्ध है।
- ग) बैंक पर विगत तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबद्ध किसी भी मामले में किसी भी विनियामक प्राधिकारी अर्थात् स्टॉक एक्सचेंज और/अथवा सेबी द्वारा किसी नियम, निर्देशों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए, न तो कोई दंड लगाया गया है और नहीं ही किसी प्रकार की भर्त्सना की गई है।
- घ) बैंक की 'विसल ब्लोअर पॉलिसी' परिचालित है और किसी भी व्यक्ति को इसे देखने से रोका नहीं गया है।
- ड) बैंक की वेबसाइट at www.psbindia.com पर पार्टी लेन-देनों नीति संबंधित व्यवसायिक उत्तदायित्व रिपोर्ट उपलब्ध है।
- च) बेसल II और बेसल III बैंक के वेबसाइट www.psbindia.com पर उपलब्ध है
- छ) लाभांश आवंटन नीति बैंक वेबसाइट www.psbindia.com पर उपलब्ध है

9. अनिवार्य एवं विवेकाधीन आवश्यकताएं:

बैंक ने सेबी की (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन आवश्यकताओं) अधिनियम, 2015 के अनुसार लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। सेबी की अनुसूची-II के पार्ट-ई {विनियमन 27(1)} (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन आवश्यकताओं) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत विवेकाधीन आवश्यकताओं को लागू करने का परिमाण निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	विवेकाधीन आवश्यकताएं	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के व्यय पर अध्यक्ष के कार्यालय का रखरखाव करने का पात्र है। अपने कर्तव्यों के प्रदर्शन में किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति दी गई है।	भारत सरकार ने डॉ. चरण सिंह को दिनांक 23.05.2018 से बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाता है
2.	अंतिम 6 माह के दौरान, महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्य-निष्पादन की छमाही घोषणा शेयर धारकों को भेजी जा सकती है।	शेयरधारकों की सूचना हेतु तिमाही/अर्ध-वार्षिक/वार्षिक वित्तीय परिणामों को स्टॉक एक्सचेंज भेजा जाता है, प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाता है और शेयरधारकों की जानकारी हेतु /बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर भी उपलब्ध कराया जाता है।
3.	कंपनी को अपरिशोधित वित्तीय विवरणियों की व्यवस्था की ओर जा सकती है।	बैंक की वित्तीय विवरणियां अनक्वालिफाइड होती है।
4.	आंतरिक लेखाकार सीधे तौर से लेखा परीक्षण समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं।	निरीक्षण विभाग द्वारा आंतरिक लेखाकारों की रिपोर्टों को सीधे तौर पर लेखा परीक्षण समिति के समक्ष रखा जाता है।

7. UNCLAIMED DIVIDEND:

In terms of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1980, the Bank is required to transfer the amount of Dividends that remain unclaimed / unpaid for a period of seven years from the date on which they were transferred to the respective Unpaid Dividend Account, to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under section 125 of the Companies Act, 2013

The details of such unpaid dividend accounts outstanding as on 31.03.2019 are as under:

Sr No	Details of Unpaid Dividend	Balance as on 31.03.2019
1	Dividend 2011-12	11,33,674.00
2	Dividend 2012-13	16,40,251.36
3	Dividend 2013-14 (Interim)	14,06,873.60
4	Dividend 2013-14 (Final)	6,56,053.80
5	Dividend 2014-15	5,17,131.00
6	Dividend 2015-16	14,36,202.90

8. DISCLOSURES:

- There is no materially significant Related Party Transaction that may have potential conflict with the interests of the Bank at large.
- Related Party Transactions Policy is available on website of the Bank at <https://www.psbindia.com/content/psb-policy>
- No penalties and strictures have been imposed on the Bank by the Stock Exchange and /or SEBI for non-compliance of any law, guidelines and directives, on any matters related to capital markets, during the last three years.
- Bank has Whistle Blower Policy in place and no personnel have been denied access.
- Business Responsibility Report is available on the website of the Bank at <https://www.psbindia.com/content/investors-information>
- Basel II and Basel III is available in the website of the Bank at <https://www.psbindia.com/content/investors-information>
- Dividend Distribution Policy is available on the website of the Bank at <https://www.psbindia.com/content/investors-information>

9. MANDATORY AND DISCRETIONARY REQUIREMENTS:

The Bank has complied with applicable mandatory requirements as per Schedule V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The extent of implementation of discretionary requirements are as per Part-E of Schedule-II {Regulation 27(1)} of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is as under:

Sr. No	Discretionary Requirements	Status of Implementation
1.	A Non-Executive Chairperson may be entitled to maintain a chairperson's office at the listed entity's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	Government of India has appointed Dr Charan Singh as Non-Executive Chairman of the Bank w.e.f 23.05.2018 The guidelines issued by GOI are complied with.
2.	Half-yearly declaration of financial performance including summary of significant events in last six months to be sent to shareholders.	Quarterly/Half Yearly/Yearly financial results are sent to Stock Exchanges, published in leading newspapers and are also placed on Bank's website www.psbindia.com for information of the shareholders.
3.	Company may move towards regime of financial statements with unmodified audit opinion.	The financial statements of the Bank are unqualified.
4.	The internal auditor may report directly to the Audit Committee.	Internal audit reports are directly placed before the Audit Committee by Inspection Department.

10. संप्रेषण के साधन:

बैंक, विकसित सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार के साधनों के माध्यम से अपने सदस्यों और हितधारकों को उनके हितों से संबद्ध जानकारीयों के विषय में सूचित करने की आवश्यकता को समझता है।

बैंक के वित्तीय परिणामों को निदेशक मंडल की बैठक में उनके अनुमोदन के पश्चात, बैठक की समाप्ति पर तत्काल उन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत किया जाता है जहां पर बैंक की प्रतिभूतियां सूचीबद्ध हैं। यह परिणाम न्यूनतम दो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करवाए जाते हैं (एक हिंदी और दूसरा अंग्रेजी), जैसा भी आवश्यक हो।

बैंक के तिमाही/वर्ष दर वर्ष/वार्षिक परिणामों की प्रति बैंक की वेबसाइट - <http://www.psbndia.com> पर उपलब्ध है।

बैंक के भारत में इक्विटी शेयर निम्न प्रमुख दो स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं:

1) बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लि.

फिरोज जीजाभाय टॉवर्स, 25वां तल, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुम्बई-400001

बीएसई कोड: 533295

2) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.

“एक्सचेंज प्लाजा” बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्वी) मुम्बई-400051

एनएसई कोड: पीएसबी-ईक्यू

एनएसडीएल, सीडीएसएल को अभिरक्षा शुल्क और बीएसई, एनएसई को एक्सचेंज में सूचीबद्ध सभी प्रतिभूतियों के सूचीकरण शुल्क का आज तक का भुगतान कर दिया गया है।

बैंक द्वारा जारी टीयर-II बॉन्डों के संबंध में डेबिट सूचीयन करार के खंड 2A तथा दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 के सेबी परिपत्र संख्या परि/आईएमडी/डीएफ/18/2013 की शर्तों के अनुसार डेबेंचर ट्रस्टी का प्रकटन

बांड धारकों हेतु ट्रस्टी



आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि.

पंजीकृत कार्यालय

भूतल, एशियन बिल्डिंग, 17, आर. कमानी मार्ग, बलाई एस्टेट,

मुम्बई - 400001

दूरभाष संख्या: (022) 40807000,

फैक्स संख्या: 91-22-66311776/40807080

ई-मेल: [itsl\[at\]idbitrustee.com](mailto:itsl[at]idbitrustee.com)

एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज़ लिमिटेड

द्वितीय तल 'E', एक्सिस हाउस, बॉम्बे डाइंग मिल परिसर,

पन्डूरंग बुद्धकर मार्ग, वर्ली, मुम्बई - 400025

दूरभाष: (022) +91 22 6226 0054/6226 0050

ई-मेल: debenturetrustee@taxistrustee.com

विस्तरा आईटीसीएल (भारत) लिमिटेड

आईएल & एफएस वित्तीय केंद्र, प्लॉट संख्या C-22, जी ब्लॉक 7 वां तल

बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व मुंबई 400051

दूरभाष संख्या: +91 22 2659 3535

फैक्स संख्या: +91 22 2653 3297

ई-मेल: [mumbai\[at\]vistra.com](mailto:mumbai[at]vistra.com)

10. MEANS OF COMMUNICATION:

The Bank recognizes the need for keeping its shareholders and stakeholders informed of the events of their interests through present advanced information technology and means of communication.

The financial results of the Bank are submitted to the stock exchanges, where the securities of the Bank are listed, immediately after the conclusion of the Board Meeting approving the same. The results are published in minimum two newspapers (one English and one Hindi) as required.

The quarterly / year to year / Annual Financial Results of the Bank & Press Release are hosted on the Bank's website: <http://www.psbindia.com>.

The Bank's equity shares are listed on the following major Stock Exchanges in India :

1) Bombay Stock Exchange Ltd.

Phiroze jeejeebhoy Towers, 25th Floor, Dalal Street, Fort Mumbai-400 001

BSE Code: 533295

2) National Stock Exchange of India Ltd.

"Exchange Plaza", Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400 051

NSE CODE : PSB-EQ

Custodial fee to NSDL, CDSL and listing fees to BSE, NSE in respect of all securities listed with the exchange(s) has been paid.

Disclosure of Debenture Trustees in Terms of SEBI Circular no. CIR/IMD/DF/18/2013 dated 29th October, 2013 and clause 2A of Debt Listing Agreement in respect of TIER – II Bonds issued by the Bank

TRUSTEE FOR THE BONDHOLDERS



IDBI Trusteeship Services Ltd.

Registered Office

Asian Building, Ground Floor, 17, R Kamani Marg

Ballard Estate, Mumbai – 400 001

Tel No. (022) 40807000

Fax No. 91-22-66311776 / 40807080

E-mail: itsl[at]idbitrustee.com

Axis Trustee Services Limited

Axis House, Bombay Dyeing Mills Compound,

Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai - 400 025

Phone: +91 22 6226 0054/ 6226 0050

Email: debenturetrustee[at]axistrustee.com

Vistra ITCL (India) Limited

The IL&FS Financial Center, Plot No. C-22, G Block, 7th Floor

Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400051

Tel: +91 22 2659 3535

Fax : +91 22 2653 3297

Email: mumbai[at]vistra.com

10.1 प्रतिभूतियों का अभौतिकीकरण:

सेबी की अनिवार्य अभौतिक सूची के अंतर्गत बैंक के शेयर आते हैं और बैंक ने अपने शेयरों के अभौतिकीकरण हेतु नेशनल सिक्क्योरिटी सर्विसेज (इंडिया) लि. (एनएसडीएल) तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) के साथ करार किया है। शेयरधारक, एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के पास अपने शेयरों को अभौतिकीकृत करवा सकते हैं।

31 मार्च, 2019 को बैंक के पास 56,49,12,284 ईक्विटी शेयर हैं जिनमें से 56,48,27,104 शेयर अभौतिक रूप में धारित हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:

धारिता का स्वरूप	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
भौतिक	85,180.00	0.0151
अभौतिक		
एन.एस.डी.एल.	7,10,76,718	12.5819
सी.एस.डी.एल.*	49,37,50,386	87.4030
उप-योग		
कुल योग	56,49,12,284	100.0000

* इनमें भारत सरकार द्वारा धारित ईक्विटी शेयर सम्मिलित हैं।

10.2 ईलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ई.सी.एस.)

ईलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाएं (ई.सी.एस.) भुगतान की आधुनिक प्रणाली है जिसमें संबंधित निवेशक के खाते में लाभांश/ब्याज आदि की राशि सीधे तौर पर जमा की जाती है। बैंक ने शेयरधारकों को सभी केंद्रों पर जहाँ भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन राष्ट्रीय ई.सी.एस./ई.सी.एस. सुविधाएं उपलब्ध हैं, पर सेवा का लाभ उठाने का विकल्प दिया है।

10.3 इलेक्ट्रॉनिक शेयर अंतरण प्रणाली तथा निवेशकों की शिकायतों का निवारण:

बैंक सुनिश्चित करता है कि सभी शेयरों का अंतरण संबंधी समस्त कार्य, उनकी प्रस्तुति की तारीख से पंद्रह दिन के अंदर विधिवत रूप से संपन्न हो जाए। बोर्ड ने शेयरधारकों, डिबेंचरधारकों तथा अन्य प्रतिभूति धारकों की शिकायत निवारण करने की प्रणाली हेतु अंशधारकों संबंधों पर समिति का गठन किया है। समिति नियमित अंतराल पर बैठके आयोजित करती हैं और निवेशक-शिकायतों की स्थिति की समीक्षा करती हैं। बोर्ड ने शेयर अंतरण समिति का गठन भी किया है जो शेयरों के ट्रांसमिशन/ट्रांसफर/रिमिट/डीमेट का अनुमोदन करने के लिए न्यूनतम एक पखवाड़े में बैठक करती है।

बैंक ने लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि. को अपने रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट के रूप में नियुक्त किया है जिसका कार्य शेयर अंतरण, लाभांश भुगतान, शेयरधारकों के अनुरोध को अभिलेखित करना, निवेशकों की शिकायतों का समाधान के अलावा शेयर/बांड जारी करने संबंधी अन्य गतिविधियों को सुनिश्चित करना है।

निवेशक अपने अंतरण विलेख/अनुरोध/शिकायतों को निम्न पते पर रजिस्ट्रार को प्रेषित कर सकता है:

लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि.

(इकाई: पंजाब एण्ड सिंध बैंक)

नोबल हाइट, प्रथम तल, प्लॉट एनएच 2, सी-1 ब्लॉक एलएससी

सावित्री बाजार के नजदीक, जनकपुरी, नई दिल्ली - 110058

दूरभाष: (011) 41410592 से 0594

फैक्स: (011) 41410591

ई-मेल: delhi@linkintime.co.in

बैंक ने शेयर कक्ष की स्थापना प्रधान कार्यालय, 21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008 में की है, जहां शेयरधारक अपने अंतरण विलेख/अनुरोधों/शिकायतों को समाधान हेतु निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं -

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

प्र.का. लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग (शेयर कक्ष)

21, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली - 110008

दूरभाष: (011) 25782926, 25728930, 25812922

फैक्स: (011) 25781639

ई-मेल: complianceofficer@psb.co.in

10.1. Dematerialisation of Securities:

The shares of the Bank are under compulsory demat list of SEBI and the Bank has entered in to Agreements with National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for dematerialization of Bank's shares. Shareholders can get their shares dematerialized with either NSDL or CDSL.

As on March 31, 2019 the Bank has 56,49,12,284 Number of Equity Shares of which 56,48,27,104 Shares are held in dematerialized form, as per the detail given below.

Nature of Holding	Number of shares	Percentage
Physical	85,180.00	0.0151
Dematerialized		
NSDL	7,10,76,718	12.5819
CDSL *	49,37,50,386	87.4030
Grand Total	56,49,12,284	100.0000

* includes 48,33,24,032 equity shares held by the Government of India.

10.2. Electronic Clearing Services (ECS) :

Electronic Clearing Services is a modern method of payment where the amounts of dividend/interest etc., are directly credited to the bank accounts of the Investors concerned. The Bank has offered the services to the shareholders with an option to avail the facility at all the centers covered by Reserve Bank of India under its ECS/NECS facility.

10.3. Share Transfer System & Redressal of Investors' Grievances:

The Bank ensures that all transfer of Shares are duly affected within a period of fifteen days from the date of their lodgment. The Board has constituted Stakeholders Relationship Committee to look into the mechanism of redressal of grievances of shareholders, debenture holders and other security holders. The Committee meets at regular intervals and reviews the status of Investors' Grievances. The Board has also constituted Share Transfer Committee which meets at least once in a fortnight to approve demat/remat/transfer/transmission of shares.

The Bank has appointed Link Intime India Pvt Ltd as its Share Transfer Agent with a mandate to process transfer of Shares, dividend payments, recording of Shareholders' requests, solution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of Shares, dividend etc.

The Investors may lodge their transfer deeds / requests / complaints with the Share Transfer Agent at following address:

Link Intime India Pvt Ltd

(Unit: Punjab & Sind Bank)

Noble Heights, 1st Floor, Plot NH 2, C-1 Block LSC,
Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058
Phone : (011) 41410592 to 0594
Fax : (011) 41410591
E Mail : delhi@linkintime.co.in

The Bank has established Shares Cell at Head Office, 21,Rajendra Place,New Delhi-110008 wherein the shareholders can mail their requests/complaints for resolution, at the address given below:

Punjab & Sind Bank

Head Office : Accounts & Audit Deptt.(Shares Cell),
21-Rajendra Place, 1st Floor, New Delhi-110 008.
Telephone : (011) 25782926, 25728930, 25812922
Fax : (011) 25781639
E-mail : complianceofficer@psb.co.in

(उक्त ई-मेल आईडी सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटीकरण अनिवार्यताओं) अधिनियम, 2015 के अधिनियम 6(2)(d) के अनुसार निवेशकों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए विशेष रूप से बनाई गई है)

11. बैंक को प्राप्त क्रेडिट रेटिंग

रेटिंग एजेंसी	टायर II बॉन्ड हेतु रेटिंग	एटी -1 बॉन्ड के लिए रेटिंग
सीएआरई	केयर एए (स्थिर)	केयर ए + (स्थिर)
क्रिसिल	क्रिसिल एए (स्थिर)	-
आईसीआरए	स्थिर नकारात्मक से संशोधित आईसीआरए एए (नकारात्मक)	स्थिर से नकारात्मक में संशोधित आईसीआरए ए+ (एचवाईडी) नकारात्मक
ब्रिकवर्क	बीडबल्यूआर एए (स्थिर)	-

12. वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई फीस का विवरण:

प्रकृति	राशि
सांविधिक लेखा परीक्षकों (शाखा)	7,68,71,750
सांविधिक लेखा परीक्षकों (केंद्रीय)	1,16,72,382

13. निलंब खाते में आबंटियों के अदावा शेयरों के संबंध में स्थिति की रिपोर्ट(31.03.2018)

क्र. संख्या	विवरण	एनएसडीएल इन301330 -21335661	सीडीएसएल 1601010000399414
1.	वर्ष के आरंभ में पीएसबी अदावी उचंत खाते में पड़े हुए शेयरों की संख्या	1172	1230
2.	शेयर अंतरण के लिए आए शेयर धारकों की संख्या और शेयर धारकों की संख्या जिनके शेयरों को उचंत खाते से अंतरित किया गया	--	--
3.	वर्ष के अंत में पीएसबी अदावी उचंत खाते में पड़े हुए शेयरों की संख्या	1172*	1230*

* प्रमाणित किया जाता है कि इन शेयरों के वोटिंग अधिकारों पर तब तक रोक रहेगी जब तक कि इन शेयरों का असली स्वामी दावा नहीं करता है।

14. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में खुलासे

01.04.2018 तक लंबित शिकायतों की संख्या	2
कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान दर्ज की गई कोई शिकायत नहीं	7
वर्ष के दौरान निपटाए गए शिकायतों की संख्या	7
31.03.2019 तक लंबित शिकायतों की संख्या	2

15. कॉर्पोरेट गवर्नेंस

बैंक ने उन पद्धतियों, परंपराओं एवं संहिताओं को अपनाया है और उनका पालन कर रहा है जो बैंक के हितधारकों एवं जमाकर्ताओं को गुणवत्तापूर्ण कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आश्वासन प्रदान करता है। बैंक की पारदर्शी स्वामित्व संरचना, सुव्यवस्थित कार्यपालक प्रबंधन संरचना, संतोषजनक जोखिम प्रबंधन पद्धतियां, बोर्ड एवं वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्तियों में पारदर्शिता, विस्तृत एवं परिष्कृत लेखा कार्यविधि जो कि निरीक्षण प्रभाग तथा स्वतंत्र लेखाकर्मों द्वारा अपनाई जाती है, को परिलक्षित करती है।

(The aforesaid e-mail ID is exclusively designated for investors' complaints pursuant to Regulation 6 (2) (d) of SEBI(Listing Obligations and Disclosure Requirements)Regulations, 2015.

11. Credit ratings obtained by the Bank

Rating Agency	Rating for Tier II Bonds	Rating for AT-1 Bonds
CARE	CARE AA (Stable)	CARE A+ (Stable)
CRISIL	CRISIL AA (Stable)	-
ICRA	ICRA AA (Negative) Revised from Stable to Negative)	ICRA A+ (hyb) (Negative) Revised from Stable to Negative)
Brickwork	BWR AA (Stable)	-

12. Details of fees paid to Statutory Auditors during the year:

Nature	Amount
Statutory Branch Auditors	7,68,71,750
Statutory Central Auditors	1,16,72,382

13. Status report in respect of unclaimed shares of the allottees held in Escrow A/c (31.03.2019):

S. No.	Particulars	NSDL IN301330-21335661	CDSL 1601010000399414
1.	No. of shares lying in PSB Unclaimed Suspense Account in beginning of the year	1172	1230
2.	No. of shareholders who approached for transfer of shares and to whom shares were transferred from Suspense A/c	--	--
3.	No. of shares lying in PSB Unclaimed Suspense Account at the end of the year	1172*	1230*

* Certified that voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner claims the said shares.

14. Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013:

Number of complaints pending as on 01.04.2018	2
No of complaints filed during the Financial Year under Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 2018-19	7
Number of complaints disposed of during the year	7
Number of complaints pending as on 31.03.2019	2

15. Corporate Governance

The Bank has adopted and follows such practices, convention and codes as would provide its financial stakeholders including the depositors, a high level of assurance on the quality of Corporate Governance. The Bank has transparent ownership structure, well-defined executive management structure, satisfactory risk management practices, transparency in appointment and functioning of the Board and Senior Management and an elaborate audit function, carried out both by its Inspection Department and independent audit firms.

16. वित्तीय कैलेंडर (संभावित)

वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019	
सातवीं वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि	11.07.2019 (बृहस्पतिवार)
सातवीं वार्षिक सामान्य बैठक का समय	10 बजे प्रातः काल
सातवीं सामान्य बैठक का स्थल	पंजाब एण्ड सिंध बैंक ,स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज ,प्लॉट-3 व्यवसायिक क्षेत्र सेक्टर-3 ,जयपुर गोल्डन अस्पताल रोहिणी ,दिल्ली 110085
बहियों को बंद करने की तारीख	05.07.2019 से 11.07.2019
प्रॉक्सि फॉर्म प्राप्त करने की अंतिम तिथि	06.07.2019 (सांय 5.00 बजे तक)

17. 31 मार्च, 2019 को शेयरधारिता स्वरूप

क्र.सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयर	ईक्विटी का प्रतिशत
1.	भारत सरकार (प्रवर्तक)	1	483324032	85.56
2.	वित्तीय संस्थान/बीमा कंपनियां/बैंक	19	42801221	7.58
3.	विदेशी संस्थागत निवेशक	-	-	-
4.	कॉरपोरेट निकाय	476	4204859	0.74
5.	व्यैक्तिक निवासी	109185	25315499	4.48
6.	हिन्दू अविभाजित परिवार	6092	1317765	0.23
7.	अनिवासी भारतीय	1033	1207981	0.21
8.	विदेशी कॉर्पोरेट निकाय	8	6063132	1.07
9.	ट्रस्ट	8	280722	0.05
10.	समाशोधन सदस्य	194	397073	0.07
	कुल योग	117016	564912284	100.00

18. 31 मार्च, 2019 को शेयर धारकों का श्रेणी-वार वितरण

संवर्ग	मामलों की संख्या	मामलों का प्रतिशत	कुल शेयर	कुल का प्रतिशत
1 - 500	109155	93.2821	9529131	1.6868
501 - 1000	4072	3.4799	3220654	0.5701
1001 - 2000	1981	1.6929	2956745	0.5234
2001 - 3000	621	0.5307	1580052	0.2797
3001 - 4000	278	0.2376	992443	0.1757
4001 - 5000	241	0.2060	1141256	0.2020
5001 - 10000	348	0.2974	2536810	0.4491
10001 और अधिक	320	0.2735	542955193	96.1132
कुल योग	117016	100	564912284	100

16. Financial Calendar (tentative):

Financial Year 1st April, 2018 to 31st March, 2019	
Date of Ninth Annual General Meeting.	11.07.2019 (Thursday)
Time of Ninth Annual General Meeting	10.00 A.M.
Venue of Ninth Annual General Meeting	Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3, Near Jaipur Golden Hospital, Rohini, Delhi-110 085
Book Closure dates	05.07.2019 to 11.07.2019
Last Date for receipt of Proxy Forms	06.07.2019 (upto 5.00 pm)

17. Shareholding Pattern as on 31st March 2019

S. No.	Description	No. of Share Holders	Shares	% To Equity
1.	Govt. of India (Promoters)	1	483324032	85.56
2.	Financial Institutions/Ins Cos/ Banks	19	42801221	7.58
3.	Foreign Institutional Investors	-	-	-
4.	Bodies Corporate	476	4204859	0.74
5.	Resident Individuals	109185	25315499	4.48
6.	Hindu Undivided Family	6092	1317765	0.24
7.	Non Resident Indians	1033	1207981	0.21
8.	Foreign Portfolio Investor(Corporate)	8	6063132	1.07
9.	Trusts	8	280722	0.05
10.	Clearing Members	194	397073	0.07
	Total	117016	564912284	100.00

18. Distribution of Shareholding (Shares) – Category-wise as on 31st March 2019

Shareholding of Shares	No. of Cases	% of Cases	Total Shares	% of Total
1 – 500	109155	93.2821	9529131	1.6868
501 – 1000	4072	3.4799	3220654	0.5701
1001 – 2000	1981	1.6929	2956745	0.5234
2001 – 3000	621	0.5307	1580052	0.2797
3001 – 4000	278	0.2376	992443	0.1757
4001 – 5000	241	0.2060	1141256	0.2020
5001 – 10000	348	0.2974	2536810	0.4491
10001 & Above	320	0.2735	542955193	96.1132
TOTAL	117016	100	564912284	100

19. स्टॉक एक्सचेंज में शेयर मूल्य, शेयरों में खरीद-फरोख्त की मात्रा (दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक)

माह	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एन.एस.ई.)					बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लि. (बी.एस.ई.)				
	उच्चतम (रु.)	न्यूनतम (रु.)	खरीद-फरोख्त की मात्रा (संख्या)	निफ्टी बंद	बंद	उच्चतम (रु.)	न्यूनतम (रु.)	खरीद-फरोख्त की मात्रा (संख्या)	बी.एस.ई. बंद	बंद
अप्रैल, 2018	40.30	34.25	20,49,774	10739.35	35.55	40.25	34.70	2,61,917	35160.36	35.35
मई, 2018	38.15	27.70	15,71,089	10736.15	32.90	40.00	28.75	2,46,145	35322.38	32.80
जून, 2018	35.20	29.50	10,29,722	10714.3	30.20	33.60	29.40	1,30,361	35423.48	30.15
जुलाई, 2018	31.80	27.50	20,45,304	11356.5	31.10	32.00	27.00	1,38,442	37606.58	31.15
अगस्त, 2018	33.70	28.20	37,10,645	11680.5	32.70	34.00	28.45	3,62,660	38645.07	32.75
सितम्बर, 2018	33.00	25.50	20,57,608	10930.45	25.90	33.95	24.00	2,71,540	36227.14	25.90
अक्टूबर, 2018	30.30	25.00	22,96,208	10386.6	29.20	30.30	25.00	1,74,923	34442.05	29.40
नवम्बर, 2018	31.05	27.55	11,31,925	10876.75	28.20	31.00	27.55	96,806	36194.3	28.00
दिसम्बर, 2018	35.35	25.75	50,15,558	10862.55	32.90	35.25	26.00	5,87,415	36068.33	32.90
जनवरी, 2019	34.90	27.40	20,87,957	10830.95	28.15	35.00	27.30	2,96,650	36256.69	28.10
फरवरी, 2019	28.35	24.65	13,35,676	10792.5	25.70	28.40	24.60	1,79,938	35867.44	25.65
मार्च, 2019	34.00	25.55	37,81,097	11623.9	31.25	34.00	25.75	9,24,136	38672.91	31.15

20. 31 मार्च, 2019 को शेयरधारकों का भौगोलिक दृष्टि से (राज्यवार) वितरण

क्र.सं.	राज्य	मामले	शेयर	शेयरों की संख्या %
1.	अंडमान एवं निकोबार	10	653	0.00
2.	आंध्र प्रदेश	4599	1856997	0.33
3.	अरुणाचल प्रदेश	83	17353	0.00
4.	असम	452	117472	0.02
5.	बिहार	1212	294567	0.05
6.	चंडीगढ़	698	246468	0.04
7.	छत्तीसगढ़	568	273072	0.05
8.	दमन एवं दीप	6	496	0.00
9.	दिल्ली	11428	487957029	86.38
10.	गोवा	169	27383	0.00
11.	गुजरात	21525	3465214	0.61
12.	हरियाणा	3980	812713	0.14
13.	हिमाचल प्रदेश	255	77610	0.01
14.	जम्मू एण्ड कश्मीर	199	78626	0.01
15.	झारखंड	1048	254483	0.05
16.	कर्नाटक	5166	1281954	0.23
17.	केरल	1264	533788	0.09
18.	मध्यप्रदेश	3307	820428	0.15

19. Share Price, Volume of Shares Traded in Stock Exchanges (From 01.04.2018 to 31.03.2019)

Month	National Stock Exchange of India Limited (NSE)					Bombay Stock Exchange Ltd. (BSE)				
	High (Rs.)	Low (Rs.)	Volume Traded (Nos.)	NIFTY Close	Close	High (Rs.)	Low (Rs.)	Volume Traded (Nos.)	Sensex Close	Close
Apr 2018	40.30	34.25	20,49,774	10739.35	35.55	40.25	34.70	2,61,917	35160.36	35.35
May 2018	38.15	27.70	15,71,089	10736.15	32.90	40.00	28.75	2,46,145	35322.38	32.80
Jun 2018	35.20	29.50	10,29,722	10714.3	30.20	33.60	29.40	1,30,361	35423.48	30.15
Jul 2018	31.80	27.50	20,45,304	11356.5	31.10	32.00	27.00	1,38,442	37606.58	31.15
Aug 2018	33.70	28.20	37,10,645	11680.5	32.70	34.00	28.45	3,62,660	38645.07	32.75
Sep 2018	33.00	25.50	20,57,608	10930.45	25.90	33.95	24.00	2,71,540	36227.14	25.90
Oct 2018	30.30	25.00	22,96,208	10386.6	29.20	30.30	25.00	1,74,923	34442.05	29.40
Nov 2018	31.05	27.55	11,31,925	10876.75	28.20	31.00	27.55	96,806	36194.3	28.00
Dec 2018	35.35	25.75	50,15,558	10862.55	32.90	35.25	26.00	5,87,415	36068.33	32.90
Jan 2019	34.90	27.40	20,87,957	10830.95	28.15	35.00	27.30	2,96,650	36256.69	28.10
Feb 2019	28.35	24.65	13,35,676	10792.5	25.70	28.40	24.60	1,79,938	35867.44	25.65
Mar 2019	34.00	25.55	37,81,097	11623.9	31.25	34.00	25.75	9,24,136	38672.91	31.15

20. Geographical (State Wise) Distribution of Shareholders as at 31st March 2019

Sr No	State	Share Holders	Shares	Percentage
1	Andaman and Nicobar Islands	10	653	0.00
2	Andhra Pradesh	4599	1856997	0.34
3	Arunachal Pradesh	83	17353	0.00
4	Assam	452	117472	0.02
5	Bihar	1212	294567	0.05
6	Chandigarh	698	246468	0.04
7	Chhattisgarh	568	273072	0.05
8	Daman and Diu	6	496	0.00
9	Delhi	11428	487957029	86.38
10	Goa	169	27383	0.00
11	Gujarat	21525	3465214	0.62
12	Haryana	3980	812713	0.15
13	Himachal Pradesh	255	77610	0.01
14	Jammu and Kashmir	199	78626	0.01
15	Jharkhand	1048	254483	0.05
16	Karnataka	5166	1281954	0.23
17	Kerala	1264	533788	0.09
18	Madhya Pradesh	3307	820428	0.15

क्र.सं.	राज्य	मामले	शेयर	शेयरों की संख्या %
19.	महाराष्ट्र	22498	56710746	10.04
20.	मणिपुर	5	950	0.00
21.	मेघालय	15	3776	0.00
22.	मिजोरम	1	98	0.00
23.	नागालैंड	18	4085	0.00
24.	उड़ीसा	750	193890	0.03
25.	पांडिचेरी	55	11247	0.00
26.	पंजाब	4205	1229528	0.22
27.	राजस्थान	10865	1882890	0.33
28.	सिक्किम	1	50	0.00
29.	तामिलनाडू	5736	1571408	0.28
30.	त्रिपुरा	24	5830	0.00
31.	उत्तर प्रदेश	6658	1876115	0.33
32.	उत्तराखण्ड	569	124071	0.02
33.	पश्चिम बंगाल	8312	2485391	0.44
34.	ए.पी.ओ./अन्य	1335	695903	0.12
	कुल योग	117016	564912284	100.00

21. कंपनी सचिव के प्रमाण के अनुसार किसी कंपनी के बोर्ड में कोई भी निदेशक बोर्ड / कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी भी वैधानिक प्राधिकारी द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से अयोग्य या अयोग्य नहीं किया जा सकता है। जिसका उल्लेख नीचे किया गया है:

Sr No	State	Share Holders	Shares	Percentage
19	Maharashtra	22498	56710746	10.04
20	Manipur	5	950	0.00
21	Meghalaya	15	3776	0.00
22	Mizoram	1	98	0.00
23	Nagaland	18	4085	0.00
24	Orissa	750	193890	0.03
25	OTHERS	1335	695903	0.12
26	Pondicherry	55	11247	0.00
27	Punjab	4205	1229528	0.22
28	Rajasthan	10865	1882890	0.33
29	Sikkim	1	50	0.00
30	Tamil Nadu	5736	1571408	0.28
31	Tripura	24	5830	0.00
32	Uttar Pradesh	6658	1876115	0.33
33	Uttarakhand	569	124071	0.02
34	West Bengal	8312	2485391	0.44
	TOTAL :	117016	564912284	100.00

21. A certificate from a company secretary in practice that none of the Directors on the Board of the company have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the Board/Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority has been obtained is provided below:



पंजाब एण्ड सिंध बैंक

CS **Suchitta Koley** FCS, FICA
Company Secretary



62/12, II Floor, Old Rajendra Nagar, New Delhi 110 060

Tel :- 91-11-42432630;

Mobile: 98-100-82385

e-mail: skoley_in@yahoo.co.in, koley.s@gmail.com

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अनिवार्यताएं) अधिनियम, 2015 की अनुसूची V(C) (10) (i) के अंतर्गत प्रमाणपत्र

मैंने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अनिवार्यताएं) अधिनियम, 2015 की अनुसूची V(C) (10) (i) के अंतर्गत प्रमाणपत्र जारी करने के प्रायोजन से 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु निदेशकों की नियुक्ति तथा अहर्ताओं के लिए पंजाब एण्ड सिंध बैंक द्वारा रखरखाव किए जा रहे विभिन्न अभिलेखों, बहियों, कागजातों और अन्य प्रलेखों की जांच की है और पंजाब एण्ड सिंध बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी, विवरण तथा जांच के आधार पर, मैं प्रमाणित करती हूँ कि पंजाब एण्ड सिंध बैंक के निदेशक मण्डल में किसी भी निदेशक को बोर्ड/कंपनी मामलों के मंत्रालय या अन्य किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा कंपनियों के निदेशकों के रूप में बने रहने अथवा नियुक्त करने से अपात्र या अयोग्य घोषित नहीं किया है।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17 मई, 2019

सुचिता कोले
कंपनी सचिव
सीपी नंबर: 714

cs **Suchitta Koley** FCS, FICA
Company Secretary



62/12, II Floor, Old Rajendra Nagar, New Delhi 110 060

Tel :- 91-11-42432630;

Mobile: 98-100-82385

e-mail: skoley_in@yahoo.co.in, koley.s@gmail.com

CERTIFICATE UNDER SCHEDULE V(C)(10)(i) OF OF THE SEBI
(LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2015

I have examined the various records, books and papers and other documents maintained by **Punjab & Sind Bank** pertaining to the appointment & qualifications of directors for the financial year ended 31st March 2019 for the purpose of issuing Certificate as per Schedule V(C)(10)(i) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and based on the above examination, information & explanation provided by Punjab & Sind Bank, I hereby certify that none of the directors on the board of the Punjab & Sind Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the Board/Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.

Place: New Delhi
Date: 17th May 2019

Suchitta Koley
Company Secretary
CP No.: 714



कंपनी प्रबंधन की शर्तों के अनुपालन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण-पत्र

पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सदस्यों हेतु

हमने पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सूचीबद्ध करने संबंधी करार और सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन अनिवार्यताओं) अधिनियमों, 2015 में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के प्रसंग में बैंक द्वारा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु कंपनी प्रबंधन संबंधी अनुपालन स्थिति की जांच की है।

कंपनी प्रबंधन संबंधी शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच, कंपनी प्रबंधन संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक की वित्तीय विवरणियों के विषय में हमारा अभिमत है।

हम अपनी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपरोक्त सूचीबद्ध करार और सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन अनिवार्यताओं) अधिनियमों, 2015 में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन किया है।

हमारा यह भी अभिकथन है कि उक्त अनुपालन का अभिप्राय बैंक की भविष्य की सक्षमता के प्रति यह कोई आश्वासन नहीं है और न ही यह बैंक के कार्यपालकों के संचालन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावपूर्णता के विषय में है।

कृते एस मान एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

कृते बलदेव कुमार एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

सुभाष मान

पार्टनर

एम.नं. 080500

एफआरएन 000075 एन

बलदेव गर्ग

पार्टनर

एम.नं. 092225

एफआरएन:013148 एन

कृते सुरेश चंद्र & एसोसिएट

सनदी लेखाकार

कृते राज गुप्ता & कंपनी

सनदी लेखाकार

मधु गुप्ता

पार्टनर

एम.नं. 090205

एफआरएन 001359एन

संदीप गुप्ता

पार्टनर

एम.नं. 529774

एफआरएन:000203एन

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 24 मई, 2019

Auditors' Certificate on Compliance of Conditions of Corporate Governance

To: The Members of Punjab & Sind Bank

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by Punjab & Sind Bank, for the year ended on 31st March 2019 in terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Listing Agreement.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Listing Agreement.

We state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For S.Mann & Co.

Chartered Accountants

(Subhash Mann)

Partner

M. No. 080500

FRN : 000075N

For Baldev Kumar & Co.

Chartered Accountants

(Baldev Garg)

Partner

M. No. 092225

FRN : 013148N

For Suresh Chandra & Associates

Chartered Accountants

(Madhur Gupta)

Partner

M. No. 090205

FRN : 001359N

For Raj Gupta & Co.

Chartered Accountants

(Sandeep Gupta)

Partner

M. No. 529774

FRN : 000203N

Place : New Delhi

Dated: 24 May, 2019



निदेशक मंडल
पंजाब एण्ड सिंध बैंक
नई दिल्ली

महोदय,

विषय: वर्ष 2018-19 हेतु सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन अनिवार्यताओं) अधिनियमों, 2015 की अनुसूची - V के अंतर्गत घोषणा

यह घोषित किया जाता है कि बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध करने संबंधी करार तथा सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटन अनिवार्यताओं) अधिनियमों, 2015 की अनुसूची - V के प्रसंग में विनिर्दिष्ट आचार संहिता की बैंक द्वारा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए तदनुसार अनुपालना की पुष्टि कर दी है। उक्त आचार संहिता को बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com पर भी दर्शाया गया है।

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 मई 2019

एस. हरिशंकर
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सी.एफ.ओ. प्रमाणीकरण

निदेशक मंडल,
पंजाब एण्ड सिंध बैंक,
नई दिल्ली।

महोदय,

विषय: वर्ष 2018-19 के लिए सी.ई.ओ./सी.एफ.ओ. प्रमाणीकरण

सेबी (LODR), 2015 के कंपनी प्रबंधन की अनुसूची - II के अनुपालन प्रमाणपत्र के पार्ट-बी की अनुपालना में, हम एतद् द्वारा प्रमाणित करते हैं कि:

क. हमने वित्तीय विवरणी तथा नकदी प्रवाह विवरणी (समेकित) की समीक्षा की है तथा हमारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार:

- 1) इन विवरणियों में कोई विषयगत अयथार्थ अभिकथन नहीं है अथवा कोई विषयगत तथ्य छिपाया नहीं गया है अथवा इनमें कोई भ्रामक अभिकथन शामिल नहीं किया गया है।
- 2) ये अभिकथन/विवरण बैंक के कार्यकलापों का सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा ये विद्यमान लेखा मानकों, लागू नियमों एवं विनियमों के अनुरूप हैं।

ख. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान बैंक द्वारा ऐसे कोई संव्यवहार नहीं किए गए जो धोखाधड़ी में लिस हो, गैर कानूनी हो अथवा बैंक की आचार संहिता के विरुद्ध हो।

ग. हम वित्तीय सूचना देने से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों का पूर्ण दायित्व स्वीकार करते हैं। हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमने वित्तीय सूचना देने की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन/आंकलन किया है तथा हमने लेखा परीक्षकों और लेखा समिति को आंतरिक नियंत्रणों के परिचालन एवं स्वरूप से संबंधित कमियाँ यदि कोई है अथवा जो हमारे अभिज्ञान में है एवं हमने इन्हें दूर करने के जो उपाय किए हैं या प्रस्तावित हैं, की जानकारी दे दी है।

घ. हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को निम्नलिखित से अवगत कराया है:

- 1) वर्ष के दौरान वित्तीय सूचना देने के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन;
- 2) वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा इनका उल्लेख वित्तीय विशिष्टियों के नोट्स/टिप्पणियों में कर दिया गया है; और
- 3) हमारी जानकारी में आए धोखाधड़ी संबंधी विशिष्ट मामले तथा उनमें प्रबंधन अथवा किसी कर्मचारी की संलिप्तता जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में अहम भूमिका हो।

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(हरविन्द्र सचदेव)
मुख्य वित्त अधिकारी (महाप्रबंधक-लेखा)

कृते पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(एस. हरिशंकर)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24 मई 2019

The Board of Directors
Punjab & Sind Bank
New Delhi

Dear Sirs,

**Re: Declaration for 2018-19 as per Schedule-V of SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

It is to declare that all the Board Members and Senior Management Personnel of the Bank have affirmed their compliance of the Code of Conduct for the Financial Year ended on 31st March, 2019 in accordance with Listing Agreement entered into with the stock exchanges and Schedule-V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The said Code of Conduct has been hosted on the Bank's website www.psbindia.com.

For Punjab & Sind Bank

Place : New Delhi
Dated : 24 May, 2019

(S Harisankar)
Managing Director & Chief Executive Officer

CEO/CFO Certification

The Board of Directors
Punjab & Sind Bank
New Delhi

Dear Sirs,

REG: CFO/CEO Certification for the year 2018-19

Pursuant to Schedule-II Corporate Governance Part-B of Compliance Certificate of SEBI (LODR) 2015, we hereby certify that:

- A. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year and that to the best of our knowledge and belief:
 - 1) These statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - 2) These statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
- B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or in violation of code of conduct of the Bank.
- C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and that we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and we have disclosed to the auditors and the audit committee, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
- D. We have indicated to the auditors and the Audit Committee.
 - 1) Significant changes in internal control over financial reporting during the year;
 - 2) Significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements; and
 - 3) Instances of significant fraud of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

For Punjab & Sind Bank
(Harvinder Sachdev)
Chief Financial Officer (General Manager-Accounts)

For Punjab & Sind Bank
(S Harisankar)
Managing Director & Chief Executive Officer

Place : New Delhi
Dated : 24 May, 2019

एस. मान एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार	बल्देव कुमार एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार
सुरेश चन्द्र एण्ड एसोशिएट्स सनदी लेखाकार	राज गुप्ता एण्ड कंपनी सनदी लेखाकार

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

पंजाब एण्ड सिंध बैंक के सदस्य

वित्तीय विवरणियों के लेखा परीक्षण पर रिपोर्ट

अभिमत

- हमने पंजाब एण्ड सिंध बैंक ('बैंक') की 31 मार्च, 2019 की वित्तीय विवरणियों जिनमें 31 मार्च, 2019 का तुलन-पत्र तथा इस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लिए बैंक के लाभ-हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरणी सहित वित्तीय विवरणियों से संबंधित टिप्पणियों जिनमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यतामक सूचना का लेखा परीक्षण किया है। इन वित्तीय विवरणियों में वर्ष की समाप्ति पर उस तिथि पर हमारे द्वारा लेखा परीक्षित रिटर्न, 20 शाखाएं तथा 1 एकीकृत ट्रेजरी शाखा तथा शाखाओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित 634 शाखाएं हैं। हमारे तथा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मानदंडों के अनुसार किया है। तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि खाते में 864 शाखाओं से भेजी गई विवरणियाँ शामिल हैं जो लेखा परीक्षण के अधीन नहीं हैं। इन अपरीक्षित शाखाओं में अग्रिमों का प्रतिशत 9.42 प्रतिशत, जमा राशियों का 25.69 प्रतिशत, अग्रिमों पर ब्याज आय का 6.66 प्रतिशत तथा जमा राशियों पर दिए गए ब्याज व्ययों का 20.73 प्रतिशत हिस्सा बनता है।
- हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरणियां बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अनुसार बैंक हेतु आवश्यक जानकारी देती हैं और भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा मानकों की पुष्टि करते हुए, उक्त तिथि पर
 - क. 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के तुलन-पत्र तथा लाभ/हानि के शेषों का सत्य एवं पारदर्शी दृष्टांत दर्शाती है;
 - ख. लाभ हानि खाता समाप्त वर्ष के लिए उस तिथि को वास्तविक हानि को दर्शाता है; और
 - ग. नकदी प्रवाह विवरणी उस तिथि पर समाप्त वर्ष को सत्य तथा वास्तविक नकदी प्रवाह को दर्शाता है।

अभिमत का आधार

- हमने अपना लेखा परीक्षण आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों में लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों को तदुपरांत वर्णित किया गया है। हम चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोड ऑफ नैतिकता के अनुसार बैंक से स्वतंत्र हैं, जो एक वित्तीय आवश्यकताओं के लेखा परीक्षण के लिए प्रासंगिक हैं [क्षेत्राधिकार] में, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुरूप अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त हुआ है, वह हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है।

प्रमुख लेखा परीक्षण विषय

- प्रमुख लेखा परीक्षण विषय वे विषय हैं जो हमारे व्यावसायिक निर्णय हेतु वर्तमान अवधि की वित्तीय विवरणियों के लेखा परीक्षण में महत्वपूर्ण थे। इन विषयों पर वित्तीय विवरणियों के हमारे लेखा परीक्षण में पूर्ण रूप से जांच की गई और उस पर हमने अपना अभिमत तैयार किया तथा इन विषयों पर हम अलग से अभिमत नहीं देते हैं। हमने निम्न उल्लेखित विषयों को हमारी लेखा परीक्षण रिपोर्ट में प्रमुख लेखा परीक्षण विषयों के रूप में संप्रेषण करना निर्धारित किया है:-

S. Mann & Co. Chartered Accountants	Baldev Kumar & Co. Chartered Accountants
Suresh Chandra & Associates Chartered Accountants	Raj Gupta & Co. Chartered Accountants

Independent Auditor's Report

To the Members of Punjab & Sind Bank

Report on Audit of the Financial Statements

Opinion

1. We have audited the financial statements of Punjab & Sind Bank ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at 31 March 2019, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included returns for the year ended on that date of 20 branches audited by us and 1 integrated treasury branch audited by us and 634 branches audited by statutory branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also included in the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and Statement of Cash Flows are the returns from 864 branches which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 9.42 percent of advances, 25.69 per cent of deposits, 6.66 per cent of interest income and 20.73 per cent of interest expenses.
2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give:
 - a) true and fair view in case of the Balance sheet, of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2019;
 - b) true balance of loss in case of Profit / loss account for the year ended on that date; and
 - c) true and fair view in case of statement of cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in [jurisdiction], and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

प्रमुख लेखा परीक्षण विषय	हमारा उत्तर/प्रक्रियाएं
अग्रिम - वर्गीकरण एवं प्रावधानन (वित्तीय विवरणियों की अनुसूची - 9 का संदर्भ लें) अग्रिमों को अर्जक तथा अनर्जक (एन.पी.ए.) अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और भारतीय रिज़र्व बैंक (भा.रि.बैंक) द्वारा निर्धारित प्रमुख नियम एवं शर्तों के अनुसार, उन पर प्रावधानन किया जाता है। बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सी.बी.एस.) के एकीकृत सॉफ्टवेयर द्वारा वर्गीकरण एवं प्रावधानन किया जाता है। अनर्जक खातों की पहचान और ऐसी आस्तियों पर प्रावधानन करना, निष्पादन से संबंधित प्रबंधन के प्रमुख निर्णयों, बैंक के पास उपलब्ध बिक्री योग्य प्रतिभूतियों और उनके मूल्यांकन पर निर्भर है।	हमारी लेखा परीक्षण प्रक्रियाएं हमने वर्गीकरण और प्रावधानन के संबंध में बैंक के सॉफ्टवेयर, परिपत्रों, दिशा-निर्देशों, भा.रि. बैंक के दिशा-निर्देशों तथा बैंक के आंतरिक निर्देशों एवं प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त की। हमारे लेखा परीक्षण का दृष्टिकोण अनर्जक आस्तियों की पहचान के लिए प्रणाली के डिजाइन की जांच ताकि मामले में भा.रि. बैंक के दिशा-निर्देशों की पुष्टि करते हुए अनर्जक आस्तियों की पहचान तथा मूल्यांकन की टेस्ट चैकिंग की जा सके। - हमने प्रलेखीकरण, परिचालनों/निष्पादनों की पुनर्समीक्षा की है और अग्रिम खातों की निगरानी, बड़े एवं दबावग्रस्त ऋणों की टेस्ट चैकिंग के आधार पर ताकि किसी ऋण खाते में अतिदेय गलत आचरण तथा कमजोरी को सुनिश्चित करने, यह सुनिश्चित करने कि इसका वर्गीकरण भा.रि. बैंक की नियम एवं शर्तों के अनुसार है। हमारे द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं के संबंध में, शाखा सांविधिक लेखाकारों द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं के संबंध में, हम उनकी रिपोर्टों पर विश्वास करते हैं और सुनिश्चित किया कि शाखा लेखाकारों द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों को, जहाँ कहीं भी आवश्यक था, किया गया। - लेखा परीक्षण के दौरान आवश्यक परिवर्तनों को किया गया और 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणियों में इसका प्रभाव लेखांकन किया गया है। हमारे परिणाम: लेन-देनों की वास्तविकता पर विचार करते हुए, हमारे लेखा परीक्षण की प्रक्रिया के परिणाम पर्याप्त और संतोषजनक पाए गए।
निवेश - अनर्जक निवेशों हेतु मूल्यांकन, पहचान और प्रावधानन (वित्तीय विवरणियों की अनुसूची - 8 का संदर्भ लें) बैंक के निवेश संविभाग सरकारी प्रतिभूतियों, बाण्डों, डिबेंचरों, शेयरों, प्रतिभूति प्राप्तियों तथा अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश सम्मिलित है जिनको तीन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है जैसे परिपक्वता तक रखना, बिक्री हेतु उपलब्ध तथा व्यापार हेतु रखना। निवेशों का मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों (एनपीआई) की पहचान, उनसे संबंधित आय की पहचान नहीं करना और उन पर प्रावधानन को संबंधित परिपत्रों/दिशा-निर्देशों/भा.रि. बैंक के निर्देशों के अनुसार किया जाता है।	हमारी लेखा परीक्षण प्रक्रियाएं निवेशों के प्रति हमारे लेखा परीक्षण के दृष्टिकोण में भा.रि. बैंक के परिपत्रों/दिशानिर्देशों के संदर्भ में निवेशों से संबंधित मूल्यहास/प्रावधानन, अनर्जक निवेशों की पहचान, वर्गीकरण, मूल्यांकन के संबंध में पर्याप्त लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं और आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावोत्ता सम्मिलित हैं। - हमने बैंक द्वारा संबंधित भा.रि. बैंक के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने हेतु स्थापित प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण का मूल्यांकन कर, इसको समझा है। विशेष रूप से, - हमने एन.पी.आई. की पहचान करने की प्रक्रिया, संबंधित आय का प्रत्यावर्तन और प्रावधान के सृजन का मूल्यांकन और आंकलन किया है। - हमने स्वतंत्र रूप से बनाए जाने वाले प्रावधान की फिर से गणना करने के लिए महत्वपूर्ण ऑडिट प्रक्रियाएं कीं। ऑडिट के दौरान आवश्यक परिवर्तन किए गए थे और उसी के प्रभाव को 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय विवरणों में विधिवत रूप से दर्ज किया गया था। हमारे परिणाम: लेनदेन की भौतिकता को देखते हुए हमारी ऑडिट प्रक्रिया के परिणाम पर्याप्त और संतोषजनक पाए गए।

Key Audit Matters	Our Response/Procedures
<u>Advances - Classification and Provisioning</u> (Refer Schedule 9 to the financial statements) The advances are classified as performing and non-performing advances (NPA) and provisioning thereon is made in accordance with the prudential norms as prescribed by the Reserve Bank Of India (RBI). The classification and provisioning is done by the Bank's IT Software integrated with its Core Banking Solution (CBS). The identification of non-performing assets and creation of provisions on such assets involves key management judgments relating to performance, determination of realizable securities available to bank and their valuation.	<u>Our Audit Procedures:</u> We obtained an understanding of the Bank's Software, circulars, guidelines and directives of the RBI and the Bank's internal instructions and procedures in respect of the asset's classification and its provisioning. Our audit approach consisted of testing the design of system for identification of Non – Performing assets to ensure conformity with the guidelines of the RBI in the matter and test checking identification and valuation of Non-performing assets. - We have reviewed the documentations, operations / performance and monitoring of the advance accounts, on test check basis of the large and stressed advances, to ascertain any overdue, unsatisfactory conduct or weakness in any advance account, to ensure that its classification is in accordance with the prudential norms of RBI ,in respect of the branches audited by us. In respect of the branches, audited by the branch statutory auditors we have placed reliance on their reports and ensured that changes suggested by the Branch auditors were duly carried out wherever necessary. - Necessary changes were carried out during the course of audit and the effect of same was duly accounted for in the Financial statements for the year ended 31st March, 2019. <u>Our Results:</u> The results of our audit process were observed to be adequate and satisfactory considering the materiality of the transactions,
<u>Investments – Valuation, and identification and provisioning for Non-Performing Investments</u> (Refer Schedule 8 to the financial statements) Investment portfolio of the bank comprises of Investments in Government Securities, Bonds, Debentures, Shares, Security Receipts and other Approved Securities which are classified under three categories, Held to Maturity, Available for Sale and Held for trade. Valuation of investments, identification of Non-Performing Investments (NPI) and the corresponding non-recognition of income and provision thereon, is carried out in accordance with the relevant circulars / guidelines / directions of RBI.	<u>Our Audit Procedures:</u> Our Audit approach towards Investments with reference to the RBI circulars/ directives included the review and testing of the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in relation to valuation, classification, identification of Non-Performing Investments, provisioning / depreciation related to Investments. In particular, - We evaluated and understood the system and internal control as laid down by the Bank to comply with relevant RBI guidelines. - We assessed and evaluated the process of identification of NPI's, and corresponding reversal of income and creation of provision. - We carried out substantive audit procedures to re-compute independently the provision to be created. Necessary changes were carried out during the course of audit and the effect of same was duly accounted for in the Financial statements for the year ended 31st March, 2019. <u>Our Results:</u> The results of our audit process were observed to be adequate and satisfactory considering the materiality of the transactions.

-आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान आस्थगति आयकर कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समय के अंतर के प्रभाव को दर्शाता है। आस्थगति कर परिसंपत्ति की पहचान नहीं होगी जब तक कोई परोक्ष नशिचितता नहीं होगी कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके विरुद्ध ऐसी परिसंपत्तियों से वसूली होगी।	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं: हम भविष्य में कर योग्य आय के विरुद्ध सेटऑफ के लिए कर हानि की पात्रता के संबंध में प्रबंधन के अनुमानों पर भरोसा करते हैं और हमें उपलब्ध किए गए प्रबंधन के दावों, मान्यताओं और लाभप्रदता के पूर्वानुमान और दावे का मूल्यांकन करने में अपनी आंतरिक विशेषज्ञता का उपयोग करते हैं, जो कि पर्याप्त भविष्य की कर योग्य आय होगी आगे किए गए कर हानि के विरुद्ध सेट ऑफ के लिए उपलब्ध होगी।
आकस्मिक देयताएं और दावे आकस्मिक देयता एक संभावित दायित्व है, जिसके आकस्मिक रूप से घटने या नहीं घटने पर एक या अधिक अनश्चित घटनाएं घट सकती हैं। प्रबंधन के निर्णय के अनुसार, बैंक के विरुद्ध कर मांगों सहित इस तरह के दावे और मुकदमे अंततः एक दायित्व नहीं बनेंगे। यद्यपि, एक प्रतिकूल परिणाम होता है तो बैंक ब्याज/जुर्माने के साथ विवादित मात्रा का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जैसा कि संक्षिप्त अधिकारियों द्वारा तय किया जा सकता है, जिसका प्रभाव इस स्तर पर अनश्चित/नगण्य है।	हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं: हमने बैंक द्वारा दावे और कर मुकदमों के संबंध में प्राप्त प्रबंधन नोट और कानूनी राय की समीक्षा की है और इस तरह के मुकदमों और दावों की प्रकृति, उनके स्थायित्व और दावों/मुकदमों की संभावना की समीक्षा करने के लिए अपनी आंतरिक टीम को शामिल किया है, अंतिम संकल्प में, आज तक की तथितक उपलब्ध रिकॉर्ड और घटनाक्रम तक।

प्रबंधन एवं वित्तीय विवरणियों के लिए एकल रूप से उत्तरदायी गवर्नंस प्रभारी

- बैंक का निदेशक मण्डल उन वित्तीय विवरणियों की तैयारी के संबंध में जिम्मेदार है, जो सामान्यतया: भारत में स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति और वित्तीय प्रदर्शन की उचित और निष्पक्ष जानकारी देते हैं, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखा मानक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के प्रावधान और समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक ('RBI') द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देश शामिल हैं। इस जिम्मेदारी में बैंक के आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखों के अभिलेखों का रखरखाव करना भी शामिल है; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उनको लागू करना; निर्णय लेना और आंकलन करना जो उचित एवं विवेकपूर्ण है; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो कि रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहा है, और वित्तीय व्यवस्थाओं की तैयारी और प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक है जो एक उचित और निष्पक्ष जानकारी देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले वास्तविक गलत अभिकथन से मुक्त हैं।

वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए, बैंक के एक अच्छी संस्था के रूप में कार्य करते रहने, प्रकटीकरण जैसा भी लागू हो, कार्यरत संस्था से संबंधित विषयों और कार्यरत संस्था के आधार पर लेखा परीक्षण के आंकलन के लिए प्रबंधन जिम्मेदार होता है जब तक कि प्रबंधन या तो बैंक का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का इरादा रखता है, या उसके पास ऐसा करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं हो।

वित्तीय विवरणियों के लेखा परीक्षण हेतु लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

- हमारा उद्देश्य इस संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या पूरे वित्तीय विवरणों की विषय-वस्तु, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गलत कथन से मुक्त है और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी की जाए जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन गारंटी नहीं है कि एसएस के अनुसार की गई ऑडिट हमेशा एक गलत कथन का पता लगाएगा जब यह मौजूद है। धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गलत जानकारी उत्पन्न हो सकती है और इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर अप्रत्याशित रूप से प्रभावित करने के लिए वे यथोचित हो सकते हैं।

एसएस के अनुसार एक लेखा परीक्षण के रूप में, हम लेखा परीक्षण के दौरान पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं और पेशेवर निर्णय लेते हैं। हम करते हैं:

<u>Recognition of Deferred Tax Assets</u> Deferred income tax reflects the impact of timing difference between taxable income and accounting income. Deferred tax asset is not recognized unless there is a virtual certainty that sufficient future taxable income will be available against which such asset will be realized.	<u>Our Audit Procedures:</u> We have relied upon the management estimates regarding eligibility of carried forward tax losses for setoff against future taxable income and used our own internal expertise in evaluating the claims, assumptions and profitability forecasts and assertions of the management provided to us, that sufficient future taxable income will be available for set off against the tax losses carried forward.
<u>Contingent Liabilities and Claims</u> Contingent Liability is a possible obligation, outcome of which is contingent upon occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events. In the judgement of the management, such claims and litigations including tax demands against the bank would not eventually lead to a liability. However, should there be an adverse outcome, the bank will be liable to pay the disputed amounts with interest/ penalty as may be decided by the competent authorities, the impact of which is uncertain/unascertainable at this stage.	<u>Our Audit Procedures:</u> We have reviewed the management note and legal opinions obtained by the bank regarding the claims and tax litigations and involved our internal team to review the nature of such litigations and claims, their sustainability and likelihood of claims/litigations materializing into eventual liability upon final resolution, from the available records and developments to date.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

5. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

6. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- वित्तीय विवरणियों की वास्तविक जानकारी छुपाने के जोखिम की पहचान और उसका आंकलन चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि कार्य-प्रणाली के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी होते हुए, लेखा परीक्षण की प्रक्रिया करें और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारे अभिमत हेतु आधार प्रदान करने के लिए उचित और पर्याप्त हो। धोखाधड़ी से उत्पन्न होने वाली गलत भौतिक जानकारी की पहचान नहीं करने के कारण त्रुटि के कारण होने वाली हानि के जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझ कर की गई चूक, गलतबयानी, अथवा आंतरिक नियंत्रण की अधिकता शामिल हो सकती है।
- प्रबंधन द्वारा उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की व्यावहारिकता और लेखांकन अनुमानों तथा संबंधित प्रकटीकरणों के औचित्यकरण का मूल्यांकन करें।
- रिपोर्ट करें कि शाखा में प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्यों के आधार पर प्रबंधन के उपयोग में लाए जा रहे लेखांकन के आधार शाखा स्तर पर लेखा परीक्षण का समापन नहीं हो सका और शाखा स्तर पर गलत साक्ष्य प्राप्त होने के आधार पर, चाहे घटनाओं से संबंधित भौतिक अनिश्चितता हो अथवा एक कार्यशील संस्था के रूप में बैंक की क्षमता पर एक महत्वपूर्ण संदेह हो सकता है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि किसी विषय पर अनिश्चितता मौजूद है, तो हम को अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां बैंक की चिंता बन सकती हैं।
- वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतिकरण, स्ट्रक्चर और विषय-वस्तु का प्रकटन सहित मूल्यांकन करें, तथा क्या वित्तीय विवरणियां चिह्नित लेन-देनों और घटनाओं का इस प्रकार प्रतिनिधित्व करती हैं जो उचित प्रस्तुतिकरण दे सके।

हम अन्य मामलों में, लेखा परीक्षण के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षण निष्कर्षों के बीच, शासन के साथ उन लोगों के साथ संवाद करते हैं, जो आंतरिक लेखा परीक्षण में हमारे द्वारा पहचाने जाने वाले आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को इंगित करते हैं।

हम उन लोगों को जो शासन करते हैं, एक विवरणी प्रदान करते हैं जिसका हमने स्वतंत्रतापूर्वक प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ पूरा किया है, और उन सभी रिश्तों के साथ संप्रेषण और अन्य मामलों के साथ समझौता करते हैं जो हमारी स्वतंत्रता के लिए उचित रूप से विश्वास कर सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों को लागू करते हैं।

शासन के साथ संबंधित मामलों से संप्रेषित मामलों में, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए वे प्रमुख लेखा परीक्षण मामले हैं। हम अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के संबंध में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संप्रेषण नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से प्रतिकूल परिणामों हेतु यथोचित अपेक्षा की जाएगी। इस तरह के संप्रेषण से सार्वजनिक हित को हानि संभव होगी।

महत्वपूर्ण मामले

हम स्थावर आस्तियों पर मूल्यहास से संबंधित लेखांकन नीति में बदलाव के संबंध में नोट संख्या 10.3 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। यद्यपि, इन मामलों के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं है।

अन्य मामले

7. हमने बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल 634 शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का लेखा-परीक्षण नहीं किया है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2019 तक रु. 23013.95 करोड़ के कुल अग्रिमों तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष में कुल राजस्व रु.1920.11 करोड़ की कुल ब्याज आय को दर्शाती है, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणियों में विचार किया गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का लेखा-परीक्षण शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिनकी रिपोर्टें हम को उपलब्ध की गई हैं, और अब तक की हमारी राय में, इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और खुलासों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

अन्य विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

8. तुलन-पत्र और लाभ हानि खाते, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं।

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Matter of Emphasis

We draw attention to note no.10.3 regarding change in accounting policy relating to depreciation on Fixed Assets

However, our opinion is not modified in respect of this matter

Other Matter

7. We did not audit the financial statements / information of 634 branches included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements / financial information reflect total advances of Rs. 23013.95 Crore as at 31st March 2019 and total interest income of Rs. 1920.11 Crores for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements / information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

9. उपरोक्त 5 से 7 तक परिच्छेदों में लेखा परीक्षा के आधार पर तथा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 तथा उसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अधीन तथा लेखा नीतियों और लेखा संबंधी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए हम रिपोर्ट करते हैं कि:
- क) जो सूचनाएं और स्पष्टीकरण हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार लेखा परीक्षण हेतु आवश्यक थे, हमने वे सभी सूचनाएं प्राप्त की हैं और इन्हें संतोषजनक पाया है।
- ख) बैंक के ऐसे सभी लेन-देन जो हमारी जानकारी में आए हैं, बैंक के अधिकारों के अंतर्गत थे।
- ग) बैंक के कार्यालयों/शाखाओं से प्राप्त विवरणियों को सामान्यतः लेखा परीक्षण हेतु उपयुक्त पाया गया है।
10. आगे हम सूचित करते हैं कि:
- क) हमारी राय में, बैंक द्वारा लेखों का उचित रखरखाव किया गया है जैसा कि विधिक रूप से आवश्यक है और जैसा कि यह हमारे द्वारा की गई लेखों की जांच से पता चलता है।
- ख) रिपोर्ट में दर्शाए गए तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि खाते लेखा बहियों और विवरणियों से मेल खाते हैं।
- ग) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के तहत बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित प्रकार से कार्रवाई की गई है; और
- घ) हमारी राय में, तुलन-पत्र, लाभ-हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरणी लागू लेखा मानकों के अनुसार हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के समरूप हैं।

समतिथि पर हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. मान एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000075एन

कृते बलदेव कुमार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 013148एन

सीए सुभाष मान
एम.नं. 080500

सीए बलदेव गर्ग
एम.नं. 092225

सुरेश चन्द्र एण्ड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 001359एन

राज गुप्ता एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन: 000203एन

सीए मधुर गुप्ता
एम.नं. 090205

सीए संदीप गुप्ता
एम.नं. 529774

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 24.05.2019

9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 5 to 7 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:
- We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;
 - The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and
 - The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
10. We further report that:
- in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books
 - the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account
 - the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and
 - In our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For S. Mann & Co.
Chartered Accountants
FRN – 000075N

For Baldev Kumar & Co.
Chartered Accountants
FRN – 013148N

CA. Subhash Mann
Partner
M.No. 080500

CA. Baldev Garg
Partner
M.No. 092225

For Suresh Chandra & Associates
Chartered Accountants
FRN – 001359N

For Raj Gupta & Co.
Chartered Accountants
FRN- 000203N

CA. Madhur Gupta
(Partner)
M.No. 090205

CA Sandeep Gupta
Partner
M. No. 529774

Place: New Delhi
Date: 24 May, 2019

पंजाब एण्ड सिंध बैंक का संक्षिप्त तुलन-पत्र 31 मार्च, 2019

		(राशि लाखों में)	
पूँजी एवं देयताएं		31 मार्च, 2019 को वर्तमान वर्ष	31 मार्च, 2018 को विगत वर्ष
पूँजी		56491.23	56491.23
आरक्षित निधि एवं अधिशेष	सांविधिक आरक्षित निधि	109369.06	109369.06
	पूँजी आरक्षित निधि	144525.13	127561.56
	शेयर प्रीमियम	193755.43	193755.43
	राजस्व तथा अन्य आरक्षित निधि	33688.75	32392.44
	लाभ-हानि खाते में शेष	32310.63	98698.78
जमा राशियां	मांग जमा	497596.35	393176.25
	बचत खाता जमा	2143111.87	2012866.43
	मियादी जमा	7215052.23	7766573.96
उधार	भारत में उधार		
	(क) भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	75000.00
	(ख) अन्य बैंक	0.00	0.00
	(ग) अन्य संस्थान तथा अभिकरण	271400.00	293298.49
	भारत से बाहर उधार	0.00	0.00
अन्य देयताएं तथा प्रावधान	देय बिल	22433.06	20396.91
	अंतः कार्यालय समायोजन(निवल)	0.00	6429.34
	प्रोदभूत व्याज	101979.08	103806.18
	स्थगित कर देयता(निवल)	0.00	0.00
	अन्य	76491.76	86108.17
	कुल पूँजी एवं देयताएं	10898204.58	11375924.23
आस्तियां			
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक में इतिशेष		494108.45	625638.45
बैंकों में इतिशेष एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	भारत में बैंकों के पास शेष	3272.81	3094.24
	भारत में मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धन	157925.41	69400.00
	भारत के बाहर शेष	6515.69	15136.57
निवेश	भारत में		
	(क) सरकारी प्रतिभूतियां	2063057.05	2402349.58
	(ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	849.03	1068.63
	(ग) शेयर्स	19752.32	27894.05
	(घ) ऋण पत्र तथा बॉण्ड्स	524654.15	635352.83
	(द) सहायक तथा/या संयुक्त उद्यम	0.00	65.37
	(ध) अन्य	8980.23	231445.26

Abridged Balance Sheet as on 31st March, 2019

		(Amount in Rs.Lac)	
CAPITAL & LIABILITIES		As on March 31,2019 Current Year	As on March 31,2018 Previous Year
Capital		56491.23	56491.23
Reserves & Surplus	Statutory Reserves	109369.06	109369.06
	Capital reserve	144525.13	127561.56
	Share Premium	193755.43	193755.43
	Revenue and Other Reserves	33688.75	32392.44
	Balance in Profit & Loss a/c	32310.63	98698.78
Deposits	Demand Deposits	497596.35	393176.25
	Saving Bank Deposits	2143111.87	2012866.43
	Term Deposits	7215052.23	7766573.96
Borrowings	Borrowings in India		
	(a) From Reserve Bank of India	0.00	75000.00
	(b) From other banks	0.00	0.00
	(c) From other institutions & agencies	271400.00	293298.49
	Borrowings outside India	0.00	0.00
Other Liabilities & Provisions	Bills payable	22433.06	20396.91
	Inter-office adjustments (net)	0.00	6429.34
	Interest accrued	101979.08	103806.18
	Deferred Tax Liability (net)	0.00	0.00
	Others	76491.76	86108.17
	Total Capital & Liabilities	10898204.58	11375924.23
ASSETS			
Cash and balance with Reserve Bank of India		494108.45	625638.45
Balances with banks and money at call and short notice	Balance with banks in India	3272.81	3094.24
	Money at call and short notice in India	157925.41	69400.00
	Balance outside India	6515.69	15136.57
Investments	In India		
	(a) Government Securities	2063057.05	2402349.58
	(b) Other approved securities	849.03	1068.63
	(c) Shares	19752.32	27894.05
	(d) Debentures and Bonds	524654.15	635352.83
	(e) Subsidiaries and/ or Joint Ventures	0.00	65.37
	(f) Others	8980.23	231445.26

	भारत के बाहर	0.00	0.00
अग्रिम	भारत में		
	(क) क्रय किए गए तथा भुनाए गए बिल	43899.18	38352.01
	(ख) नकदी क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्राप्त ऋण	3047881.36	2532313.41
	(ग) मीयादी ऋण	3825772.79	4086279.27
	भारत के बाहर	0.00	0.00
स्थायी आस्तियां		123038.45	108259.85
अन्य आस्तियां	अंतः कार्यालय समायोजन (निवल)	6491.73	0.00
	प्रोदभूत ब्याज	53273.29	68821.86
	अग्रिम रूप से संदत्त/सौत्र पर काटा गया कर	441.83	8347.83
	आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)	111307.53	59333.19
	दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियां	0.00	0.00
	अन्य	406983.28	462771.83
	कुल आस्तियां	10898204.58	11375924.23
आकस्मिक देयताएं	बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	479.07	687.90
	बकाया अग्रेषित विनिमय अनुबंधों पर देयता	429150.07	318899.62
	संघटकों की ओर से दी गई गारंटियां	272845.44	272954.55
	स्वीकृतियां पृष्ठांकन तथा अन्य बाध्यताएं	18029.55	16912.31
	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	5748.20	8485.54
	कुल आकस्मिक देयताएं	726252.33	617939.92
वसूली हेतु बिल		76470.29	59460.70

नोट: पूंजी आरक्षित निधि में वित्तीय वर्ष 2018-19 तथा 2017-18 के क्रमशः रु. 92981.44 लाख और रु. 84704.20 लाख की पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि सम्मिलित है।

	Outside India	0.00	0.00
Advances	In India		
	(a) Bills purchased and discounted	43899.18	38352.01
	(b) Cash credits, overdrafts and loans receivable on demand	3047881.36	2532313.41
	(c) Term Loans	3825772.79	4086279.27
	Outside India	0.00	0.00
Fixed Assets		123038.45	108259.85
Other assets	Inter-office adjustments (net)	6491.73	0.00
	Interest accrued	53273.29	68821.86
	Tax paid in advance/deducted at source	441.83	8347.83
	Deferred Tax Asset (net)	111307.53	59333.19
	Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	0.00	0.00
	Others	406983.28	462771.83
	Total Assets	10898204.58	11375924.23
Contingent Liabilities	Claims against the bank not acknowledged as debts	479.07	687.90
	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	429150.07	318899.62
	Guarantees given on behalf of constituents	272845.44	272954.55
	Acceptances endorsements and other obligations	18029.55	16912.31
	Other items for which the bank is contingent liable	5748.20	8485.54
	Total Contingent Liabilities	726252.33	617939.92
Bills for collection		76470.29	59460.70

Note : Capital Reserve includes Revaluation Reserve for the financial year 2018-19 and 2017-18 of Rs.92981.44 lacs and Rs.84704.20 lacs respectively.

पंजाब एण्ड सिंध बैंक का संक्षिप्त तुलन-पत्र 31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि हेतु संक्षिप्त लाभ-हानि खाता

		(राशि लाखों में)	
		समाप्त वर्ष 31.03.2019	समाप्त वर्ष 31.03.2018
आय			
अर्जित ब्याज	अग्रिमों/बिलो पर	602971.91	523152.49
	निवेशों पर	229775.17	245083.44
	भारतीय रिज़र्व बैंक और अंतर बैंक निधियों के साथ शेष पर	6026.27	11704.04
	अन्य	17093.68	14935.36
अन्य आय	कमीशन, विनिमय तथा दलाली	9479.00	8347.25
	निवेशों के विक्रय पर निवल लाभ	35835.87	25952.23
	भूमि, भवन तथा आस्तियों के विक्रय पर निवल लाभ	979.94	-11.19
	विनिमय लेन-देन पर निवल लाभ	1989.18	2588.88
	अनुषंगियों द्वारा प्राप्त लाभांश आदि से आय	0.00	0.00
	भारत/विदेश में कंपनियां और/या संयुक्त उद्यम से आय		
	विविध आय	34543.85	21242.88
	कुल आय	938694.87	852995.38
व्यय			
अपचित ब्याज	जमाराशियों पर	599068.66	541234.15
	भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधारों पर	2082.18	4217.60
	अन्य	26746.06	25903.91
परिचालन व्यय	कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान	117581.13	112300.44
	किराया, कर और रोशनी	13354.93	12793.85
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	868.62	864.65
	विज्ञापन और प्रचार	304.57	157.40
	बैंक संपत्ति पर मूल्यहास	-1472.07	6410.58
	निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	51.70	27.40
	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षक सम्मिलित)	1168.31	1198.06
	विधि प्रभार	914.13	1028.33
	डाक व्यय, तार और दूरभाष आदि	865.75	956.82
	मरम्मत और अनुरक्षण	1763.23	1541.01
	बीमा	9535.25	8462.72
	अन्य	26176.65	21427.10

Abridged Profit and Loss Account for the Period Ended 31st March, 2019

		(Amount in Rs.Lac)	
		Year Ended 31.03.2019	Year Ended 31.03.2018
Income			
Interest earned	On advances / bills	602971.91	523152.49
	On Investments	229775.17	245083.44
	on Balances with RBI and inter bank funds	6026.27	11704.04
	Others	17093.68	14935.36
Other Income	Commission,exchange and brokerage	9479.00	8347.25
	Profit on sale of investments (Net)	35835.87	25952.23
	Profit on sale of land, buildings and other assets (Net)	979.94	-11.19
	Profit on exchange transactions (Net)	1989.18	2588.88
	Income by way of dividends,etc.from subsidiaries/ companies and/or joint ventures abroad/in India	0.00	0.00
	Miscellaneous Income	34543.85	21242.88
	Total Income	938694.87	852995.38
Expenditure			
Interest Expended	On deposits	599068.66	541234.15
	On RBI/inter bank borrowings	2082.18	4217.60
	Others	26746.06	25903.91
Operating Expenses	Payment to and provisions for employees	117581.13	112300.44
	Rent,taxes and lighting	13354.93	12793.85
	Printing and stationery	868.62	864.65
	Advertisement and publicity	304.57	157.40
	Depreciation on bank's property	-1472.07	6410.58
	Director's fees,allowances and expenses	51.70	27.40
	Auditor's fee and expenses(including branch auditors)	1168.31	1198.06
	Law charges	914.13	1028.33
	Postage,telegrams,telephones, etc.	865.75	956.82
	Repairs and maintainence	1763.23	1541.01
	Insurance	9535.25	8462.72
	Others	26176.65	21427.10

प्रावधान तथा आकस्मिकता	निवेश पर मूल्यह्रास हेतु प्रावधान	25790.41	11917.08
	अनर्जक खातों हेतु प्रावधान	196224.65	172243.48
	मानक आस्तियों हेतु प्रावधान	-1741.47	-8864.91
	एफवी पुनः संरचनित में कमी के लिए प्रावधान (मानक)	-682.55	-3046.20
	अन्य (आयकर के अतिरिक्त)	5972.05	1705.99
	कुल व्यय तथा प्रावधान	1024572.19	912479.46
कर से पहले लाभ/(हानि)		-85877.32	-59484.08
	वर्तमान कर	20444.81	51971.82
	आस्थगित कर	-51974.34	-37076.13
कर के बाद लाभ/(हानि)		-54347.79	-74379.77
लाभ/हानि अग्रेषित		98698.78	185727.48
सामान्य आरक्षितियों से आहरण		0.00	0.00
कुल योग		44350.99	111347.71
विनियोजन	सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरण	0.00	1000.00
	अन्य आरक्षित निधियों को अंतरण	12040.36	11648.93
	डीडीटी सहित सरकार/प्रस्तावित लाभांश को अंतरण	0.00	0.00
	शेष को आगे तुलन-पत्र में ले जाया गया	32310.63	98698.78

Provisions and contingencies	Provision for depreciation on Investment	25790.41	11917.08
	Provision towards non performing assets	196224.65	172243.48
	Provision towards standard assets	-1741.47	-8864.91
	Provision towards diminution in FV Restructured (Standard)	-682.55	-3046.20
	Others (excluding Income taxes)	5972.05	1705.99
	Total expenses and provisions	1024572.19	912479.46
Profit/(Loss) before tax		-85877.32	-59484.08
	Current tax	20444.81	51971.82
	Deferred tax	-51974.34	-37076.13
Profit/(Loss) after tax		-54347.79	-74379.77
Profit/(Loss) brought forward		98698.78	185727.48
Withdrawal from General Reserve		0.00	0.00
Total		44350.99	111347.71
Appropriations	Transfer to Statutory Reserve	0.00	1000.00
	Transfer to Other Reserves	12040.36	11648.93
	Transfer to Government/ proposed dividend including DDT	0.00	0.00
	Balance carried forward to balance sheet	32310.63	98698.78

पंजाब एण्ड सिंध बैंक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के अनुसार नकदी प्रवाह विवरणी

(000 छोड़कर)

विवरण	2018-19	2017-18
(क) परिचालन गतिविधियों के अंतर्गत नकदी प्रवाह		
लाभ-हानि खाते के अनुसार निवल लाभ	-5434779	-7437977
समायोजन हेतु:		
प्रावधान और आकस्मिक व्यय	18187269	17981364
अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास	-147207	641058
निवेशों पर मूल्यह्रास	1216087	903749
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	-97994	1119
बांड, पीसीपीएस तथा आईपीडीआई पर ब्याज	2560620	2530157
कार्यशील पूँजी में परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	16283996	14619470
समायोजन हेतु :		
जमाओं में वृद्धि/(कमी)	-31685619	161860051
उधारों में वृद्धि/(कमी)	-8689849	-2754528
अन्य देयताओं में वृद्धि/(कमी)	-1400791	2451523
निवेशों में वृद्धि/(कमी)	65509253	-51524261
अग्रिमों में वृद्धि/(कमी)	-46221011	-99354126
अन्य आस्तियों में वृद्धि/(कमी)	7445988	-12273258
प्रत्यक्ष करों का भुगतान किया गया (प्रतिदाय को हटाकर)	-2215330	-2391816
परिचालन गतिविधियों (क) से नकद प्रवाह	-973363	10633055
(ख) निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अचल आस्तियों में वृद्धि	-708701	-512756
आस्तियों की बिक्री पर लाभ	97994	-1119
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह(ख)	-610707	-513875
(ग) वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
नगदी के लिए इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य) जारी करना	0	1645013
उस पर प्राप्त शेयर प्रीमियम	0	6204987
सार्वजनिक निर्गम व्यय	0	-9862
जारी अतिरिक्त टियर -1 बॉन्ड्स	0	10000000
गौण बॉन्ड्स का मोचन	-1000000	0
बांड, पीसीपीएस तथा आईपीडीआई पर ब्याज	-2560620	-2530157
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह (ग)	-3560620	15309981
परिचालन गतिविधियों से नकदी	-973363	10633055
निवेश गतिविधियों से नकदी	-610707	-513875
वित्तीय गतिविधियों से नकदी	-3560620	15309981
नकदी व नकदी समतुल्य में वृद्धि	-5144690	25429161
बैंक शेष व नकदी (प्रारंभिक)	71326926	45897765
बैंक शेष व नकदी (अंतिम)	66182236	71326926

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st March, 2019

(000'S OMITTED)

PARTICULARS	2018-19	2017-18
A. Cash Flow from Operating Activities		
Net Profit as per Profit & Loss Account	-5434779	-7437977
Adjustments for:		
Provisions & Contingencies	18187269	17981364
Depreciation on Fixed Assets	-147207	641058
Depreciation on Investments	1216087	903749
Profit on sale of Assets	-97994	1119
Interest on Bonds, PCPS and IPDI	2560620	2530157
Operating Profit before working capital changes	16283996	14619470
Adjustments for:		
Increase / (Decrease) in Deposits	-31685619	161860051
Increase / (Decrease) in Borrowings	-8689849	-2754528
Increase / (Decrease) in Other Liabilities	-1400791	2451523
(Increase) / Decrease in Investments	65509253	-51524261
(Increase)/ Decrease in Advances	-46221011	-99354126
(Increase) / Decrease in Other Assets	7445988	-12273258
Direct Taxes Paid (Net of refund)	-2215330	-2391816
Cash Flow from Operating Activities (A)	-973363	10633055
B. Cash Flow from Investing Activities		
Increase in Fixed Assets	-708701	-512756
Profit on sale of Assets	97994	-1119
Cash Flow from Investing Activities (B)	-610707	-513875
C. Cash Flow from Financing Activities		
Issue of Equity Shares (Face Value) for cash	0	1645013
Share Premium received thereon	0	6204987
Public Issue Expenses	0	-9862
Issue of Additional Tier I Bonds	0	10000000
Redemption of Subordinated Bonds	-1000000	0
Interest on Bonds, PCPS and IPDI	-2560620	-2530157
Cash Flow from Financing Activities (C)	-3560620	15309981
Cash from Operating Activities	-973363	10633055
Cash from Investing Activities	-610707	-513875
Cash from Financing Activities	-3560620	15309981
Increase in Cash & Cash Equivalents	-5144690	25429161
Cash and Bank Balances (Opening)	71326926	45897765
Cash and Bank Balances (Closing)	66182236	71326926



चन्द्र मोहन सिंह
सहा. महाप्रबंधक

वी.के. मेहरोत्रा
उप महाप्रबंधक

दलजीत सिंह ग्योवर
महाप्रबंधक

राजीव रावत
महाप्रबंधक

जयंत कुमार नायक
महाप्रबंधक

नेत्रानन्द सेठी
महाप्रबंधक

हरविन्द्र सचदेव
महाप्रबंधक

हर्ष बीर सिंह
निदेशक

टी.आर. मेंदीरता
निदेशक

एम.एस. दादू
निदेशक

एस.आर. घेडीया
निदेशक

बी.पी. विजयेन्द्र
निदेशक

एस.आर. मेहर
निदेशक

गोविन्द एन डोंगे
कार्यकारी निदेशक

फरीद अहमद
कार्यकारी निदेशक

एस. हरिशंकर
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

चरन सिंह
गैर-कार्यकारी अध्यक्ष

कृते एस. मान एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

कृते बलदेव कुमार एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(सुभाष मान)
एम. नं. 080500
एफआरएन: 000075 एन

(बलदेव गर्ग)
एम. नं. 092225
एफआरएन: 013148 एन

कृते सुरेश चन्द्र एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

कृते राज गुप्ता एण्ड कं.
सनदी लेखाकार

(मधुर गुप्ता)
एम. नं. 090205
एफआरएन: 001359 एन

(संदीप गुप्ता)
एम. नं. 529774
एफआरएन: 000203 एन

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.05.2019

C.M. SINGH
ASSTT. GEN. MANAGER

V.K. MEHROTRA
DY.GEN. MANAGER

DALJIT SINGH GROVER
GENERAL MANAGER

RAJIV RAWAT
GENERAL MANAGER

JAYANTA KUMAR NAYAK
GENERAL MANAGER

NETRANAND SETHI
GENERAL MANAGER

HARVINDER SACHDEV
GENERAL MANAGER

HARSH BIR SINGH
DIRECTOR

T. R. MENDIRATTA
DIRECTOR

M. S. DADU
DIRECTOR

S. R. GHEDIA
DIRECTOR

B.P. VIJAYENDRA
DIRECTOR

S. R. MEHAR
DIRECTOR

GOVIND N DONGRE
EXECUTIVE DIRECTOR

FAREED AHMED
EXECUTIVE DIRECTOR

S. HARISANKAR
MANAGING DIRECTOR & CEO

CHARAN SINGH
NON EXECUTIVE CHAIRMAN

For S. Mann & Co.
Chartered Accountants

For Baldev Kumar & Co.
Chartered Accountants

(Subhash Mann)
Partner
M. No. 080500
FRN : 000075N

(Baldev Garg)
Partner
M. No. 092225
FRN : 013148N

For Suresh Chandra & Associates
Chartered Accountants

For Raj Gupta & Co.
Chartered Accountants

(Madhur Gupta)
Partner
M. No. 090205
FRN : 001359N

(Sandeep Gupta)
Partner
M. No. 529774
FRN : 000203N

Place: New Delhi
Dated: May 24, 2019

स्वतन्त्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में संदर्भित लेखों से संबंधित टिप्पणियां

10. मानक लेखांकन अनुसार प्रकटीकरण (एस)

- 10.3 ऑडिट के तहत वर्ष के दौरान, लेखांकन नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि अचल संपत्तियों के मूल्यहास को छोड़कर पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में इसका अनुसरण किया जाता है। इससे पहले, बैंक बैंक द्वारा निर्धारित दर पर लिखित विधि के अनुसार सभी अचल संपत्तियों (कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अलावा) पर मूल्यहास चार्ज कर रहा था जिसे अब अचल संपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर स्ट्रेट लाइन विधि में बदल दिया गया है। इस तरह के बदलाव के कारण, अतिरिक्त मूल्यहास, ₹ 79.99 करोड़ 31 मार्च 2019 को समाप्त तिमाही / वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते में वापस लिखे गए हैं।

NOTES ON ACCOUNTS REFERRED IN INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

10. Disclosure as per Accounting Standard (AS)

- 10.3 During the year under audit, there is no change in accounting policies as those followed in the preceding financial year except in respect of depreciation on fixed assets. Earlier, the Bank was charging depreciation on all fixed assets (other than Computer & computer software) as per written down method at the rate determined by the bank which has now been changed to Straight Line Method based on the estimated useful life of fixed assets. Due to such change, the excess depreciation, amounting to Rs. 79.99 crores has been written back and credited to profit & loss account during the quarter / year ended as on 31st March 2019.



पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय: 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

(नौवीं वार्षिक सामान्य बैठक: 11.07.2019)

फार्म 'बी' प्रॉक्सी फॉर्म

[शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाए]

अनुलग्नक 'अ'

में/हम _____ निवासी _____

जिला _____ राज्य _____ का/की/के हैं जो पंजाब एण्ड सिंध बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा

श्री/श्रीमती----- निवासी-----

जिला----- राज्य ----- को अथवा उनके उपस्थित न हो सकने पर श्री/श्रीमती-----

निवासी----- जिला ----- राज्य ----- को

वृहस्पतिवार, दिनांक 11 जुलाई, 2019 को प्रातः 10.00 बजे पंजाब एण्ड सिंध बैंक की नौवीं वार्षिक सामान्य बैठक में जोकि पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज, संस्थागत क्षेत्र, प्लॉट संख्या-3 सेक्टर 3, जयपुर गोल्डन अस्पताल के पास, रोहिणी, दिल्ली-110085 में आयोजित होगी तथा इसके अधिस्थगन होने की स्थिति में मेरी/हमारी ओर से मेरे/ हमारे लिए मत देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

-----माह के -----दिन 2019 को हस्ताक्षरित

पंजीकृत फोलियो न./ग्राहक का आईडी.न.

शेयरों की संख्या :

कृपया रसीदी
टिकट
लगाएं

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

नाम:-----

पता:-----

एकल/प्रथम शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम:-----

पता :-----

प्रॉक्सी फार्म हस्ताक्षर करने एवं भरने संबंधी अनुदेश

- कोई भी प्रॉक्सी प्रलेख वैध नहीं होगा जब तक कि:
 - व्यक्तिक शेयरधारक के मामले में, यह उसके द्वारा या उसके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा जिसे लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत किया जाएगा।
 - संयुक्त शेयरधारक के मामले में यह रजिस्टर में प्रथम शेयरधारक द्वारा या उसके अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित होगा तथा जिसे लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत किया जाएगा।
 - निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए या अटार्नी विधिवत् लिखित रूप में होनी चाहिए।
- प्रॉक्सी प्रलेख शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित होगा जोकि किसी कारण से अपना नाम नहीं लिख पाता है, यदि उस पर इसका चिह्न है तथा न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, आश्वासन रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या सरकारी राजपत्र अधिकारी या पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित है।
- प्रॉक्सी के साथ:**
 - अटार्नी अधिकार या अन्य प्राधिकार (यदि कोई है तो) जिसके अंतर्गत हस्ताक्षर किए गए हैं या
 - नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित अटार्नी अधिकार की प्रति **पंजाब एण्ड सिंध बैंक, प्रधान कार्यालय शेयर कक्ष, प्रथम तल, 21-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008** को नौवीं वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात् **शनिवार 06 जुलाई, 2019 (5.00 बजे सायंकाल) को कार्य-समय समाप्त होने से पूर्व या उस तिथि को प्रस्तुत करनी होगी।**
- यदि संबंधित अटार्नी अधिकार पंजाब एण्ड सिंध बैंक में या शेयर अंतरण एजेंट के पास पहले से पंजीकृत है तो अटार्नी अधिकार की पंजीकरण संख्या तथा उसकी तिथि का उल्लेख किया जाए।
- यदि प्रॉक्सी प्रलेख फार्म "B" पर नहीं है तथा विधिवत् स्टाम्प नहीं है तो वह वैध नहीं माना जाएगा।
- बैंक में जमा प्रॉक्सी प्रलेख अप्रतिसंहरणीय तथा अंतिम होगा।
- यदि प्रॉक्सी प्रलेख विकल्प के रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में जारी किया जाता है तो एक से अधिक फॉर्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
- जिस शेयरधारक ने प्रॉक्सी प्रलेख निष्पादित किया है उसे वार्षिक सामान्य बैठक में वोट देने का अधिकार नहीं होगी जिससे वह प्रलेख संबंधित है।
- पंजाब एण्ड सिंध बैंक के किसी कार्मिक या अधिकारी को प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

Head Office : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

{NINTH ANNUAL GENERAL MEETING}: 11.07.2019

FORM 'B' PROXY FORM

[To be filled and signed by the Shareholder]

Annexure-'A'

I/We.....Resident of.....in the district of
..... in the State of being a shareholder /shareholders of the Punjab & Sind
Bank, hereby appoint Shri/Smt resident of.....in the district of
.....in the State ofor failing him/her, Shri/Smt resident
of in the district of in the State of as my / our proxy to vote for
me/ us and on my / our behalf at the Ninth Annual General Meeting of the Shareholders of Punjab & Sind Bank to be held on **Thursday the 11th
July, 2019** at 10.00 A.M. at Punjab & Sind Bank, Staff Training College, Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3, Near Jaipur Golden Hospital, Rohini,
Delhi-110 085 and at any adjournment thereof.

Signed this day of 2019

Regd. Folio No./Client ID:

No. of Shares

Please affix
Revenue
Stamp

Signature of Proxy

Name & Address:

.....

Signature of the sole / first named shareholder

Name & Address:

.....

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

- No instrument of proxy shall be valid unless,
 - in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 - in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorised in writing.
- An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Punjab & Sind Bank.
- The proxy together with :** (a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or (b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited with **Punjab & Sind Bank, HO Shares Cell, 1st Floor, 21-Rajendra Place, New Delhi-110 008** not less than **FOUR DAYS** before the date of the Annual General Meeting i.e. on or before the closing hours of **Saturday, the 06th day of July, 2019 (5.00 p.m.)**.
- In case the relevant Power of Attorney is already registered with Punjab & Sind Bank or Share Transfer Agent, the registration Number of Power of Attorney and the date of such registration may be mentioned.
- No instrument of Proxy shall be valid unless it is in Form 'B' and duly stamped.
- An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
- No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Punjab & Sind Bank.



पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय: 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

अनुलग्नक 'ब'

उपस्थिति पर्ची

नौवीं वार्षिक सामान्य बैठक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज,
संस्थागत क्षेत्र, प्लॉट संख्या-3, सेक्टर 3,
जयपुर गोल्डन अस्पताल के पास,
रोहिणी, दिल्ली-110085

वृहस्पतिवार, जुलाई 11, 2019 प्रातः 10.00 बजे

[कृपया उपस्थिति पर्ची को भरें व पंजीकरण काउंटर पर सौंप दें]

पंजीकृत फोलियो/ डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी			
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय: 21 राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली 110008

प्रवेश पास

नौवीं वार्षिक सामान्य बैठक

पंजाब एण्ड सिंध बैंक, स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज,
संस्थागत क्षेत्र, प्लॉट संख्या-3, सेक्टर 3,
जयपुर गोल्डन अस्पताल के पास,
रोहिणी, दिल्ली-110085

वृहस्पतिवार, जुलाई 11, 2019 प्रातः 10.00 बजे

पंजीकृत फोलियो/ डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी			
शेयरधारक का नाम			
शेयरों की संख्या			
शेयरधारक/प्रॉक्सी/ प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

नोट: मतदान के लिए मतपत्र, प्रवेश पास के विरुद्ध जारी किया जाएगा।

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

Head Office : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

ATTENDANCE SLIP NINTH ANNUAL GENERAL MEETING

Punjab & Sind Bank, Staff Training College,
Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3,
Near Jaipur Golden Hospital,
Rohini, Delhi-110 085

Thursday, July 11, 2019, 10.00 a.m.

[Please fill in the Attendance slip and hand it over at the Registration counter]

Regd. Folio/ DP & Client ID			
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of Shareholder / Proxy / Authorised Representative			

Punjab & Sind Bank

(A Government of India Undertaking)

Head Office : 21 – RAJENDRA PLACE, NEW DELHI -110008

ENTRY PASS (To be retained throughout the meeting)

NINTH ANNUAL GENERAL MEETING

Punjab & Sind Bank, Staff Training College,
Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3,
Near Jaipur Golden Hospital,
Rohini, Delhi-110 085

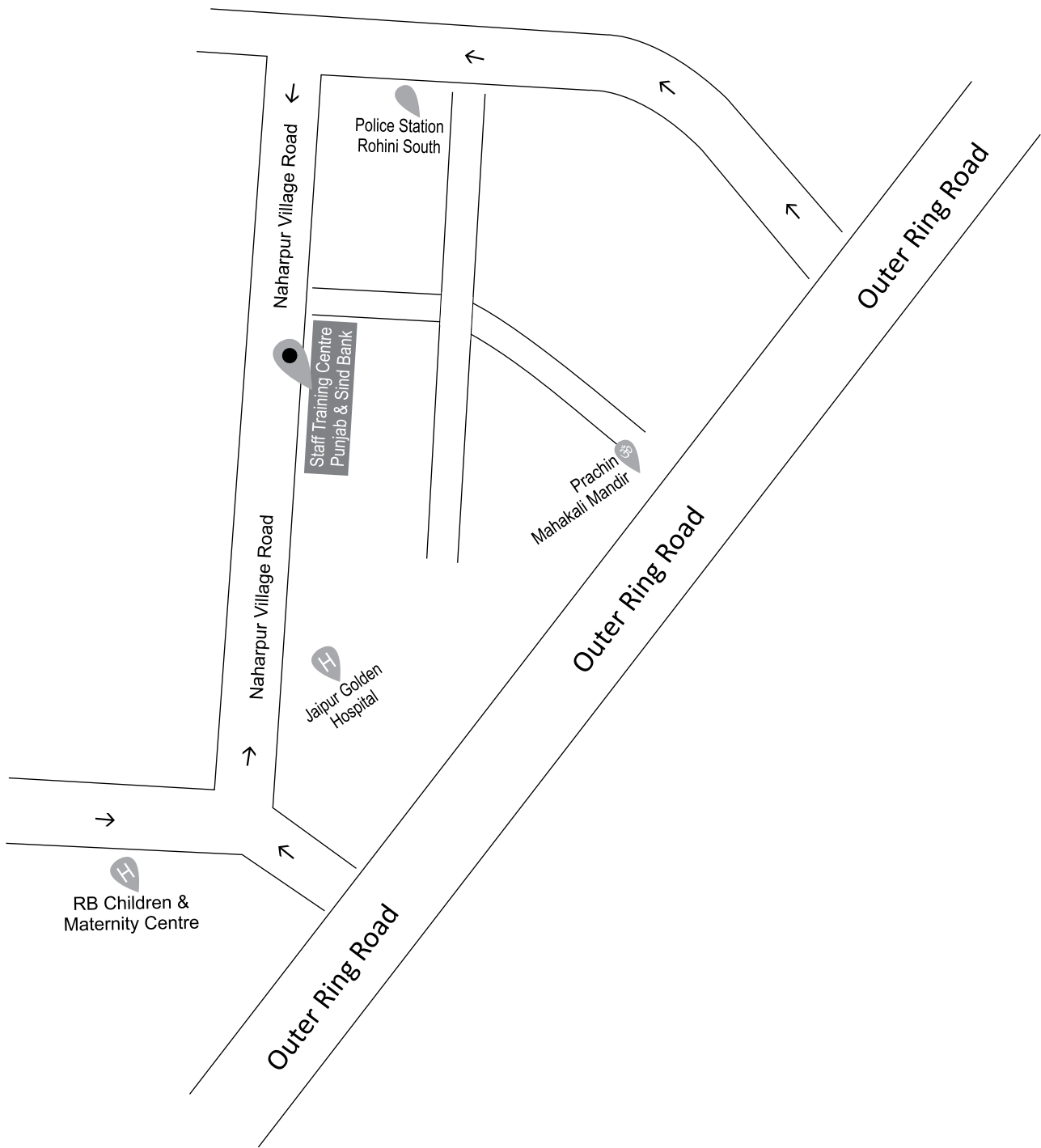
Thursday, July 11, 2019, 10.00 a.m.

Regd. Folio/ DP & Client ID			
Name of the Shareholder			
Number of Shares			
Signature of Shareholder / Proxy / Authorised Representative			

Note : Ballot Paper for polling will be issued against the entry pass only.

PUNJAB & SIND BANK

Punjab & Sind Bank, Staff Training College,
Plot No. 3, Institutional Area, Sector 3, Near Jaipur Golden Hospital,
Rohini, Delhi-110 085



मुख्य सतर्कता अधिकारी/ Chief Vigilance Officer



श्री संजय जैन (सीवीओ)
Sh. Sanjay Jain (CVO)

महाप्रबंधक / General Managers



श्रीमती हरविन्द्र सचदेव
Smt. Harvinder Sachdev



श्री नेत्रानंद सेठी
Sh. Netranand Sethi



श्री जयंत कुमार नायक
Sh. Jayanta Kumar Nayak



श्री राजीव रावत
Sh. Rajiv Rawat



श्री दलजीत सिंह ग्रोवर
Sh. Daljit Singh Grover



ੴ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫ਼ਤਹਿ

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ
(भारत सरकार का उपक्रम)



Punjab & Sind Bank
(A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life